

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2020 सत्र

सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक/बालिका छात्रावास में कार्यरत रसोईयों को प्रदत्त मानदेय

1. (*क्र. 626) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जाजगीर-चाम्पा जिले में संचालित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास में सविदा के पद पर कितने रसोईया कार्यरत हैं ? लॉकडाउन के बाद कितने रसोईया को कार्य पर रखा गया है और कितने को निकाल दिया गया है ? निकले जाने का क्या कारण है ? (ख) क्या कार्यरत रसोईया के मानदेय में कटौती की गयी है ? यदि किया गया है तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जाजगीर चांपा जिले में विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास में सविदा के पद पर कोई भी रसोईया कार्यरत नहीं है. अतः लॉकडाउन के बाद किसी रसोईया को कार्य पर रखने या निकाले जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) जाजगीर-चांपा में विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास में सविदा के पद पर कोई भी रसोईया कार्यरत नहीं है. अतः मानदेय में कटौती का प्रश्न ही नहीं है.

विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्ति

2. (*क्र. 814) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि विद्यामितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में रखा गया है? यदि हां, तो पिछले व इस वित्तीय वर्ष में कुल कितने विद्यामितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में न्युक्ति दी गई ? (ख) क्या यह सही है, कि प्रदेश में 14,500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है ? इसमें से कितने शिक्षकों को नियुक्ति आदेश दिये गये हैं और कितनों ने पदभार ग्रहण कर लिया है? क्या इन शिक्षकों की नियुक्ति पश्चात अतिथि शिक्षक/विद्यामितान के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 में 1832 विद्यामितानों को थाला में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया गया है. नियुक्ति नहीं दी गई है. (ख) प्रदेश में 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है. नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गए हैं, अतः पदभार ग्रहण करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा

3. (*क्र. 802) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मण्डल संयोजक के पद पर चयन हेतु वर्तमान विभागीय परीक्षा के पूर्व विगत विभागीय परीक्षा कब आयोजित की गई ? कितने अभ्यर्थी शामिल हुए कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ? उक्त पद पर विभागीय भर्ती हेतु चयन के लिए क्या नियम निर्देश प्रचलन में थे ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार उक्त अवधि में क्या भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया? यदि हां, तो कब और संशोधन का आधार क्या था ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत मण्डल संयोजक के पद पर चयन हेतु वर्तमान विभागीय परीक्षा के पूर्व विगत विभागीय परीक्षा दिनांक 31-05-2012 एवं 22-11-2012 को आयोजित की गईं। जिसमें क्रमशः 93 एवं 27 अभ्यर्थी शामिल हुए। उक्त परीक्षा में क्रमशः 35 एवं 10 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उक्त पद पर विभागीय भर्ती हेतु चयन के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम 2011 प्रचलन में थे। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भूमि व्यवर्तन हेतु नियम/अधिकार

4. (*क्र. 790) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भूमि व्यवर्तन (डायवर्सन) कराने हेतु राजस्व विभाग ने कौन-कौन से नियम बनाये हैं इस हेतु कौन-कौन से दस्तावेज तथा किस-किस विभाग के अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तथा भूमि व्यवर्तन (डायवर्सन) हेतु कितने-कितने क्षेत्रफल का अधिकार किस-किस स्तर के अधिकारियों व शासन को है? (ख) बलौदाबाजार भाटापारा जिले के वर्तमान में किस-किस स्तर के किस-किस प्रयोजन के कितने-कितने भूमि व्यवर्तन (डायवर्सन) के प्रकरण लंबित हैं लंबित होने के क्या कारण है तथा निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? (ग) पिछले 5 वर्षों में किये गये भूमि व्यवर्तन (डायवर्सन) क्या राजस्व विभाग के रिकार्ड में उन्हें चिन्हांकित कर दुरुस्त कर दिया गया है यदि नहीं, तो कितना शेष है और कब तक कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) भूमि व्यवर्तन कराने हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तहत छत्तीसगढ़ भूमि व्यवर्तन नियम, 1962 बनाया गया है। नियम 2-क एवं 4 के तहत आवेदन के साथ बी-1, खसरा, नक्शा, ले-आउट आदि दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं तथा नियम 5 एवं 6 के तहत स्थानीय निकाय, नगर निवेश के साथ-साथ अन्य विभाग का अभिमत लिया जाता है। व्यवर्तन (डायवर्सन) की अनुज्ञा हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। (ख) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में वर्तमान में निम्नानुसार प्रकरण लंबित है :-

अनुविभाग का नाम	आवासीय प्रयोजन	व्यावसायिक प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजन
बलौदा बाजार	92	29	12
भाटापारा	73	15	13
सिमगा	23	08	09
कसडोल	05	08	00
बिलाईगढ़	62	20	02
योग	255	80	36

अनुविभाग बलौदाबाजार के 45 प्रकरण समय-सीमा के बाहर है। उपरोक्त सभी प्रकरणों का नियमों के तहत त्वरित निराकरण किया जा रहा है। (ग) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत व्यवर्तित भूमि का पृथक से बी-1 तैयार कर सधारण किया जा रहा है। वर्तमान में आदेश उपरांत हल्का पटवारी से रिकार्ड दुरुस्त कराया जा रहा है। रिकार्ड दुरुस्ती हेतु प्रकरण शेष नहीं है।

ग्राम पेण्ड्रीडीह में नियम विरुद्ध राजस्व नामांतरण पर कार्यवाही

5. (*क्र. 806) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि ग्राम पेण्ड्रीडीह, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 249, 219, 278 व 256 कुल रकबा 22 एकड़ से अधिक का नामांतरण तहसीलदार द्वारा निजी व्यक्ति के नाम पर आदेश पारित किया गया है? यदि हां, तो कब? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार जमीन अभिलेखों में किस रूप में दर्ज है व किस व्यक्ति को तहसीलदार द्वारा नामांतरित करने आदेश पारित किया गया है? (ग) इस संबंध में क्या-क्या व किस-किस से शिकायतें प्राप्त हुई हैं व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह सही है, कि तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन कर क्षेत्राधिकार से बाहर व नियम विरुद्ध नामांतरण किया गया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) यह सही नहीं है कि ग्राम पेण्ड्रीडीह, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 249, 219, 278 व 256 कुल रकबा 22 एकड़ से अधिक का नामांतरण तहसीलदार द्वारा निजी व्यक्ति के नाम पर आदेश पारित किया गया है, अपितु उक्त खसरा नंबर के कुल रकबा 22.06 एकड़ में से रकबा 19.44^{1/2} एकड़ भूमि का नामांतरण तहसीलदार द्वारा निजी व्यक्तियों के नाम पर आदेश पारित किया गया है। (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित जमीन मिसल अभिलेख में बड़े झाड़ के जंगल एवं घास मट्ट के रूप में दर्ज

है. तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को (1) अब्दुल हलीम खान (2) श्री हितेश माखिजा (3) श्री गौरव चंदानी (4) श्री अविनाश पेशवानी एवं (5) श्री शिवशंकर सिंह ठाकुर के नाम पर नामांतरित करने का आदेश पारित किया गया है. (ग) इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत पेपड़ीडीह श्री शिव कुमार घिडोरे एवं माननीय श्री धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष छ.ग. विधानसभा से शिकायत प्राप्त हुई है. यह सही है कि तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन कर क्षेत्राधिकार से बाहर व नियम विरुद्ध नामांतरण आदेश पारित किये जाने पर विभाग के आदेश दिनांक 9-12-2020 द्वारा श्री सत्यपाल प्रताप राय, तहसीलदार, बिल्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

जिला महासमुन्द में आपदा प्रबंधन मद में आवंटित एवं व्यय राशि

6. (*क्र. 448) श्री किस्मतलाल नंद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. के महासमुन्द जिले को वर्ष 2019-2020 व 2020-2021 में नवम्बर, 2020 तक आपदा प्रबंधन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई एवं किन-किन मदों में व्यय किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में महासमुन्द जिले को रुपये 915.25 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया, उक्त राशि को निम्न मदों में व्यय किया गया है :-

वित्तीय वर्ष	मद	व्यय राशि (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
2019-20	सूखा	11.93
	बाढ़ चक्रवात आदि	104.00
	जीवजन्तु के काटने एवं पानी में डूबने, रसोई गैस फटने आदि	209.75
	ओलावृष्टि	8.00
	अग्नि दुर्घटना	80.82
	योग	414.50
2020-21 (माह नवम्बर 2020 तक)	सूखा	0.00
	बाढ़ चक्रवात आदि	35.95
	जीवजन्तु के काटने एवं पानी में डूबने, रसोई गैस फटने आदि	112.00
	ओलावृष्टि	3.60
	अग्नि दुर्घटना	16.07
	योग	167.62

पढ़ाई तुंहर दुवार हेतु पंजीकृत विद्यार्थी

7. (*क्र. 170) श्री अजय चन्द्राकर: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 30 नवंबर, 2020 की स्थिति में प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला/उ. माध्यमिक शाला में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ? इनमें से कितने विद्यार्थी “पढ़ाई तुंहर दुवार” अंतर्गत ऑनलाईन कक्षाओं का लाभ हेतु पंजीकृत हुए ? (ख) “बुलटू के बोल” लाउड स्पीकर स्कूल, मोहल्ला वलास में कितने विद्यार्थी हिस्सा लिए ? अलग-अलग बतायें ? (ग) “पढ़ाई तुंहर दुवार” संचालन हेतु केन्द्रांश व राज्यांश से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? किन-किन कार्यों में, कितनी राशि उपयोग की गयी एवं कितनी शेष है ? (घ) “पढ़ाई तुंहर दुवार” कार्यक्रम का संचालन कब से शुरू किया गया ? किनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, कक्षावार बताएं ? (ङ) उक्त कार्यक्रम का मूल्यांकन 30 नवंबर, 2020 की स्थिति में कितने बार, कब-कब कराया गया एवं उसके परिणाम क्या रहें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) 43.79 लाख विद्यार्थी प्रवेशित है, इनमें से पढ़ाई तुंहर दुवार अंतर्गत

ऑन-लाईन कक्षाओं का लाम हेतु 24.77 लाख विद्यार्थी पंजीकृत है.

(ख)	कार्यक्रम	लामान्वित विद्यार्थी
	बुलडू के बोल	- 31085
	लाउड स्पीकर स्कूल	- 58864
	मोहल्ला वलास	- 1053706

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश में 181.80 लाख एवं राज्यांश में 121.20 लाख कुल 303.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गए. कार्यवार उपयोग राशि निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
1.	सर्वर का किराया	6.57
2.	ऑनलाईन कक्षाओं के लिए शिक्षकों का मानदेय	2.3
3.	एम.एम.एस.	6.65
4.	प्रोग्रामर्स का मानदेय	55.00
5.	इंटरनेट कनेक्शन	0.71
	योग	71.23

इस कार्यक्रम में वर्तमान में रुपये 231.77 लाख शेष है. (घ) “पढ़ाई तुंहर दुवार” कार्यक्रम का संचालन 07 अप्रैल, 2019 से शुरू किया गया. इस कार्यक्रम का संचालन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जा रहा है. यह कार्यक्रम कक्षा पहली से बारहवीं तक के लिए है. विद्यार्थियों का पंजीयन कक्षावार नहीं किया गया है. (ङ) मूल्यांकन नहीं कराया गया है.

मस्तूरी ब्लॉक में नेशनल हॉईवे 49/200 बॉयपास सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

8. (*क्र. 589) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के ग्राम पाराघाट में नेशनल हॉईवे 49/200 मस्तूरी बॉयपास में फोरलेन सड़क निर्माण हेतु क्या कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गयी थी उन्हें किस दर से मुआवजा दिया गया था ? (ख) क्या उपरोक्त वर्णित मार्ग पर टोल प्लाजा के निर्माण के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो प्रभावित किसानों को किस दर पर मुआवजा दिया जा रहा है ? क्या सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया जा चुका है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी हां. कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था. भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 एवं 30 में निहित प्रावधानानुसार निर्धारित दर पर दिया गया है. (ख) जी हां. भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 एवं 30 में निहित प्रावधानानुसार निर्धारित दर पर दिया गया है. सभी प्रभावितों को मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है.

कांकेर नगर स्थित पुराना बस स्टैण्ड में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही

9. (*क्र. 648) श्री ननकीराम कंवर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर नगर स्थित पुराना बस स्टैण्ड में स्थापित कितने दुकानों एवं संस्थान के द्वारा काबीज नजूल की शासकीय भूमि को शासन की योजना के तहत फ्री होल्ड/क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ? नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) क्या शासन द्वारा सभी आवेदनकर्ता को, उनकी भूमि आवेदन तिथि को काबिज भूखण्ड के रकबा के अनुसार क्रय करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शुल्क की गणना कर सूचित किया गया है ? यदि हां तो कितने को, नहीं तो क्यों ? कितनों ने गणना के आधार पर भूमि फ्री होल्ड/क्रय करने हेतु सहमति दी है एवं कितनों ने शुल्क जमा किया और कितनों को भूमि हस्तांतरण की गई, नहीं, तो क्यों ? नाम सहित जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश “क” के क्रय हेतु सहमति दिए जाने के उपरान्त भूमि हस्तांतरण की

प्रक्रिया में विलंब होने के क्या कारण है एवं इस हेतु कौन दोषी है? (घ) क्या काबीज दुकान एवं संस्थान जिनके द्वारा भूमि फ्री होल्ड/क्रय करने हेतु सहमति दी गई है, उनके काबीज रकबे में कमी की गई है? यदि हाँ, तो क्यों एवं किस आधार पर, तथा किनके-किनके रकबे में कितनी कितनी? (ङ) क्या प्रश्नांश "क" की नजूल की भूमि को शासन से फ्री होल्ड/क्रय कराने हेतु उक्त क्षेत्र के नगरीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत? तदसंबंध में नगरीय निकायों को प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या निर्देश दिए गए? कितनी अवधि में निराकृत किया जाना है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) कांकेर नगर स्थित पुराना बस स्टैंड में स्थित 43 दुकानों एवं संस्थान के संचालकों द्वारा काबीज नजूल की शासकीय भूमि को शासन की योजना के तहत फ्री होल्ड/अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन करने हेतु निम्नांकित आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है :-

1. समीर केवलरामानी	16. प्रशांत	31. कृष्ण कुमार सेन
2. अनिल मोटवानी	17. माया गोस्वामी	32. अनुप खटवानी
3. दिनेश मंगलानी	18. श्रीचंद मूलचंदानी	33. सुनील कुमार
4. जय खटवानी	19. दयूनातन	34. सुनील लालवानी
5. कपिल खटवानी	20. श्रवण सेन	35. सुरेश यादव
6. सुर्यकुमार टाकुर	21. टिकम सेन	36. हरेश कुमार
7. सरस मेहरा	22. श्रवण कुमार चौहान	37. गोपाल
8. प्रदीप साहू	23. बबल सोनी	38. नितीन मोटवानी
9. मोहन कृष्ण तिवारी	24. देवेन्द्र चौरसिया	39. रामानुज शर्मा
10. राकेश रामानी	25. कृष्ण चौरसिया	40. बिलकिस
11. महावीर शार्दूल	26. पन्ना लाल पटेल	41. हारून रशीद
12. दिनेश मंगलानी	27. अशोक केशरवानी	42. श्याम सुन्दर
13. रामेश्वर	28. उदयराम	43. उदय राम
14. गीता शर्मा	29. श्याम सुन्दर	
15. मनोहर चौरसिया	30. रिंतु चौरसिया	

(ख) 06 आवेदनकर्ता को शासकीय भूमि में आवेदन तिथि को काबीज भूखण्ड के रकबा के अनुसार अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शुल्क की गणना कर सूचित किया गया है एवं 37 आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कांकेर के द्वारा आपत्ति किया गया है. आपत्ति होने पर सूचित नहीं किया गया है. 06 आवेदनकर्ता द्वारा गणना के आधार पर अतिक्रमित भूमि फ्री होल्ड/व्यवस्थापन करने हेतु सहमति दी है. 06 आवेदनकर्ता द्वारा शुल्क जमा किया गया है, 02 आवेदनकर्ताओं को भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की गई है. 03 आवेदनकर्ताओं के भूमि व्यवस्थापन हेतु नगरपालिका द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16-12-2020 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. 01 आवेदन पत्र में नगरपालिका परिषद कांकेर के द्वारा अभिमत नहीं दिये जाने के कारण आवेदक दिनेश मंगलानी का आवेदन लंबित है. (ग) प्रश्नांक "क" के अतिक्रमित व्यवस्थापन हेतु सहमति दिये जाने के उपरांत अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन प्रक्रिया में नगरपालिका परिषद कांकेर का अभिमत अप्राप्त होने के कारण अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है. (घ) काबीज दुकान एवं संस्थान के संचालकों द्वारा फ्री होल्ड/अतिक्रमण व्यवस्थापन करने हेतु सहमति दी गई है. उनके काबीज रकबे में कमी नहीं की गई है. (ङ) जी हाँ. शासकीय नजूल भूमि के आवेदन/अतिक्रमण व्यवस्थापन कराने हेतु उक्त क्षेत्र के नगरीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है. राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-44/सात-1/10 दिनांक 04-03-2011 में दिये गये निर्देश के तहत निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार नगर पालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है. नजूल की भूमि वर्तमान में नगरपालिका के प्रबंध में है एवं नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 101 के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा परिषद की अंतरिम नजूल भूमियों का प्रबंध परिषद द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाई गई उपनिधियों के अनुसार किया जायेगा. तदनुसार ही नगरपालिका में क्रियान्वयन किया जाता है. नजूल भूमि का प्रबंध के तहत नगरीय निकायों में प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने हेतु शासन द्वारा पालिका का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है और नहीं उक्त कार्य के लिए कोई अवधि का निर्देश है.

चित्रकोट विधानसभा के ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त

10. (*क्र. 838) **श्री रामजन बेजाम :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम पंचायतों में आज पर्यंत तक बंदोबस्त नहीं किया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में, जिन पंचायतों में बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो उसका कारण क्या है और कब तक बंदोबस्त की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में बंदोबस्त किए गए हैं। चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत तहसील लोहपडीगुड़ा के ग्राम-पावेल व तहसील दरमा के ग्राम-मोदेनार, बीसपुर, कुडुमखोदरा, तोयनार, कोडरीछापर, कलेपाल, कोटमसर को विधिवत वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया है, जिसका राजस्व सर्वेक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है। (ख) उपरोक्त वर्णित ग्रामों राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। तहसील दरमा के ग्राम-मोदेनार, कुडुमखोदरा, तोयनार, कोडरीछापर, कोटमसर में तृतीय चरण अंतर्गत भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। समयसीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जिला जांजगीर-चाम्पा में मार्कफेड द्वारा धान संग्रहण केन्द्र का संचालन

11. (*क्र. 143) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले में मार्कफेड द्वारा कहाँ-कहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 22-11-2020 तक धान संग्रहण केन्द्र संचालित किया गया है ? (ख) इस वर्ष कितने प्रस्तावित हैं ? कहाँ-कहाँ पर किस-किस संग्रहण केन्द्र में धान तौल के लिए धर्मकांटा लगाया है ? किन शर्तों में किस एजेंसी को कितने समय अवधि के लिए काम दिया गया है।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जांजगीर चाम्पा जिले में पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 22-11-2020 तक निम्नानुसार धान संग्रहण केन्द्र संचालित किये गये हैं :-

क्रमांक	संग्रहण केन्द्र का नाम
1.	बोडासागर (शेरो), बोडासागर
2.	मिल प्रांगण जांजगीर, जांजगीर
3.	मण्डी प्रांगण सक्ती, सक्ती
4.	शासकीय भूमि अकलतरा, अमरताल
5.	शासकीय भूमि डमरा, डमरा

(ख) इस वर्ष जांजगीर-चाम्पा जिले में नया संग्रहण केन्द्र प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

उच्च पद पर कनिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना

12. (*क्र. 305) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग में कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद पर प्रभारी अधिकारी पदस्थ न किये जाने के संबंध में विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हाँ, तो 25 नवंबर, 2020 की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, उच्च पद पर वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के स्थान पर कौन-कौन कनिष्ठ अधिकारी को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है व क्यों ? पदवार जानकारी देवें ? विभाग में कितने वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देने के कारण कम महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार अधिकारियों में किस-किस अधिकारी के विरुद्ध पुलिस/विभागीय जांच कब से व क्यों चल रही है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ, † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। राज्य में उप संचालक एवं समकक्ष स्तर के स्वीकृत कुल पदों के मान से समकक्षीय स्तर के कार्यरत अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थ किये गये। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कम महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत नहीं है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किसी भी अधिकारी के विरुद्ध पुलिस/विभागीय जांच नहीं चल रही है।

प्रदेश में ग्रामों के नक्शा प्रिंट करने हेतु प्लॉटर मशीन का क्रय

13. (*क्र. 666) **श्री मुनेश्वर शोमाराम बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2014-15 से 2015-16 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ग्रामों के नक्शा प्रिंट करने हेतु कितने प्लॉटर मशीन की खरीदी की गई थी ? कंपनी अनुसार विवरण देवें ? (ख) प्लाटर मशीन की खरीदी हेतु कुल निविदा की कीमत क्या थी ? (ग) वर्तमान में तहसीलों को प्रदाय किये

गये कितने प्लाटर मशीन संचालित व कितने बंद अवस्था में हैं ? (घ) तहसीलों में खराब पड़े प्लाटर मशीन के सुधार हेतु क्या वित्तीय व तकनीकी व्यवस्था की गयी है, जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 से 2015-16 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ग्रामों के नक्शा प्रिंट करने हेतु मूल निर्माता कंपनी कैन्नन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड नोयडा एवं हेवलेट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्राईवेट लिमिटेड गुड़गांव से क्रमशः 87-87 प्लॉटर मशीन क्रय किया गया है. (ख) प्लॉटर मशीन की खरीदी हेतु कैन्नन कंपनी की प्लॉटर मशीन की दर राशि रु. 4,79,374/- (रु. चार लाख उनयासी हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) प्रति नग तथा एच पी कंपनी की प्लॉटर मशीन की दर रु. 5,00,182/- (रु. पांच लाख एक सौ ब्यासी मात्र) प्रति नग थी. (ग) वर्तमान में तहसीलों में 71 प्लॉटर मशीन संचालित है व 103 नग प्लॉटर मशीन बंद अवस्था में है. (घ) प्रदेश के कलेक्टर एवं तहसील कार्यालय में स्थापित एच. पी. और कैन्नन कंपनी के प्लॉटर मशीन के तकनीकी खराबी के मरम्मत के संबंध में आवश्यकतानुसार बजट मांग प्रेषित किये जाने हेतु जिलों को पत्र प्रेषित किया गया था. जिला प्रशासन को उनके मांग पर जिला स्तर पर मरम्मत करने हेतु आवंटन दिया जाएगा. उक्त प्लाटर मशीनों के संधारण, रख-रखाव के लिए राज्य स्तर से 04 बार निविदा आमंत्रित की गई. किसी भी निविदा में पर्याप्त निविदाकार द्वारा निविदा नहीं करने के कारण अनुबंध सम्पादित नहीं हो पाया.

अंत्याव्यवसायी योजना के तहत सामग्री एवं वाहन खरीदी हेतु प्राप्त आवेदन

14. (*क्र. 694) **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंत्याव्यवसायी विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के प्रदेश के अन्. जाति एवं अन्. जनजाति वाले बाहुल्य क्षेत्रों में कौन-कौन से सामग्री एवं फोर व्हीलर गाड़ी के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? (ख) कितने आवेदन पर कार्यवाही की गई है और कितने आवेदन लंबित है? (ग) कार्यवाही किए गए आवेदकों को कौन-कौन सी सामग्री एवं गाड़ी प्रदाय किए गए है जिलेवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न सामग्रियों जैसे-अण्डा व्यवसाय, अगारबत्ती निर्माण, आचार पापड़, आलू प्याज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कलर पेंटिंग, कैटरी व्यवसाय, खपरा निर्माण, दाल व्यवसाय, फल व्यवसाय, सब्जी व्यवसाय, चाट ठेला, किराना दुकान, इलेक्ट्रानिक दुकान, सिलाई दुकान, जूता चप्पल, पोल्डी फार्म, कम्प्यूटर व्यवसाय, डीजे साउंड, कपड़ा दुकान, बिरयानी सेंटर, मशरूम उत्पादन, मोबाइल शॉप, स्टेशनरी, फैसी स्टोर, कारपेंटर, सेट्रिंग प्लेट, सीमेंट दुकान, फोटो कॉपी/स्टुडियो बेकरी केक, वेल्डिंग शॉप, ग्रीटिंग, हार्डवेयर, दोना पत्तल, आलू प्याज, ऑटो सर्विस एवं फोर व्हीलर गाड़ी-ट्रेक्टर ट्राली, गुड्स कैरियर (छोटा हाथी) पैसेंजर व्हीकल (मैजिक वाहन) के लिए कुल 17343 आवेदन प्राप्त हुए है. (ख) 4906 आवेदन स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही की गई है. 12437 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए. कार्यवाही हेतु लंबित निरंक है (ग) दी गई सामग्री व प्रदाय किए गए गाड़ी की जिलेवार जानकारी प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में † संलग्न है.

व्याख्याताओं/शिक्षकों की मर्ती

15. (*क्र. 823) **श्री बृजमोहन अग्रवाल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 में व्याख्याताओं/शिक्षकों के मर्ती के लिए विभाग द्वारा कोई विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां, तो कब, कितने कितने पदों के लिए, कितने आवेदन प्राप्त हुए जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) परीक्षा किसके द्वारा कब ली गई, रिजल्ट कब घोषित हुआ, सत्यापन कब से कब तक कितने उम्मीदवारों का किया गया? (ग) सत्यापन के बाद प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों को नियुक्ति आदेश जारी किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? कितने लोगों ने ज्वाइनिंग दी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) हाँ. दिनांक 09 मार्च, 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था. शेष जानकारी निम्नानुसार है :-

पदनाम (1)	विज्ञापित पद संख्या (2)	प्राप्त आवेदनों की संख्या (3)
व्याख्याता	3177	41,958
शिक्षक	5441	27,822
सहायक शिक्षक	4000	27,938

(1)	(2)	(3)
शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	456	2403
सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	306	3348
सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	1200	1,95,273
योग	14,580	2,98,742

आवेदन जिलेवार नहीं मंगाये गए थे. (ख) परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के द्वारा ली गई. शेष जानकारी निम्नानुसार है :-

पद (1)	परीक्षा दिनांक (2)	परीक्षा परिणाम दिनांक (3)	सत्यापन प्रारंभ दिनांक (4)
व्याख्याता	14-07-2019	01-10-2019	05-11-2019 से निरंतर
शिक्षक	25-08-2019	21-11-2019	17-01-2020 से निरंतर
सहायक शिक्षक विज्ञान	25-08-2019	21-11-2019	21-01-2020 से निरंतर
शिक्षक अंग्रेजी माध्यम	11-08-2019	20-11-2019	04-02-2020 से निरंतर
सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	11-08-2019	20-11-2019	27-01-2020 से निरंतर
सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	28-07-2019	16-10-2019	29-01-2020 से निरंतर

(ग) सत्यापन का कार्य अभी प्रचलन में है. नियुक्ति आदेश अभी जारी नहीं किया गया है. अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता

भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन/जर्जर शाला भवनों हेतु भवन की स्वीकृति

16. (*क्र. 212) **श्री गुलाब कमरो** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है तथा अति जर्जर एवं भवन विहीन स्कूल कितने हैं? (ख) वर्ष 2019-20 में माह नवंबर, 2020 तक कितने जर्जर एवं भवन विहीन स्कूलों का मरम्मत या नवीन भवन की स्वीकृति हुई है, तथा कितने स्वीकृति हेतु शेष है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत 464 शासकीय प्राथमिक, 196 शासकीय पूर्व माध्यमिक, 33 शासकीय हाईस्कूल एवं 20 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है तथा 17 शालाएं अति जर्जर एवं 08 शालाएं भवन विहीन है. (ख) वर्ष 2019-20 में माह नवंबर 2020 तक 10 जर्जर एवं भवन विहीन स्कूलों के स्थान पर नवीन भवन की स्वीकृति हुई है तथा 15 शालाएं भवन स्वीकृति हेतु शेष है.

बेमेतरा जिले के बेरला तहसील कार्यालय में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

17. (*क्र. 522) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा जिले के बेरला तहसील कार्यालय में वर्ष 2018 से वर्ष 2020 में नवम्बर, 2020 तक कितने राजस्व प्रकरण लंबित है? तहसील कार्यालय में वर्ष 2018-19, 2019-20 में कितने राजस्व प्रकरण हल किये गये ? (ख) वर्ष 2018-19, 2019-20 में बेरला तहसील में नामांतरण, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्रों के कितने प्रकरणों का निपटारा किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बेमेतरा जिले के बेरला तहसील कार्यालय में वर्ष 2018 से 2020 में नवम्बर, 2020 तक कुल 2234 राजस्व प्रकरण लंबित है. तहसील कार्यालय में वर्ष 2018-19 में कुल 2019 प्रकरण तथा 2019-20 कुल 4278 राजस्व प्रकरण हल किये गये. (ख) वर्ष 2018-19, 2019-20 में बेरला तहसील में नामांतरण, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्रों के निराकृत प्रकरणों की

निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20
1.	नामांतरण	1140	1762
2.	निवास प्रमाण पत्र	5342	9143
3.	जाति प्रमाण पत्र	4210	7625

रायपुर जिले के ग्राम चम्पारण श्री महाप्रभु जी महाराज सर्वराकार के नाम पर भूमि की खरीदी/बिक्री

18. (*क्र. 438) श्री धनेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की ग्राम-चम्पारण में श्री महाप्रभु जी महाराज सर्वराकार श्री बृजजीवन लाल जी महाराज के नाम पर वर्ष 2006-07 में कुल कितनी एकड़ भूमि, किस-किस खसरा नम्बर की थी ? पश्चात् किस-किस वर्ष में खरीदी, बिक्री या अन्य किस माध्यम से उक्त नाम पर किस-किस खसरा नम्बर एवं रकबा की भूमि जोड़ा गया और कम की गयी? दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक की जानकारी दें? (ख) क्या यह सही है, कि श्री महाप्रभु जी महाराज के नाम से सर्वराकार श्री बृजजीवन लाल जी महाराज के नाम से कोई ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है ? यदि हां, तो किस अधिकार से जमीन की बिक्री की जा रही है? इस अवैधानिक बिक्री की जांच एवं कार्यवाही शासन द्वारा कब तक की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले की ग्राम-चम्पारण में वर्ष 2006-07 में श्री महाप्रभु जी महाराज सर्वराकार श्री बृजजीवन लाल जी महाराज के नाम पर कुल 10 खसरा कुल रकबा 5.36 हेक्टेयर भूमि थी. उक्त भूमि की खरीदी/बिक्री या अन्य माध्यम से दर्ज भूमि का विवरण दिनांक 30 नवम्बर, 2020 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

वर्ष 2006-07 में कुल भूमि का विवरण			वर्ष 2006-07 पश्चात भूमि में कमी/वृद्धि का विवरण				कैफियत
ग्राम	ख.नं.	रकबा (हे.में.)	कमी/वृद्धि	खरीदी-बिक्री की जानकारी			
(1)	(2)	(3)		(4)	नामा. क्र.	आदेश दिनांक	वर्ष
चांपाझर	69	0.10	विक्रय से कमी	61	29-3-08	2008	माखनलाल तारक पिता बंशीलाल को विक्रय बारिस पिता कुमनदास को विक्रय किया गया.
	1186	1.34	प्राथमिक शाला चांपाझर को दान देने से कमी	रा.प्र.क्र. 45 अ/6	11-4-11	2010-2011	प्राथमिक शाला चांपाझर को दान स्वरूप प्रदान करने के कारण कमी.
	2575	0.26	विक्रय से कमी	72	3-4-08	2008	अंजू बेन पति अशोक कुमार को विक्रय किया गया.
	1166	0.25	-	-	-	-	-
	1169	0.45	-	-	-	-	-
	1176/1	2.12	-	-	-	-	-
	1197	0.59	-	-	-	-	-
	1210	0.16	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1420	0.05	-	-	-	-	-
	1804	0.04	-	-	-	-	-
योग	कुल खसरा 10	कुल रकबा 5.36 वर्ष 2006- 2007 की स्थिति में					
	738/2	1.72	बढ़ोत्तरी	42	-	2007- 2008	ख.नं. 738/2 पूर्व में शासकीय घास भूमि थी जिसे रा.प्र.क्र. 75-अ/6अ वर्ष 2007-08 आदेश दिनांक 22-12-2007 द्वारा भूमि श्री महाप्रभु-महाराज सर्वराकार ब्रजजीवन लाल के नाम पर दर्ज हुआ.
	738/2	0.700	बढ़ोत्तरी	54	-	2007- 2008	रा.प्र.क्र. 75-अ/6 अ वर्ष 2007-08 संशोधित आदेश दि. 10-03-2008 द्वारा भूमि श्री महाप्रभुमहाराज सर्वराकार ब्रजजीवन लाल के नाम पर दर्ज हुआ.
	738/2	2.40	कमी	-	-	2020	उक्त भूमि ख.नं.-738/2 रकबा 2.40 हे. उनके द्वारा अंमरिश कुमार पिता कुमनदास को विक्रय किया गया है, जिसे अनु.अधिकारी के रा.प्र.क्र.-312-ब/121 वर्ष 2018-2019 आदेश दिनांक 26-02-2020 के अनुसार शासन के पक्ष में निहित किया गया है.

(ख) श्री महाप्रभु जी महाराज सर्वराकार श्री ब्रजजीवन लाल के नाम से कोई ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है. वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर के ट्रस्ट पंजीयन पंजी में उक्ताशय के ट्रस्ट का पंजीयन नहीं है. उक्त ट्रस्ट द्वारा की गई जमीन बिक्री की जांच एवं कार्यवाही की जा रही है.

नगर पंचायत पंडरिया में कोटवारी भूमि का आवंटन

19. (*क्र. 754) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पंचायत-पंडरिया, जिला कबीरधाम, वार्ड क्रमांक-05 (मिनीमाता-वार्ड) क्षेत्र में कोटवारी भूमि आवंटित है ? यदि हां, तो कितनी भूमि, और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है ? (ख) क्या यह सही है, कि कंडिका "क" के तहत भूमि में बसाहट है ? यदि हां, तो कब से, क्या वहां शासन द्वारा मूलभूत सुविधा मुहैया कराई गई है ? (ग) क्या कंडिका "क" के तहत कोटवारी भूमि के बदले अन्य स्थान पर कोटवार की भूमि आवंटन की कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नगर पंचायत-पंडरिया, जिला कबीरधाम, वार्ड क्रमांक-05 (मिनीमाता-वार्ड) क्षेत्र में कोटवारी भूमि मालगुजारी/प्रोपाईटर द्वारा खसरा नंबर-36 रकबा-3.40 एकड़ भूमि आवंटित है। तथा वर्तमान में बसाहट है। उक्त भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय बिलासपुर में मामला विचाराधीन है। (ख) हां, ये सही है कि कंडिका “क” के तहत भूमिस्वामी भूमि बसाहट है लगभग वर्ष 2003-04 से बसाहट है। तथा शासन द्वारा बिजली, पानी व रास्ता की मूलभूत सुविधा मुहैया कराई गई है। (ग) छ.म. उच्च न्यायालय बिलासपुर में मामला लंबित होने के कारण कोटवारी/मालगुजारी के बदले अन्य स्थान पर कोटवार की भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई है।

जनपद पंचायत खड़गवां एवं मनेन्द्रगढ़ में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव

20. (*क्र. 554) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना अंग्रेजी माध्यम स्कूल जनपद पंचायत खड़गवां एवं जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में कब तक खोलने का प्रस्ताव है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है।

जिला राजनांदगांव में संचालित छात्रावास/आश्रम हेतु सामग्री क्रय

21. (*क्र. 825) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव के अंतर्गत मैट्रिक, प्री-मैट्रिक एवं स्नातकोत्तर स्तर के आवासीय छात्रावास/आश्रम कहां-कहां पर शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं? भवन विहीन एवं किराये पर छात्रावास/आश्रम कहां-कहां पर संचालित हैं? (ख) प्रश्न “क” अनुसार छात्रावासों/आश्रमों के लिये वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 30 नवम्बर, 2020 तक की अवधि में क्या-क्या सामग्रियां खरीदी गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों की जानकारी प्रपत्र “ब” पर दर्शित है। कोई भी संस्था किराये के भवन में संचालित नहीं है। (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है।

ग्राम देमार के चारागाह के लिए आरक्षित भूमि का विक्रय

22. (*क्र. 762) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम देमार के चारागाह के लिए आरक्षित चारागाह, घाट, गौठान, निस्तारी एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित लगभग 54 एकड़ जमीन जो लगभग 130-35 व्यक्तियों के संयुक्त नाम से थी जो ग्राम के एक व्यक्ति द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नियम विरुद्ध अपने नाम का विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत पर जांच की गई है? उक्त कार्य में सलिप्त लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और न ही उक्त भूमि का विक्रय किया गया है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में शालाओं हेतु फर्नीचर एवं कम्प्यूटर क्रय

23. (*क्र. 794) **श्री नारायण चंदेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि प्रदेश में 1 अप्रैल, 2018 से 30 नवम्बर 2020 तक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शालाओं हेतु फर्नीचर एवं कम्प्यूटर का क्रय किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने फर्नीचर व कम्प्यूटर का क्रय किया गया है ? जिलेवार, वर्षवार एवं सामग्रीवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कितने दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति करनी थी? निर्धारित समय अवधि में सामग्री आपूर्ति न करने पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां। शेषांश †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार क्रयादेश तिथि के 60 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति किया जाना था। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्रदायकर्ता फर्मों द्वारा निर्धारित समयावधि में सामग्री आपूर्ति कर दी गई थी। वर्ष 2020-21 में आपूर्ति की प्रक्रिया जारी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला बिलासपुर में भूमि विवाद के प्रकरणों का निराकरण

24. (*क्र. 53) श्री शैलेश पाण्डे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2020 तक जमीन के विवादों के कितने प्रकरण पंजीकृत हुए? उनमें से कितने प्रकरण निराकृत हुए ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2020 तक जमीन के विवादों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन) के कुल 16073 प्रकरण पंजीकृत हुए. जिसमें से 12182 प्रकरण निराकृत हुए.

बस्तर संभाग के पोटाकेबिन/आश्रमों/छात्रावासों में प्रदत्त छात्रवृत्ति

25. (*क्र. 758) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के कितने पोटाकेबिन आश्रमों/छात्रावासों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 30-11-2020 तक कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है? जिलेवार, वर्षवार जानकारी दें? (ख) क्या विगत 03 वर्षों में उक्त पोटाकेबिन आश्रम/छात्रावास में कम या अनियमित आश्रम छात्रवृत्ति प्रदान करने की शिकायत/जानकारी आई है? यदि हां, तो किन-किन संस्थानों की शिकायत प्राप्त हुई है? दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) जी हां. जिला नारायणपुर के पोटाकेबिन आश्रम/छात्रावास देवगांव में वर्ष 2019-20 की छात्रवृत्ति का भुगतान न होने की जानकारी प्राप्त हुई है. इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, नारायणपुर एवं प्रभारी प्राचार्य पोटाकेबिन, देवगांव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारंकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रायपुर जिले में आपदा प्रबंधन के तहत क्षतिपूर्ति का मुआवजा

1. (क. 15) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में जनवरी 2019 से अक्टूबर 2020 तक आपदा प्रबंधन के तहत कितने लोगों को क्षति पूर्ति हेतु मुआवजा कितनी राशि का प्रदान किया गया है ? कृपया विधानसभाक्षेत्रवार जानकारी बतायें ? (ख) क्या उक्त मुआवजा राशि में शासन के मापदंडों/दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो इस हेतु दोषी कौन है ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? विधानसभावार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में आपदा प्रबंधन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गई सहायता का विधानसभाक्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

विधानसभा क्षेत्र (1)	व्यक्तियों की संख्या (2)	दी गई सहायता राशि (3)
47-धरसीवा	1709	33350452.00
48-रायपुर ग्रामीण	120	12228800.00
49-रायपुर पश्चिम	113	7620300.00
50-रायपुर उत्तर	35	2143400.00
51-रायपुर दक्षिण	29	3772600.00
52-आरंग	7162	24991177.00
53-अमनपुर	3680	29850576.00

(ख) जी नहीं. कोई दोषी नहीं है. अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

रायपुर नगर अंतर्गत शासकीय शालाओं का मरम्मत/संधारण कार्य

2. (क. 16) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सही है कि शासकीय विद्यालयों के मरम्मत व संधारण कार्य से संबंधित दिशा निर्देश जून 2019 में जारी किए गए थे ? यदि हां तो इस राशि की मांग हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कौन थे, रायपुर नगर क्षेत्र में कितनी शालाओं के प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों द्वारा उक्त राशि की मांग की गई, एवं कितनी राशि की स्वीकृति मांग के विरुद्ध हुई ? शालावार जानकारी दें ? (ख) रायपुर नगर की कितनी शालाओं में मरम्मत एवं संधारण कार्य की आवश्यकता होना विभाग के सज्ञान में है तथा शिकायत प्राप्त हुई थी ? प्रश्नांश "क" के मांगकर्ता को छोड़कर अन्य शालाओं के प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों द्वारा मांग न करने एवं शालाओं के संधारण/रखरखाव के प्रति गंभीर न होने पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. इस पत्र की कंडिका 9 के अनुसार विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव संकलित कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने का निर्देश था. रायपुर नगर की 38 शालाओं के लिए राशि रु. 2080000.00 की मांग की गई थी. जिसके विरुद्ध 11 शालाओं के लिये राशि रु. 413604.00 की स्वीकृति दी गयी थी. शालावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) रायपुर नगर की 38 शालाओं में मरम्मत की आवश्यकता की जानकारी मिली जिनमें से 11 शालाओं को राशि जारी की गई. राशि की अनुपलब्धता के कारण शेष 27 शालाओं को अभी राशि जारी नहीं की जा सकी है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता.

जिला-बिलासपुर में शासन द्वारा प्रारंभ अंग्रेजी स्कूल

3. (क. 54) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ कुल कितनी शासकीय शालाओं को अनुमति प्रदान की गई है ? कुल कितने छात्र-छात्राओं को किन-किन कक्षाओं में प्रवेश दिया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में 4 शास. प्राथमिक शाला, 4 पूर्व माध्यमिक शाला एवं 4 शास. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शालाएं संचालित हैं. कक्षावार प्रवेश की जानकारी निम्नानुसार है :-

कक्षा (1)	छात्र (2)	छात्रा (3)	योग (4)
1.	200	179	379
2.	204	166	370
3.	168	160	328
4.	115	112	227
5.	104	116	220
6.	157	144	301
7.	162	135	297
8.	138	149	287
9.	113	84	197
10.	77	28	105
11.	106	58	164
12.	29	14	43

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर द्वारा खाद्य एवं बीज परिवहन हेतु जारी निविदा

4. (क. 120) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में जिला सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर द्वारा खाद्य एवं बीज परिवहन हेतु किस-किस ट्रांसपोर्टर को किस-किस दर पर टेंडर दिया गया ? वर्षवार बतायें ? (ख) कौन-कौन से ट्रांसपोर्टर को कहां-कहां से कितनी राशि भुगतान की गई, वर्षवार बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर द्वारा खाद्य परिवहन हेतु की गई निविदा, परिवहनकर्ता व परिवहन दर की वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर द्वारा बीज परिवहन नहीं किया जाता है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

भारत माला एक्सप्रेस हाईवे हेतु भूमि अधिग्रहण

5. (क. 142) **श्री सौरभ सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत माला एक्सप्रेस या राष्ट्रीय राजमार्ग/130 A के लिए जांजगीर चाम्पा है जिले के अकलतरा और बलौदा तहसील अंतर्गत किन-किन गांवों के कितने किसानों को किस दर से मुआवजा का प्रकरण कब-कब बना है ? (ख) उपरोक्त मुआवजा का भुगतान किस-किस गांव में कब-कब तक वितरण किया गया कृषक के नाम सहित जानकारी बताये ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर अनुविभाग के अंतर्गत भारत माला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग/130 ए निर्माण में तहसील अकलतरा के 06 ग्रामों एवं तहसील बलौदा के 12 ग्रामों के कुल 1007 किसानों के प्रभावित भूमि का विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में मुआवजा का निर्धारण किया गया है. विवरण परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) विभाग से मुआवजा राशि प्राप्त होने पर संबंधित भूमि स्वामियों को यथा शीघ्र ही मुआवजा भुगतान कर दिया जावेगा. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कमार जन जाति परिवारों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

6. (क्र. 331) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कमार जनजाति परिवारों के विकास के लिए सत्र 2018 से अब तक कितनी राशि किन-किन मदों में स्वीकृत की गई है एवं कितनी व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) उक्त योजनाओं के अनुरूप कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है ? (ग) शासन की योजनाओं के अनुसार 12वीं उत्तीर्ण कितने कमार बच्चों को नौकरी दी गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

		(राशि लाखों में)					
क्र.	वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोगना मद		केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना मद (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह)		योग	
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2017-18	0.000	0.000	38.666	34.786	38.666	34.786
2.	2018-19	0.000	0.000	41.550	37.750	41.550	37.750
3.	2019-20	1.974	1.208	56.473	34.495	58.447	35.703
4.	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		1.974	1.208	136.689	107.031	138.663	108.239

विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोगना मद पर वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से आवंटन अप्राप्त एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना मद (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) में भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार कार्यवार आवंटन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण जानकारी निरंक दर्शायी गई है. (ख) विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोगना मद से 50 परिवार एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना मद (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) से 849 परिवार, इस प्रकार कुल 899 परिवारों को लाभान्वित किया गया है. (ग) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासन की योजनाओं के अनुसार 12वीं उत्तीर्ण 55 कमार अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान की गई है.

जिला सहकारी संघ मर्यादित, बालोद के विरुद्ध शिकायत की जांच

7. (क्र. 375) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ मर्यादित, बालोद के प्रबंधकारिणी के विरुद्ध अगस्त, 2020 में सेवा सहकारी समिति सोरर के अध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत की जांच पूर्ण हुई है या नहीं ? यदि हां तो, जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, जाँच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां, कलेक्टर बालोद द्वारा जांच करायी गयी है. जांच प्रतिवेदन में तात्कालिक अध्यक्ष श्री झुनमुन गुप्ता के विरुद्ध शिकायत के तथ्य प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है. जांच प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) बालोद से उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद को दिनांक 15-12-2020 को प्राप्त हुआ है, जिसमें विधिसम्मत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

सरगुजा संभाग अंतर्गत संचालित समितियाँ

8. (क्र. 424) डॉ. प्रीतम राम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत कितनी सहकारी समितियाँ संचालित हैं ? जिलेवार विवरण दें. (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार उक्त समितियों द्वारा कितने कृषकों का पंजीयन किया गया है ? (ग) प्रश्नांक "ख" अनुसार कृषकों के शतप्रतिशत पंजीयन के लिए क्या कार्य योजना है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत कुल 177 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है, जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	वर्तमान कुल सहकारी समितियों की संख्या (3)
1.	सरगुजा	39
2.	बलरामपुर	37
3.	सूरजपुर	47
4.	कोरिया	30
5.	जशपुर	24
कु ल		177

(ख) उक्त समितियों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु 159531 कृषकों का पंजीयन किया गया है. (ग) धान खरीदी के पंजीयन हेतु दिनांक 17-08-2020 से 31-10-2020 तक तिथि निर्धारित की गयी थी, तत्पश्चात् किसानों की सुविधा हेतु पंजीयन की तिथि में वृद्धि कर दिनांक 17-11-2020 तक की गई.

प्रदेश में रिक्त तहसीलदार व ए.एस.एल.आर. के रिक्त पद

9. (क. 425) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार व ए.एस.एल.आर. के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? जिलेवार जानकारी प्रदान करेंगे. (ख) इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किए जाने के संबंध में क्या कोई विभागीय परीक्षा आयोजित की गई ? यदि हां तो कब तथा कितने पदों पर भर्ती की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रदेश में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 1 पद पर ए.एस.एल. आर. के 8 पद वर्तमान में रिक्त हैं. जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से समिति प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन दिनांक 20-7-2014 को किया गया. नायब तहसीलदार के 57 पदों पर भर्ती की गई. ए.एस.एल.आर. की भर्ती विभागीय परीक्षा के माध्यम से आयोजित नहीं की जाती है.

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूलों का उन्नयन

10. (क. 439) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में किन-किन जिलों की कौन-कौन सी पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूलों का उन्नयन कर नए हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के वार्षिक बजट 2020-21 में प्रावधानित कर किया गया था ? (ख) किस-किस जिले की किस-किस ग्राम की नई हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है एवं किस कारणों से स्वीकृति नहीं दी गई है ? कब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) किसी भी शाला को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है. कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर स्वीकृति नहीं दी जा सकी है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जशपुर-आरा-सरकडेगा मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मुगतान

11. (क. 491) **श्री विनय कुमार भगत** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर-आरा-सरकडेगा मार्ग हेतु कुल कितने किसानों/व्यवित्तियों की कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” हेतु अधिग्रहित भूमि का

मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां तो कितने को किस दर पर, कितना शेष है और क्यों ? शेष मुआवजा का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जशपुर-आरा-सकरडेगा मार्ग के निर्माण हेतु कुल 204 किसानों का कुल रकबा 18.152 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही किया जाना है. (ख) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 02 वर्ष से अधिक अवधि के होने के कारण आवेदक विभाग को नये सिरे से प्रकरण/प्रस्ताव तैयार कर अनुमानित मुआवजा राशि जमा करने निर्देशित किया गया है. आवेदक विभाग से प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत कार्यवाही कर राशि भुगतान की कार्यवाही की जाएगी.

जिला जशपुर में चोंपाटोली से शंख तक निर्माणाधीन सड़क का मुआवजा भुगतान

12. (क्र. 492) **श्री विनय कुमार मगत** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चोंपाटोली से शंख तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के निर्माण हेतु कुल कितने किसानों/व्यक्तियों की कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां तो कितने को किस दर पर, कितना शेष है और क्यों ? शेष मुआवजा का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अनुभाग जशपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में निर्माण हेतु कुल 73 किसानों का कुल रकबा 4.178 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित किया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" में अधिग्रहित भूमि रा.प्र. क्र. 01/अ-82/2018-2019 में दिनांक 05-11-2019 को अवाई पारित किया जा चुका है. राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पोर्टल "लैण्ड एक्वीजिशन पोर्टल भूमिरक्षा" में हितग्राहियों द्वारा प्रदाय किये गए बैंक खातों की ऑनलाईन एन्ट्री की कार्यवाही की जा रही है. विभाग से अपूर्ण होने के पश्चात् मुआवजा राशि का यथाशीघ्र भुगतान कर दी जाएगी.

समग्र शिक्षा अंतर्गत ऑडिट/टेली का भुगतान

13. (क्र. 517) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि समग्र शिक्षा अंतर्गत केन्द्रांश/राज्यांश राशि का क्या अनुपात है ? क्या इसमें ऑडिट/टेली का प्रावधान है ? यदि हां तो क्या उक्त के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा से कोई ज्ञापन/आदेश प्राप्त हुआ है, यदि हां तो क्या उक्त पत्र में भुगतान के संबंध में कोई निर्देश दिया गया है ? यदि हां तो ऑडिट/टेली के भुगतान के संबंध में क्या निर्देश दिया गया है ? और यदि नहीं तो किस आधार पर ऑडिट/टेली का बिल प्रस्तुत किया जा रहा है ? विगत 3 वर्षों में ऑडिट/टेली के नाम से कितना भुगतान किया जा चुका है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : समग्र शिक्षा अंतर्गत केन्द्रांश/राज्यांश राशि का अनुपात 60:40 है. जी हां, इसमें ऑडिट/टेली का प्रावधान है. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा जिलों को लेखाओं का टेली साफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं. टेली साफ्टवेयर के माध्यम से लेखाओं की प्रविष्टि की जाती है, जिसके पश्चात् सी.ए. द्वारा लेखाओं का परीक्षण कराया जाता है. आडिट का कार्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित सी.ए. द्वारा किया जाता है. तथा टेली एंटी का कार्य स्थानीय स्तर पर कराकर संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर स्थानीय स्तर पर भुगतान किया जाता है. राज्य परियोजना से भुगतान के संबंध में निर्देश जारी नहीं किया गया है. विगत 3 वर्षों में कुल रु. 1,56,99,126/- का भुगतान किया गया है.

SECL द्वारा लिज पर ली गई भूमि

14. (क्र. 555) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिरमिरी में साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड की कितनी जमीन लीज एरिया में ली गई है ? इनमें से कितनी भूमि पर खदानें संचालित की जा रही है ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार लीज की अवधि कब तक है, जिन भूमि पर खदानें बंद की जा चुकी है उन भूमि को शासन को लौटाने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ? (ग) लीज की शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर शासन लीज भूमि को पुनः वापस प्राप्त करने हेतु कब तक कार्यवाही करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) चिरमिरी क्षेत्र अन्तर्गत स्थित सात खदानों के लिए वनभूमि 5261.981 हे., राजस्व वनभूमि 302.933 हे. एवं राजस्व भूमि 590.620 हे. टेनेसी लैण्ड 504.324 हे. एवं 104.800 हे. अतिरिक्त वनभूमि कुल 6764.658 हे. की लीज

स्वीकृत है। उक्त भूमि में से अद्यतन स्थिति में 3760.680 हे. क्षेत्र पर खदानें संचालित हैं। (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार एम.सी.आर. के तहत संचालित खदानों की लीज अवधि 2035 तक है, तथा सी.बी. एक्ट 1957 के तहत लीज कोयला मंत्रालय भारत सरकार से सर्वकालिक (परपेट्यूअल) ली गई है। एस.ई.सी.एल. चिरमिरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में नार्थ चिरमिरी कालरी से कोयला उत्खनन का कार्य पूर्ण हो चुका है। तकनीकी रिपोर्ट खनिज संसाधन विभाग मंत्रालय रायपुर को भेजी जा चुकी है। लीज वापसी की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर नार्थ चिरमिरी कालरी की 777.00 हे. वन विभाग को वापस करने की कार्यवाही की जावेगी। एस.ई.सी.एल. चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत ली गई लीज क्षेत्र की भूमि का उपयोग के उपरांत केन्द्र/राज्य शासन की अनुमति एवं अधिरोपित शर्तों के अनुसार वापस करने का प्रावधान है। (ग) लीज की शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित खनिज पट्टों पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) 1957 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

जिला रायपुर में जिला निर्माण समिति के माध्यम से व्यय राशि

15. (क. 607) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की जिला निर्माण समिति के माध्यम से वर्ष 2018 से 2020 में कितने कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है ? (ख) क्या जिला निर्माण समिति द्वारा निविदा ऑफलाईन आमंत्रित की गई है ? यदि हां तो तत्संबंधी राज्य शासन के आदेश की जानकारी दी जावे ? (ग) उक्त वित्तीय वर्ष में आमंत्रित निविदा कितने निविदाकारों को आबंटित की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर जिले में जिला निर्माण समिति नहीं है, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला रायपुर में संचालित शालाओं हेतु फर्नीचर खरीदी

16. (क. 608) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर में संचालित शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में सितम्बर तक कुल कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है ? (ख) सप्लायर/संस्था/फर्म द्वारा कितनी-कितनी मात्रा एवं किस दर पर फर्नीचर की सप्लाय की गई है ? (ग) कितनी स्कूल एवं संस्थाओं में गुणवत्ता विहीन फर्नीचर सप्लाय की शिकायत प्राप्त हुई है जानकारी देवें ? (घ) जिला रायपुर की कितनी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है नाम सहित जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला रायपुर में संचालित शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2018-19 में कुल 4,62,51,784 रु. एवं 2019-20 में सितम्बर तक कुल 3,57,91,905 रु. राशि आबंटित की गई है। (ख) अप्रैल 2018 से सितम्बर 2019 तक सप्लायर द्वारा वर्ष 2018-19 में 8253 सेट फर्नीचर जेम द्वारा निर्धारित दर 2,537 रु. प्रति सेट पर सप्लाय की गई। (ग) गुणवत्ता विहीन फर्नीचर सप्लाय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (घ) निरंक.

संयुक्त संचालक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति की पात्रता

17. (क. 619) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संयुक्त संचालक संवर्ग के कुल कितने पद सौंपे गये हैं ? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार संयुक्त संचालकों के पद पर किसे पदोन्नति की पात्रता थी ? क्या पदोन्नति में शासन के नियमों का पालन किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संयुक्त संचालक संवर्ग का 01 पद सौंपा गया है। (ख) संयुक्त संचालक के पद पर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2009 दिनांक 13 नवम्बर 2009 की अनुसूची 4 के अनुसार पात्रता थी. जी हां.

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के स्कूलों में कोविड-19 से बचाव हेतु सामग्री क्रय

18. (क्र. 620) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के किन-किन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए स्कूलों के लिए सामग्री खरीदी गई ? सामग्रीवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक "ख" के अनुसार क्या उक्त खरीदी में छत्तीसगढ़ क्रय अधिनियम का पालन किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी एवं सिमगा द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए शालाओं के लिए फिनाईल, टायलेट वलीनर, हैण्डवाश, सेनेटाईजर, बाल्टी, मग, डस्टबिन व टायलेट ब्रश खरीदी गईं। (ख) जी हां।

जांजगीर-चांपा जिला में वर्षा से क्षतिग्रस्त मकान एवं फसल का मुआवजा

19. (क्र. 627) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिला में बे मौसम वर्षा से फसल व मकान की कितनी क्षति हुई है और क्षति की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से नुकसान की क्षतिपूर्ति के कितने प्रकरण बनाए गए हैं विकासखण्डवार, गांव के नाम, पीड़ित का नाम एवं राशि सहित बताएं ? (ग) राजस्व विभाग द्वारा क्षति के आकलन हेतु कितने गांवों में सर्वे किया गया विकासखण्डवार गांव की जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिला में बे मौसम वर्षा से फसल व मकान की क्षति नहीं हुई है और न ही कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) कोई प्रकरण नहीं बनाये गये हैं। विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है। (ग) बेमौसम बरसात से क्षति नहीं होने के कारण सर्वे नहीं कराया गया है।

राज्य में संचालित निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजना

20. (क्र. 642) **श्री अरुण वीरा** (श्री शिवरतन शर्मा) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति विकास विभाग द्वारा निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजनाएं राज्य में संचालित हैं ? (ख) क्या वर्तमान वर्ष में भी निजी क्षेत्रों के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेशित विद्यार्थियों के अतिरिक्त, शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेशित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जी हां।

भारत माला परियोजना अंतर्गत दुर्ग से आरंभ तक सड़क निर्माण

21. (क्र. 643) **श्री अरुण वीरा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत माला परियोजना की सीक्स लेन एक्सप्रेस-वे परियोजना के तहत दुर्ग के अंजोरा से रायपुर के आरंभ के बीच कुल कितने किलोमीटर सीक्सलेन एक्सप्रेस-वे, कारिडोर, सड़क निर्माण प्रस्तावित हैं ? (ख) इसमें से कुल कितने किलोमीटर सीक्सलेन एक्सप्रेस कारिडोर दुर्ग व पाटन ब्लॉक से होकर गुजरेगी ? इसके लिए कुल कितने ग्राम की कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है ? (ग) किसानों की इन अधिग्रहित जमीनों के मुआवजे का निर्धारित किस दर पर कितने किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) भारत माला परियोजना की सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे परियोजना के तहत दुर्ग अंजोरा से रायपुर के आरंभ के बीच कुल 92.25 किलोमीटर सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे, कारिडोर, सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। (ख) कुल 40.600 कि.मी. सिक्सलेन एक्सप्रेस कारिडोर दुर्ग व पाटन ब्लॉक से होकर गुजरेगी। इसके लिये 25 ग्रामों के कुल 1363 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। (ग) किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तत्समय निर्धारित गार्ड-लाईन दर से 2 गुणक की दर पर किया गया है। अवाई की राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा का वितरण किया जावेगा।

कांकेर नगर स्थित पुराना बस स्टैण्ड में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

22. (क्र. 649) **श्री ननकौराम कंवर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर नगर स्थित पुराना बस स्टैण्ड में स्थापित कितने दुकान एवं संस्थानों के द्वारा अपनी काबीज नजूल की शासकीय भूमि को निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय करने के उद्देश्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कांकेर नगर पालिका को आवेदन प्रस्तुत किए हैं ? कितने आवेदनों को समय सीमा में निराकृत किया गया है ? एवं कितने को नहीं तथा क्यों, विलंब हेतु कौन दोषी हैं ? (ख) क्या उक्त स्थान में पूर्व से काबीज नजूल के भूमिधारियों द्वारा जो प्रश्नांश "क" हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं अथवा नहीं, को क्या नगर पालिका द्वारा अपने व्यावसायिक उपयोग हेतु रिक्त कराया जा रहा है ? यदि हां तो किसके आदेश से नाम सहित बतावें ? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" की व्यवसायिक उपयोग हेतु रिक्त कराई गई/रिक्त कराई जा रहा भूमि हेतु संबंधित नगर पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क शासन को जमा कर दिया गया है ? यदि हां तो कितने रकबे की भूमि की, कितनी राशि एवं कब ? क्या उक्त भूमि नगर पालिका को हस्तांतरित कर दी गई है ? यदि नहीं तो नगर पालिका द्वारा रिक्त कराने का आधार क्या है ? (घ) नजूल की भूमि को नगरीय निकाय को हस्तांतरित करने हेतु क्या प्रक्रिया है बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) कांकेर नगर स्थित पुराना बस स्टैण्ड में स्थित 4 दुकानदारों द्वारा अपनी काबीज नजूल की शासकीय भूमि को निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय करने के उद्देश्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कांकेर नगर पालिका में नजूल विभाग कांकेर के माध्यम से अभिमत हेतु पत्र प्राप्त हुआ है. नजूल विभाग द्वारा प्राप्त 4 में से 3 का निराकरण कर दिया गया है एवं 01 विवादित होने के कारण लंबित है. नगरपालिका द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक 5601 दिनांक 27-01-2020 को पत्र के माध्यम से शीट क्रमांक 13ए प्लॉट नम्बर 99/1 क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर भूमि को नगरपालिका परिषद कांकेर द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूमि आबंटन की मांग की गई थी. उक्त भूमि में 37 आवेदनकर्ताओं द्वारा नजूल अधिकारी कांकेर को अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. उक्त 37 प्रकरण को नगरपालिका द्वारा पत्र क्रमांक 5601 दिनांक 27-01-2020 के द्वारा अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु पट्टा न दिया जाये के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत किया गया था. (ख) कांकेर नगर स्थित पुराना बस स्टैण्ड में पूर्व से काबीज नजूल के भूमि धारियों द्वारा जो प्रश्नांश "क" हेतु 04 आवेदन प्रस्तुत किया गया है. उसे नगरपालिका द्वारा अपने व्यवसायिक उपयोग हेतु रिक्त नहीं करवा रहा है. उक्त दुकानदारों को नदी के किनारे स्थित होने के कारण वर्षा ऋतु में बाढ़ से होने वाले हानि के बचाव हेतु रिटेनिंग वाल बनाने हेतु रिक्त भूमि में पहले कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर व्यवस्थापन पश्चात् रिक्त करवाया जावेगा. यह पालिका की आय के स्रोत बढ़ाने की योजना के तहत कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जावेगा. (ग) व्यवसायिक उपयोग हेतु कोई भी भूमि रिक्त नहीं कराया जा रही है. व्यवस्थापन हेतु व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर व्यवस्थापन पश्चात् रिक्त कराई जावेगी. पुराना बस स्टैण्ड की भूमि नगर पालिका के प्रबंधन में है. नगर पालिका कांकेर द्वारा कोई शुल्क जमा नहीं कराया गया है. आबंटन हेतु न्यायालय नजूल में प्रकरण विचाराधीन है. (संपूर्ण पुराना बस स्टैण्ड की नजूल भूमि हेतु आवेदन विचाराधीन है.) उक्त भूमि नगर पालिका को हस्तांतरित नहीं की गई है. रिक्त भूमि में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण कर व्यवस्थापन पश्चात् रिक्त करवाकर रिटेनिंग वाल का निर्माण कराया जाना है. (घ) राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-07/सात-/2019 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 में नगरीय निकाय को व्यवसायिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के आबंटन हेतु 7500 वर्गफीट तक का अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये हैं. नगरीय निकाय को व्यवसायिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के आबंटन हेतु प्रब्याजी का निर्धारण प्रचलित गाईड लाईन की 25 प्रतिशत के बराबर तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 एवं छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के सभी प्रावधानों तथा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं.

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़क रास्ता मद की भूमि

23. (क्र. 667) **श्री मुनेश्वर शोमाराम बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्राम में सड़क रास्ता मद (धरसा) में कितनी भूमि दर्ज है ? खसरावार ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) सड़क रास्ता मद में दर्ज कितनी भूमि में मिट्टी/डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण किया जा चुका है व कितने ग्राम में शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़क रास्ता मद में दर्ज भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले तहसीलों का नाम	कुल ग्राम की संख्या	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डोंगरगढ़	57	650	517.525
2.	खैरागढ़	128	1437	1064.22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	राजनांदगांव	91	1448	1533.039
	कुल योग	276	3535	3114.784

ग्रामवार/खसरावार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) सड़क रास्ता मद में दर्ज 2868.131 हे. भूमि में मिट्टी/डब्ल्यू.बी.एम.सड़क एवं अन्य निर्माण किया जा चुका है एवं 106 ग्राम में शेष है.

आमदी नगर हुडको मिलाई में आवासीय व व्यवसायिक भू-खण्ड के पट्टों का निष्पादन

24. (क्र. 707) **श्री देवेन्द्र यादव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आमदी नगर हुडको मिलाई जिला-दुर्ग प.ह.नं.-19 खसरा नं. 01 व 02 का टुकड़ा स्थित 70.14 हेक्टेयर भूमि में से कितने आवासीय व व्यवसायिक भू-खण्डों के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन किया जा चुका है ? (ख) शेष बचे आवासीय एवं व्यवसायिक भू-खण्डों के पट्टे का निष्पादन नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) आमदी नगर हुडको मिलाई जिला-दुर्ग प.ह.नं.-19 खसरा नं.-01 व 02 का टुकड़ा स्थित 70.14 हेक्टेयर भूमि में आवासीय 1034, व्यवसायिक 01 एवं आवासीय सह व्यावसायिक 33 कुल 1068 भू-खण्डों के पट्टे का निष्पादन एवं 282 पट्टों का पंजीयन किया गया है. (ख) शेष बचे आवासीय एवं व्यावसायिक भू-खण्डों के पट्टे का निष्पादन का कार्य प्रक्रियाधीन है.

राज्य शासन तथा मिलाई इस्पात संयंत्र के मध्य हुडको मिलाई की भूमि हेतु निष्पादित एग्रीमेंट

25. (क्र. 708) **श्री देवेन्द्र यादव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आमदी नगर हुडको मिलाई जिला-दुर्ग प.ह.नं.-19 खसरा नं.-01 व 02 का टुकड़ा में स्थित 70.14 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण के संबंध में राज्य शासन व मिलाई इस्पात संयंत्र के बीच में कोई एग्रीमेंट/स्वत्व संबंधी दस्तावेज निष्पादन हुआ है ? यदि हां तो कब ? (ख) क्या उक्त भूमि को बिना एग्रीमेंट/स्वत्व संबंधी एग्रीमेंट के नजूल भूमि सरकार द्वारा घोषित की जा सकती है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) आमदी नगर हुडको मिलाई प.ह.नं.-19 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 01, 02 का टुकड़ा स्थित 70.14 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-248/सात-1/2003 दिनांक 11-07-2008 के अनुसार उक्त भूमि पर आवासीय व व्यावसायिक एवं शैक्षणिक भूखण्डों का मिलाई इस्पात संयंत्र के आबंटितियों को शासन द्वारा पट्टा आबंटित करने की स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की गई है. राज्य शासन व मिलाई इस्पात संयंत्र के बीच एग्रीमेंट/स्वत्व संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं है. (ख) राजस्व पुस्तक परिपत्र में नजूल भूमि घोषित किये जाने का प्रावधान है.

जिला रायगढ़ को बाढ़ राहत आपदा मद से स्वीकृति एवं व्यय राशि

26. (क्र. 739) **श्री प्रकाश शर्माजीत नायक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बाढ़ राहत आपदा राशि का उपयोग किस-किस कार्य के लिए किया जा सकता है ? किस कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाती है ? रायगढ़ जिले के लिए वर्ष 20-21 में कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) उक्त स्वीकृत राशि में से बाढ़ राहत के लिए किस-किस कार्य के लिए किस-किस एजेंसी को कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ? (ग) गत माह अगस्त-सितम्बर 2020 में रायगढ़ जिले के महानदी में आये मीषण बाढ़ से हुए क्षति के पूर्ति हेतु रायगढ़ जिले को क्या अतिरिक्त राशि का आबंटन प्रस्तावित है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राज्य आपदा मोचन निधि की राशि का उपयोग राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक सहायता बाढ़ से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की मरम्मत कार्य हेतु किया जा सकता है. आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्राथमिकता दी जाती है. रायगढ़ जिले को वर्ष 2020-21 में बाढ़ से प्रभावित हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु रुपये 766.14 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है. (ख) उक्त राशि से बाढ़ से प्रभावित हितग्राहियों को जन-हानि, पशु-हानि, मकान क्षति एवं राहत शिविरों पर व्यय किया जावेगा. कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है और न ही किसी कार्य एजेंसी को राशि दी गई है. (ग) जी हां.

रायगढ़ जिले के धान परिवहन में व्यय राशि

27. (क्र. 740) श्री प्रकाश शर्माजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धान खरीदी वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में रायगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान के परिवहन में वर्षवार एवं जिलेवार किस-किस दर पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) उक्त खरीद किये गये धान के परिवहन के लिए कितनी-कितनी राशि का मुगतान किस-किस परिवहनकर्ताओं को कब-कब, कितना-कितना किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान का स्टॉक मिलान

28. (क्र. 755) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में कुल कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई ? जिलेवार ब्यौरा दें ? इसके लिए कितने खरीदी केन्द्र, संग्रहण केन्द्र बनाए गए थे ? (ख) कंडिका “क” के तहत धान का स्टॉक मिलान कब-कब कराए गए ? कितनी-कितनी मात्रा में धान कष्टम मिलिंग के लिए उठाया गया ? स्टॉक में कितनी कमी पाई गई ? जिलेवार ब्यौरा दें ? (ग) कंडिका “क” के तहत स्टॉक में धान की कमी पाए जाने पर किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) धान खरीदी की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार है. खरीदी केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र की जानकारी निम्नानुसार है :-

खरीफ विपणन वर्ष	कुल खरीदी केन्द्र	कुल संग्रहण केन्द्र
2018-19	1995	84
2019-20	2048	87

(ख) धान उपार्जन केन्द्रों में स्टॉक मिलान का दिनांक, मिलर को प्रदाय मात्रा एवं कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार है. संग्रहण केन्द्रों द्वारा मिलर को प्रदाय धान की मात्रा एवं सूखत/कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“स” अनुसार है. (ग) उपार्जन केन्द्र/समिति स्तर पर स्टॉक में कमी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“द” अनुसार है. संग्रहण केन्द्र स्तर पर वर्ष 2018-19 में स्टॉक में कमी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“इ” अनुसार है. संग्रहण केन्द्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निराकरण पश्चात कमी की जानकारी प्राप्त हो सकेगी.

धमतरी जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की संचालित शाखाएं

29. (क्र. 761) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छत्तीसगढ़) की कितनी शाखा संचालित की जा रही है ? कितने शाखा स्वयं के भवन में है, कितने किराये के भवन पर संचालित की जा रही है ? (ख) क्या धमतरी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत आमदी एवं ग्राम मोंगरागहन में जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर (छत्तीसगढ़) की शाखा शुरू करने विभाग को मांग पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर की 11 शाखाएं जिला धमतरी में संचालित की जा रही है, इसमें से 07 शाखाएं स्वयं के भवन में तथा 04 किराये के भवन में संचालित हैं. (ख) जी हां. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर स्तर पर कार्यवाही की जा रही है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के साराडीह बैराज हेतु जमीन अधिग्रहण मुआवजा

30. (क्र. 765) **श्रीमती उत्तरी मनपत जांगड़े** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के साराडीह बैराज के अंतर्गत कितने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था ? कितने किसानों को मुआवजा राशि प्राप्त हुई है ? कितनी अप्राप्त है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साराडीह बैराज के अंतर्गत कुल 872 किसानों के जमीन का अधिग्रहण किया गया था. 737 किसानों को मुआवजा राशि प्राप्त हुई है. शेष 135 किसानों को मुआवजा राशि वितरण शेष है.

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के शासकीय स्कूलों में ऑन लाईन अध्यापन व्यवस्था

31. (क्र. 773) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित कुल शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बच्चों के लिए अध्यापन व्यवस्था करने कौन-कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? शालाओं के स्तरवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में कुल संचालित शालाओं में से कितनों में यह व्यवस्था लागू है तथा कुल कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सभी स्कूल बंद है. बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए पढ़ाई तुरंत द्वार कार्यक्रम संचालित है. जिसमें कुल 24,71,493 बच्चे लाभान्वित है. क्योंकि स्कूल संचालित नहीं है, इसलिए शालाओं के स्तरवार जानकारी देना संभव नहीं है.

राज्य के हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों को प्रदत्त आहरण सवितरण अधिकार

32. (क्र. 774) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य में ऐसे कितने हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जिन्हें आहरण सवितरण अधिकार प्रदत्त नहीं है ? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में आहरण-सवितरण अधिकार अब तक प्रदत्त न होने का क्या कारण है ? यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके तहत सतत् रूप से आवश्यक कार्यवाही की जाती है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

बलौदाबाजार-भाटापारा में धान खरीदी हेतु पंजीयन रकबे में कमी

33. (क्र. 791) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों का कुल कितने रकबे का समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु पंजीयन किया गया है ? (ख) बलौदाबाजार भाटापारा जिले में वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में किस-किस तहसील के कितने-कितने किसानों का रकबा गिरदावली में कम किया गया है रकबा कम करने के क्या कारण है ? (ग) शासन को बलौदाबाजार भाटापारा जिले में किस-किस तहसील में कितने-कितने किसानों के धान विक्रय हेतु पंजीयन न होने की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन एवं रकबे की जानकारी जिलेवार निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	पंजीकृत किसान		पंजीकृत कुल रकबा (हेक्टेयर में)	
		वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	116700	121671	139238.68	138392.73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	महासमुंद	134392	140951	216252.17	213035.09
3.	धमतरी	105359	111391	139931.14	119720.02
4.	बलौदाबाजार-भाटापारा	151700	163333	183064.541	183043.682
5.	गरियाबंद	71441	75904	96851	96381.39
6.	दुर्ग	88357	95169	108688.89	112963.84
7.	बेमेतरा	116807	130008	152956	161817.17
8.	बालोद	124491	130888	153835.39	153928.92
9.	कबीरधाम	85430	100385	100462.15	108764.17
10.	राजनांदगांव	176406	194330	240165.50	254236.72
11.	बिलासपुर	95320	105533	123070.80	123766.56
12.	मुंगेली	72736	82720	92563.40	88881.75
13.	जांजगीर-चांपा	173239	188221	219606.89	217712.71
14.	रायगढ़	94667	105589	149360.36	152448.72
15.	कोरबा	27695	32274	45805.16	48324.49
16.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	12097	14771	21554.75	25650.20
17.	सरगुजा	33075	38023	53413.56	53347.31
18.	सूरजपुर	35406	42864	53626.02	61672.57
19.	बलरामपुर	28157	32872	43301.58	44851.01
20.	कोरिया	19541	24856	31761.99	35484.08
21.	जशपुर	18334	22392	39263.46	44570.13
22.	बस्तर	29944	33539	50528.53	54518.24
23.	काकेर	74280	81830	109627.28	107466.26
24.	कोण्डागांव	32060	36188	47803.34	52127.43
25.	दंतेवाड़ा	7265	7405	21878.73	21257.31
26.	बीजापुर	11093	13299	27205.07	32266.63
27.	सुकमा	11540	12479	28838.64	32480.03
28.	नारायणपुर	4452	5346	6908.50	7521.21

(ख) बलौदाबाजार भाटापारा जिले में वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में गिरदावरी के दौरान किसानों द्वारा बोए गए वास्तविक रकबे में कोई कमी नहीं की गई है.

(ग)	क्र. (1)	तहसील (2)	शिकायतों की संख्या (3)	कार्यवाही (4)
	1.	बलौदाबाजार	04	बलौदाबाजार, पलारी, बिलाईगढ़ में किसान पंजीयन संबंधी शिकायतें निराधार होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है. कसडोल तहसील में धान विक्रय हेतु पंजीयन न होने के संबंध में प्राप्त 95 आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
	2.	पलारी	12	
	3.	सिमगा	0	
	4.	भाटापारा	0	
	5.	कसडोल	95	
	6.	बिलाईगढ़	09	
		योग	120	

जिला राजनांदगांव में स्कूल शिक्षा विभाग में स्मार्ट क्लास की स्थापना एवं सामग्री क्रय

34. (क्र. 798) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले में स्मार्ट क्लास की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) यदि हां तो स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है ? स्मार्ट क्लास की स्थापना व संचालन हेतु अन्य विभाग या स्रोतों से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ग) स्मार्ट क्लास के लिए सामग्री की खरीदी किन मापदंडों के आधार पर किस एजेंसी से की गयी है ? विकासखण्डवार, शालावार, निविदा प्रक्रिया व एजेंसी को किये गये भुगतान की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. (ख) आई.सी.टी. योजना अन्तर्गत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु दर्ज संख्या, विद्युत व्यवस्था एवं कक्ष संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ होने का मापदण्ड था. राजनांदगांव जिले में संचालित 65 पूर्व माध्यमिक शालाओं में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने हेतु कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा खनिज न्यास निधि से 250 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, राशि प्राप्त नहीं हुई है. (ग) आई.सी.टी. योजना अन्तर्गत भारत शासन के मापदण्ड अनुसार ऑनलाईन खुली निविदा द्वारा पूरे राज्य के लिए एजेंसी का चयन किया गया. न्यूनतम निविदाकार मेसर्स बेनेट कोलमेन एण्ड कंपनी, मुंबई को इस हेतु कार्यदिश दिया गया है. शेषांश की जानकारी निरंक है.

जिला राजनांदगांव में डेयरी विकास कार्यक्रम हेतु आबंटित लक्ष्य

35. (क्र. 799) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2015-16 में एकीकृत आदिवासी उपयोजना की विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राजनांदगांव जिले में डेयरी विकास कार्यक्रम एवं अन्य कार्यों के लिए लक्ष्य एवं आबंटन प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हां तो लक्ष्य के विरुद्ध किन-किन ग्रामों में कौन-कौन से कार्य संपादित कर कितनी राशि व्यय की गयी है ? योजनान्तर्गत व्यय की वर्षवार, ग्रामवार, कार्यवार राशिवार व पूर्ण अपूर्ण की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

मंडल संयोजक के पद हेतु जारी विज्ञापन

36. (क्र. 803) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मण्डल संयोजक के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन क्रमांक 4827 दिनांक 16-10-2020 के आधार पर जिलों से कितने अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए ? कितने अभ्यर्थी पात्र/अपात्र पाए गए ? विवरण दें. (ख) क्या कंडिका “क” के विज्ञापन का संशोधित विज्ञापन जारी किया गया ? यदि हां तो कब एवं क्या संशोधन किए गए ? (ग) कंडिका “ख” के अनुसार क्या संशोधित विज्ञापन जारी होने से अभ्यर्थी अपात्र हो गए ? यदि हां तो जिलेवार कितने अभ्यर्थी अपात्र पाए गए ? अपात्र होने के क्या कारण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत मण्डल संयोजक के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा के लिए क्रमांक 4827 दिनांक 16-10-2020 के द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया गया है बल्कि विभागीय कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवेदन मंगारे गये थे, जिससे 451 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवेदन पत्रों की छानबीन प्रक्रियाधीन है. अतः पात्र-अपात्र का विवरण दिया जाना संभव नहीं है. (ख) जी नहीं. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5424 दि. 11-11-2020 द्वारा संशोधित पत्र जारी किया गया. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम 2011 में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर 2018 द्वारा शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया. (ग) आवेदन पत्रों की छानबीन प्रक्रियाधीन है. अतः अपात्र का विवरण बताया जाना संभव नहीं है.

शिक्षकों की पदस्थापना

37. (क्र. 811) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितनी बालक व बालिका प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं ? इन स्कूलों में शिक्षकों/व्याख्याता/प्रधानपाठक/प्राचार्य व अन्य शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त हैं ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) क्या प्रश्नांक “क” अनुसार 01 जनवरी, 2019 से

दिनांक 03-12-2020 तक स्कूलों में शिक्षकों/व्याख्याता/प्रधानपाठक/प्राचार्य व अन्य शिक्षकों की भर्ती की गई है ? जिलेवार जानकारी दें. रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शासकीय स्कूलों एवं शासकीय पदों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) शासकीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रियाधीन है. निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है.

जिला राजनांदगांव के अंतर्गत स्कूलों में सामग्री क्रय

38. (क्र. 826) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा जिला शिक्षाधिकारी, राजनांदगांव के माध्यम से वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (30 नवम्बर 2020 तक) में स्कूलों को वितरण हेतु क्या-क्या सामग्रियां कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि की खरीदी की गई है ? क्या खरीदी में नियमों एवं गुणवत्ता मानकों को पालन किया गया है ? यदि हां तो किन-किन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री आपूर्ति की गई ? संस्थान का नाम, संचालक का नाम, पता सहित बतावे ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार खरीदी गई प्रत्येक सामग्री का बाजार मूल्य (प्रति दर) क्या-क्या है, कृपया पृथक-पृथक बतावे ? (ग) क्या खरीदी गई सामग्रियां खरीदी नियमों के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण हैं, यदि हां तो, सामग्री खरीदी की गुणवत्ता मानकों का निर्धारण का आधार/शर्तें क्या-क्या थी, बतावे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (ख) भंडार क्रय नियमों में प्राप्त दर ही बाजार मूल्य मानी जाती है. (ग) जी हां. सी.एस.आई.डी.सी. दर अनुबंध में निर्धारित मानक ही सामग्री क्रय की गुणवत्ता मानकों का निर्धारण का आधार/शर्तें थी.

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में डीएवी मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का संचालन

39. (क्र. 839) **श्री राजमन बेजाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में संचालित डीएवी मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है और इन स्कूलों की फंडिंग की क्या व्यवस्था है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में, संवेदनशील जिले सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के डीएवी मुख्यमंत्री मॉडल स्कूलों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां तो चित्रकोट क्षेत्र में शत प्रतिशत अनुदान नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में संचालित डी.ए.व्ही मॉडल स्कूलों का संचालन डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबंधन समिति नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है. इन स्कूलों हेतु फण्ड की व्यवस्था डी.ए.व्ही. प्रबंधन द्वारा की जाती है. अन्य स्कूलों की तरह 25% विद्यार्थियों की फीस आर.टी.आई. के अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार इन स्कूलों को भी दी जाती है. (ख) जी हां. छ.ग. शासन एवं डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबंधन समिति नई दिल्ली के मध्य हुए समझौते के तहत चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल को शत प्रतिशत अनुदान नहीं दिया जाता है.

अताराकित प्रश्नोत्तर

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नाला निर्माण के प्रस्तावों की राजस्व आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृति

1. (क्र. 19) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 16 मार्च 2020 के विधानसभा अताराकित प्रश्न क्रमांक 1142 के उत्तर में बताया गया था कि दिनांक 1-4-2019 से 31-1-2020 तक की अवधि में रायपुर नगर में राजस्व आपदा प्रबंधन मद में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है ? (ख) यदि हां तो बजट प्रावधान रहने, नियमों के अंतर्गत प्रस्ताव होने, क्षेत्र के नागरिकों की आवश्यकता प्रतिपादित होने के बाद भी रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नालों के निर्माण हेतु राशि क्यों स्वीकृत नहीं की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. (ख) राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के मद एवं मापदण्डों में नवीन कार्य कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है.

रायपुर नगर में स्थित शालाओं में फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरण हेतु स्वीकृत राशि

2. (क्र. 20) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर में स्थित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरण हेतु वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में 30-11-2020 तक राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई, शालावार जानकारी दें ? (ख) इनमें से कितनी राशि व्यय की गई, कितनी शेष है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर नगर में स्थित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरण हेतु वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में 30-11-2020 तक राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत राशि प्रदाय नहीं की गई है. (ख) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर तहसील में सीमांकन के प्राप्त प्रकरणों का निराकरण

3. (क्र. 67) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर तहसील में दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक सीमांकन के कितने प्रकरण आये और कितने का निराकरण किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बिलासपुर तहसील के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक सीमांकन के कुल 585 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें से 416 प्रकरणों का निराकरण किया गया.

बिलासपुर जिले में आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा आबटित राशि

4. (क्र. 68) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018 से नवम्बर, 2020 तक कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये आबटित की गई है, और उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018 से नवम्बर 2020 तक कुल 161 कार्यों हेतु राशि रुपये 916.20 लाख की स्वीकृति दी गई है. इनमें से 92 कार्य पूर्ण हो गये हैं. स्वीकृत कार्य का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

जिला जांजगीर चाम्पा में फर्नीचर एवं सामग्री का प्रदाय

5. (क्र. 128) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर

चांपा जिला के शिक्षा जिला जांजगीर चांपा एवं सवती में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-2020 एवं 2020-21 में किस-किस संस्था को कितनी-कितनी राशि का फर्नीचर एवं अन्य सामग्री प्रदाय की गई ? सामग्री किसके द्वारा एवं किस नियम से खरीदी की गई ? (ख) प्रश्नांश “क” हेतु निम्न स्तर के सामग्री एवं खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत की गई है ? यदि हां तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई शिकायतवार बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. वर्ष 2018-19 में फर्नीचर संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा अन्य सामग्री जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा तथा वर्ष 2019-20 व 2020-21 में फर्नीचर एवं अन्य सामग्री जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के तहत खरीदी गई. (ख) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर चाम्पा में ट्रान्समिशन लाइन निर्माण हेतु मुआवजा का प्रदाय

6. (क्र. 129) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में ट्रान्समिशन लाइन विस्तार हेतु कौन-कौन सी कम्पनियों के द्वारा टावर लाइन निर्माण कराया गया है ? (ख) उक्त टावर निर्माण में किसानों की जमीन, पेड़ एवं फसल क्षति का कितना मुआवजा कितने किसानों को किस किस टावर निर्माण में दिया गया तहसील/अनुविभाग वार बतायें ? कितना मुआवजा किस टावर में देना शेष है ? (ग) ट्रान्समिशन लाइन निर्माण में मुआवजा हेतु सर्वे नहीं होने, मुआवजा प्राप्त नहीं होने की कितने शिकायतें लंबित हैं ? तो कब तक मुआवजा प्रदाय किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में ट्रान्समिशन लाइन विस्तार हेतु (1) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (400 के. व्ही. डबल सर्किट) (2) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 800 के. व्ही रायगढ़ से पुगलूर (तमिलनाडू) (3) ओडिसा जनरेशन फेज-2 ट्रांसमिशन लिमिटेड (4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर (अउदा) (5) छत्तीसगढ़ डब्ल्यू. आर. ट्रांसमिशन लिमिटेड (6) पावर कॉर्पोरेशन ऑफ (7) लारा पावरग्रीड (8) सी. डब्ल्यू. आर.टी.एल. (9) एन.टी.पी.सी. लारा 66 के. व्ही. के दो एकल परिपथ विद्युत पारेषण लाइन एन.टी.पी.सी. लारा से साराडीह तक के द्वारा टावर लाइन निर्माण कराया गया है. (ख) उक्त टावर निर्माण में किसानों को जमीन, पेड़ एवं फसल क्षति का मुआवजा भुगतान एवं भुगतान हेतु शेष की तहसील/अनुविभागवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) जिला जांजगीर-चांपा में अनुविभाग सवती के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन निर्माण में ओ. जी. पी. टी. एल. टावर लाइन द्वारा छुटे हुए 48 किसानों का पूरक क्षतिपूर्ति मुआवजा तैयार किया जा रहा है, संबंधित कंपनी से स्वीकृति पश्चात् शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया जावेगा. जिले में सर्वे नहीं होने एवं मुआवजा प्राप्त नहीं होने के संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतें

7. (क्र. 157) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है ? (ख) उपरोक्त चयनित ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पिछले 2 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20-11-2020 तक कितनी राशि किस-किस ग्राम पंचायत में ? किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत हुई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों का चयन नहीं किया जाता है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

एस.डी.आर.एफ. राशि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात

8. (क्र. 182) **श्री अजय चन्दाकर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.डी.आर.एफ. (State Disaster Relief Fund) में केन्द्रांश व राज्यांश का कितना अनुपात होता है ? राज्य के 2020-21 के वित्तीय बजट में कितना का प्रावधान था एवं केन्द्र द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुयी है ? (ख) उक्त फंड का उपयोग किन मदों में किया जाता है ? इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कौन देता है ? 1 दिसम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2020 तक किन कार्यों हेतु, किस मद से व्यय किया गया ? (ग) कोरोना महामारी (कोविड-19) घोषित होने के बाद इस फंड के संबंध में नये दिशा-निर्देश क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राज्य आपदा मोचन निधि (S D R F) के अन्तर्गत केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत का अनुपात होता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 449.80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है एवं केन्द्रांश के रूप में रुपये 172.80 करोड़ प्राप्त हुआ है. (ख) राज्य आपदा मोचन निधि (S D R F) का उपयोग राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को आर्थिक अनुदान सहायता, प्रशिक्षण, मरम्मत, पेयजल, उपकरण आदि हेतु किया जाता है. संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रदत्त है. प्रश्नाधीन अवधि में निधि का उपयोग सूखा, पेयजल, बाढ़, अग्नि दुर्घटना, ओलावृष्टि एवं राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित आपदाओं तथा कोविड-19 हेतु किया गया है. (ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि की वार्षिक राशि का 50 प्रतिशत राशि का उपयोग नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 हेतु किये जाने का प्रावधान है.

कोरोना संक्रमण से मृतकों के परिजनों को मुआवजा

9. (क्र. 256) **डॉ. रमन सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ? (ख) यदि हां तो कितनी और किस नियम या अधिनियम के तहत एवं उसकी प्रक्रिया क्या है ? (ग) कोरोना से 30-11-2020 तक प्रदेश में कितनी मौतें हो चुकी हैं एवं कितने मृतकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है ? राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले के संदर्भ में जानकारी देते हुये पूरे प्रदेश की जिलेवार जानकारी दें ? (घ) जिन मृतकों को आर्थिक सहायता नहीं मिली उनकी जिलेवार जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि उन्हें कब तक दिये जाने की संभावना है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के प्रकाश में जानकारी निरंक है. (ग) कोरोना से दिनांक 30-11-2020 तक प्रदेश में कुल 2861 मौतें हो चुकी हैं. राज्य शासन द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. (घ) जिलेवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

दुर्ग संभाग अंतर्गत संचालित संभाग स्तरीय शासकीय कार्यालय

10. (क्र. 283) **श्री अरूण चोरा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग संभाग का गठन कब किया गया ? वर्तमान में दुर्ग संभाग के अंतर्गत संभाग स्तरीय कितने शासकीय कार्यालय संचालित है ? शेष कार्यालयों का संचालन कब से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : नवीन राजस्व संभाग दुर्ग का रापजत्र में प्रकाशन 28 फरवरी 2014 को हुआ है. दुर्ग संभाग अंतर्गत वर्तमान में कुल 16 संभागीय कार्यालय संचालित है. शेष कार्यालय प्रारंभ किये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में शालाओं के मरम्मत में व्यय राशि

11. (क्र. 319) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र में पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20 नवम्बर, 2020 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कहां-कहां पर कितनी लागत से किचन शेड, अहाता, अतिरिक्त कक्ष मरम्मत के लिए किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई और प्रस्तावित है? मद सहित जानकारी बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन भवन/जर्जर स्कूल भवन

12. (क्र. 320) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला/हाईस्कूल एवं हॉयर सेकेण्डरी शाला भवन विहीन हैं, तथा कितने मरम्मत योग्य हैं ? कृपया संस्थावार, विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार उक्त भवन विहीन शैक्षणिक संस्थाओं एवं मरम्मत योग्य विद्यालयों में नवीन भवन निर्माण एवं जर्जर भवनों का मरम्मत कब तक किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शालावार एवं विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा एवं सड़क दुर्घटना से हुई मृत्यु

13. (क्र. 340) **डॉ. लक्ष्मी घुव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018 से माह नवम्बर, 2020 तक कितने लोग प्राकृतिक आपदा एवं सड़क दुर्घटना के शिकार हुये है ? (ख) उक्त दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? मृत व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता दी गई है एवं कितने की सहायता लंबित है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं सड़क दुर्घटना से कुल 154 लोग शिकार हुए हैं. (ख) प्राकृतिक आपदा से कुल 92 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार रुपये 3,68,00,000/- तथा 62 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, जिसमें से 55 व्यक्तियों को रुपये 13,60,000/- की सहायता प्रदान की गई है. 7 व्यक्तियों की सहायता लंबित है.

जिला कांकेर में आश्रम/शालाओं/छात्रावासों में मरम्मत एवं सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत राशि

14. (क्र. 372) **श्री अनूप नाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा वर्ष 2018-19 से आज पर्यन्त तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिला कांकेर के अंतर्गत आश्रमों शालाओं एवं छात्रावासों में मरम्मत, रख-रखाव एवं सामग्री हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) उक्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है एजेसियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	(राशि रु. लाखों में)	
		मरम्मत, रख-रखाव हेतु स्वीकृत राशि आश्रम शाला/छात्रावास	सामग्री हेतु स्वीकृत राशि आश्रम शाला/छात्रावास
1.	2018-19	192.15	141.08
2.	2019-20	201.19	134.00
3.	2020-21 (आज पर्यन्त तक)	374.37	78.01
योग		767.71	353.09

(ख) उक्त राशि का उपयोग छात्रावास/आश्रम शालाओं में मरम्मत, रख-रखाव एवं सामग्री पूर्ति कार्यों में किया गया है. एजेसियों को राशि रु. 489.17 लाख का भुगतान किया गया है.

प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानपाठकों के रिक्त पद

15. (क्र. 383) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानपाठक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद कितने-कितने हैं ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) विभाग द्वारा उक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) पदोन्नति की कार्यवाही प्रस्तावित है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

दंतेश्वरी नैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद द्वारा रखरखाव एवं मरम्मत में व्यय राशि

16. (क्र. 384) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में संचालित दंतेश्वरी नैया सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा वर्ष 2017-18 से 03 दिसंबर, 2020 तक रखरखाव एवं मरम्मत में व्यय की गई राशि की वर्षवार जानकारी देवे ? (ख) उवतावधि में कारखाने को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितना लाम या हानि हुई ? वर्षवार जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दन्तेश्वरी नैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद द्वारा रखरखाव एवं मरम्मत में हुई व्यय की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)				
वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (03-12-2020 तक)
राशि	1.88	3.04	3.93	1.03

(ख) कारखाने को हुई हानि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)				
वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (03-12-2020 तक)
हानि	14.56	14.04	7.18	-

लाम या हानि की गणना आवश्यक समायोजन उपरांत वर्षान्त पर परिगणित की जाती है. वित्तीय वर्ष 2020-21 पूर्ण नहीं हुआ है, अतः लाम/हानि की राशि परिगणित नहीं हुई है.

मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहसीलों में लबित प्रकरण

17. (क्र. 398) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी तहसीलों में कितने राजस्व प्रकरण लबित है, और समयावधि में निष्पादित नहीं होने वाले प्रकरणों का संख्या कितनी है, और उसका कारण बताये ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : मनेन्द्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत आने वाले तहसील मनेन्द्रगढ़-207, खड़गवा-178, चिरमिरी-144, कुल-529 राजस्व प्रकरण लबित है. समयावधि में निष्पादित नहीं होने वाले प्रकरणों की संख्या तहसील मनेन्द्रगढ़-32, खड़गवा-25 चिरमिरी-13, कुल-70 है. समयावधि में प्रकरणों का निष्पादन नहीं होने का कारण निम्न है :-

1. कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन एवं न्यायालयीन कार्यवाही में बाधा होना.
2. पक्षकारों के पेशी तारीख पर अनुपस्थित रहना.
3. न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर आदेश पारित नहीं होना.

सरगुजा संभाग अंतर्गत राजस्व आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत कार्यों की स्थिति

18. (क्र. 434) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सरगुजा जिला अंतर्गत वर्ष 2018 से आज दिनांक तक राज्य राजस्व आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत कार्यों का विवरण देवे ? (ख) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है ? उक्त स्वीकृत कार्यों के गुणवत्ता बावत यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सरगुजा जिले में राज्य आपदा मोचन निधि से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

आदिम जाति, अनु. जाति, पि. वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का प्रदान

19. (क्र. 435) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण देवें ? (ख) क्या उक्त छात्रवृत्ति मासिक अंतराल से प्रदाय की जा रही है ? यदि नहीं तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † सलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी नहीं. केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं

20. (क्र. 442) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में शासकीय स्कूलों में (कक्षा 01 ली से 12वीं तक) किस-किस जिले में वर्तमान में कितनी-कितनी संख्या में किस-किस कक्षा में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है ? छात्र एवं छात्राओं की संख्या की जिलेवार एवं कक्षावार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) तथा कोरोना काल की वजह से शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई आनलाईन माध्यम (पढ़ाई तुंहर द्वारा योजना) से कितनी-कितनी संख्या में छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया गया ? कृपया जिलेवार एवं माहवार अलग-अलग आनलाईन सुविधा से लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या की अलग जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्तमान में शालाएं आगामी आदेश पर्यन्त बंद है. दर्ज विद्यार्थियों की संख्या †† सलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) †† सलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. माहवार जानकारी का संधारण नहीं किया गया है.

अमनपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित शालाएं हेतु मापदण्ड के अनुरूप शाला भवन की व्यवस्था

21. (क्र. 443) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की अमनपुर विधानसभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, शासकीय हाईस्कूल एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी शालाएं संचालित है ? (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में वर्णित ग्राम की शालाओं में से किस-किस ग्राम में किस शाला में अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग के मापदण्ड के अनुरूप शाला भवन का निर्माण नहीं किया गया है ? तथा इन भवन विहीन स्कूलों का भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) संचालित शालाओं की ग्रामवार जानकारी ‡ सलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” उत्तर में वर्णित ग्राम-गिरोला में संचालित हाईस्कूल भवन विहीन है. शेषांश के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत एन.जी.ओ. द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण

22. (क्र. 519) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत कितने एन.जी.ओ. द्वारा प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं सभी का नाम, कहा का है व कार्यक्षेत्र बतायें ? 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं ? एन.जी.ओ. वार अलग-अलग बतायें ? (ख) उक्त एन.जी.ओ. को प्रशिक्षण हेतु किन नियम शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई है एवं समय-सीमा तय की गई है ? इन एन.जी.ओ. को किस स्तर के अधिकारी, निर्देशित व निरीक्षण करते हैं ? (ग) उक्त एन.जी.ओ. का प्रशिक्षण परिणाम 30 नवंबर, 2020 की स्थिति में क्या है ? एवं शिक्षकों की इनके प्रशिक्षण के संबंध में क्या राय है.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उक्त एन.जी.ओ. को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य की आवश्यकता के आधार पर अनुमति गैर-वित्तीय अनुबंध की शर्त पर दी गई है. एन.जी.ओ. राज्य स्तर के अधिकारी के निर्देश पर कार्य करते हैं तथा इनके कार्यों का राज्य स्तर से लेकर विकासखण्ड स्तर के अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं. (ग) प्रशिक्षण परिणाम 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में † संलग्न परिशिष्ट के कालम नंबर पांच में दर्शित है. शिक्षकों की इनके प्रशिक्षण के संबंध में सकारात्मक राय है.

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के धान संग्रहण केन्द्र में अनियमितता पर कार्यवाही

23. (क्र. 523) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019-20 में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के धान संग्रहण केन्द्र सरदा तथा लेजवाटा में विपणन विभाग के प्रबंध संचालक द्वारा किये गये औचक निरीक्षण मूसा खरीदी में गड़बड़ी एवं डबल लेयर प्लास्टिक चटाई की खरीदी में किये गये अनियमितता पायी गई तथा संबंधित फंड प्रभारी को इस अनियमितता का जिम्मेदार माना गया ? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नांश “क” में किये गये अनियमितता तथा शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने के जिम्मेवार संबंधित फंड प्रभारी पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. (ख) प्रश्नांश “क” में किये गये अनियमितता हेतु संबंधित फंड प्रभारी श्री हितेश कुमार शर्मा, क्षेत्र सहायक को निलंबित कर धान निराकरण कार्य में कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने एवं विपणन संघ को समावित आर्थिक क्षति पहुंचाने के संबंध में दिनांक 30-09-2020 को विभागीय जांच संस्थित की गयी.

बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मृत्यु के पदों पर नियुक्ति में अनियमितता पर कार्यवाही

24. (क्र. 594) **डॉ. रेणु अजीत जोशी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018 में बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मृत्यु के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण सामने आया था ? यदि हाँ तो कितना पदों पर फर्जी नियुक्ति हुई थी ? इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ख) क्या वर्ष 2017 में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे ? कितनी राशि की अनियमितता थी ? प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) क्या उपरोक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा के संबंध में शासन को हाई कोर्ट से कोई दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं ? क्या हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप तय समय में प्रकरण का निपटारा हुआ है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. 26 पदों पर बिना पद स्वीकृति के नियुक्ति हुई थी. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है. (ख) जी हाँ. राशि रुपये 68,08,884/- की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था. विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है. (ग) जी नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

जिला बलौदाबाजार-माटापारा में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई-स्कूलों का उन्नयन

25. (क्र. 623) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार-माटापारा जिला अंतर्गत किन-किन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूलों को उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बलौदाबाजार-माटापारा जिला अंतर्गत किसी भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूलों का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित नहीं है. शोषांश का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता.

न्यूको विस्टास सीमेंट प्लांट द्वारा ग्राम-चोरभट्टी के प्रभावित किसानों को प्रदत्त नौकरी

26. (क्र. 634) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूको विस्टास सीमेंट प्लांट आरसमेटा के द्वारा ग्राम -पंचायत चोरभट्टी के कितने किसानों को कितनी जमीन अधिग्रहित की गई है कितने प्रभावित किसानों को प्लांट में नौकरी दी गयी, कितने को नहीं तथा क्यों. किसानों की जमीन किस शर्त के आधार पर ली गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : न्युको विस्टास सीमेंट प्लांट आरसमेटा के द्वारा ग्राम पंचायत चोरभट्टी के 57 कृषकों के कुल 64.31 एकड़ भूमि क्रय/अधिग्रहित की गई है। कंपनी द्वारा प्रभावित परिवार के कुल 18 कृषकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है एवं 39 कृषकों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसानों की जमीन इस शर्त पर ली गई है कि आवश्यकताएं, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को या उनके परिवार के सदस्य को यथास्थिति कंपनी में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जर्जर तथा अहाता विहीन शालाएं

27. (क्र. 635) **श्रीमती इन्दू बजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकेंडरी, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक शाला संचालित है ? कितने स्कूलों का भवन जर्जर हो गया है और कितने अहाता विहीन है ? स्कूलवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 20 शासकीय हायर सेकेण्डरी, 28 शासकीय हाईस्कूल, 107 शासकीय मिडिल स्कूल एवं 221 शासकीय प्राथमिक शाला संचालित है। शेषांश की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

जिला दुर्ग को राजस्व आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत राशि

28. (क्र. 646) **श्री अरूण चोरा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2017-18, 18-19 एवं 19-20 में राजस्व आपदा प्रबंधन मद से कुल कितनी राशि दी गई ? उक्त राशि में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि से कराये गये ? (ख) कुल कितने कार्य पूर्ण हो चुके है कितने अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग जिले को आपदा प्रबंधन मद से निर्माण कार्यों हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। कोई निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं। (ख) कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण तथा कब तक पूर्ण किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दुर्ग जिले में उद्योगों हेतु अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा

29. (क्र. 647) **श्री अरूण चोरा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में उद्योगों हेतु वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में कब-कब, कहां-कहां कितनी-कितनी कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है ? (ख) क्या अधिग्रहित भूमि का मुआवजा सभी भूस्वामियों को प्रदाय कर दिया गया है ? यदि नहीं तो किन कारणों से मुआवजा आज दिनांक तक प्रदाय नहीं किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दुर्ग जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में उद्योगों हेतु कोई भी कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश “ख” की जानकारी निरंक है।

प्रदेश में फसल क्षति का कृषकों को मुआवजा

30. (क्र. 701) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2019-20 में वर्षा ऋतु के समय अधिक वर्षा होने के कारण किसानों की फसल बह गई थी ? (ख) यदि हां तो कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया था ? जिलेवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां। (ख) किसानों को दी गई सहायता राशि की जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है।

प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन

31. (क्र. 702) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही

है कि विभाग के द्वारा पिछले व इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला व हाईस्कूल का उन्नयन किया गया था ? (ख) यदि हाँ तो किन-किन शालाओं का उन्नयन किस-किस शाला के रूप में किया गया है ? वर्षवार, शालावार, विधानसभावार एवं जिलेवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यार्थियों को दिए गए प्रवेश

32. (क्र. 703) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले व इस वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनांक तक रायपुर व बिलासपुर संभाग में स्थित निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत कुल कितने बच्चों को पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक व हाई स्कूल में प्रवेश दिया गया है व प्रति विद्यार्थियों कितनी राशि दी जा रही है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार स्कूलों के संबंध में क्या आर. टी. ई. हेतु कम सीटें बताए जाने की शिकायत/जानकारी प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो कौन-कौन सी स्कूलों की प्राप्त हुई है ? जिलेवार जानकारी दें ? किन-किन स्कूलों को आर.टी.ई. में कितनी राशि दी जानी शेष है व क्यों ? (ग) आर.टी.ई. के नियमों का पालन न होने के संबंध में प्रश्नांश “क” अवधि में कितनी शिकायतें किन-किन स्कूलों की प्राप्त हुई है व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश के तहत सीधे पूर्व माध्यमिक व हाईस्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) आर.टी.ई. के नियमों का पालन न होने के संबंध में प्रश्नांश “क” अवधि में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

रायगढ़ जिला में समर्थन मूल्य पर क्रय धान का अंतिम स्टॉक मिलान

33. (क्र. 747) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में खरीदे गये धान का अंतिम स्टॉक मिलान कब सम्पन्न किया गया ? प्रति धान खरीदी केन्द्रवार बतावें ? (ख) उक्त अंतिम स्टॉक में धान की मात्रा में कहां-कहाँ, कितनी-कितनी मात्रा में कमी पायी गयी ? (ग) कंडिका “ख” में धान की कमी के लिए कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संबंधितों से वसूली भी की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) रायगढ़ जिले के उपर्जन केन्द्रों में वर्ष 2018-19 में अंतिम स्टॉक मिलान के पश्चात कमी नहीं पायी गयी. वर्ष 2019-20 में 123 धान उपार्जन केन्द्रों में से 05 धान उपार्जन केन्द्रों में कमी पायी गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(मात्रा में. टन में)

क्र.	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	धान की कमी
1.	उलखर	बरदुला	770.06
2.	गाताडीह	जशपुर	585.75
3.	उलखर	उलखर	308.61
4.	जैमुरा	जैमुरा	214.48
5.	जैमुरा	बसनाझर	151.24
योग			2030.14

(ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

मेधावी छात्र-छात्राओं की अध्ययन व्यवस्था

34. (क्र. 748) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12 वीं बोर्ड की प्रवीण्य सूची में आने वाले छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा का व्यवस्थापन द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है ? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2019-20 में उत्तीर्ण कितने-कितने मेधावी छात्रों को किन-किन संस्थाओं में अध्ययन हेतु, कितनी-

† परिशिष्ट “छब्बीस”

†† परिशिष्ट “सत्ताईस”

कितनी राशि अध्ययन खर्च के रूप में दी जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर संभाग अंतर्गत बैगा संरक्षित वर्ग के बच्चों का अध्ययन-अध्यापन

35. (क्र. 756) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग के अंतर्गत शासकीय/अशासकीय स्कूलों में बैगा संरक्षित जनजाति वर्ग के कितने बच्चों का शैक्षणिक सत्र 2018-2019, 2019-2020, 2020-21 में प्रवेश दिया गया है ? (ख) कंडिका “क” के तहत वर्ग के बच्चों के लिए अध्ययन-अध्यापन हेतु कौन-कौन से अतिरिक्त सुविधा दिए जाने का प्रावधान है ? (ग) कंडिका “क” के तहत वर्ग के बच्चों को किस दर पर कौन-कौन सी छात्रवृत्ति दी जा रही है ? क्या छात्रवृत्ति का भुगतान समय-सीमा में किया गया है ? नहीं तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बिलासपुर संभाग के अंतर्गत शासकीय/अशासकीय स्कूलों में बैगा संरक्षित जनजाति वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्रवार दिये गये प्रवेश की जानकारी-

सत्र	2018-2019	2019-2020	2020-2021
प्रवेशित बच्चों की संख्या	2967	3080	3033

(ख) कंडिका “क” के तहत वर्ग के बच्चों को भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना “विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास” के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर/स्वीकृति की दशा में जूता मोजा एवं स्टेटर वितरण एवं आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आवर्ती व्यय के रूप में शिष्यवृत्ति, भोजन, अतिरिक्त कोचिंग (रेमेडियल), शैक्षणिक भ्रमण साइंस ओलंपियाड एन.टी.एस.सी. प्रतियोगी परीक्षाओं की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है. (ग) छात्रवृत्ति दर की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. छात्रवृत्ति का भुगतान समय-सीमा में किया गया है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश की शालाओं में खेलगढ़ी योजना का क्रियान्वयन

36. (क्र. 757) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के स्कूलों में खेलगढ़ी योजना कब से संचालित है ? क्या ये योजना केन्द्र शासन से संचालित है ? (ख) कंडिका “क” की योजना के लिए केन्द्र शासन से वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और प्रदेश के कितने स्कूलों को आबटित की गई, आबटित राशि का ब्यौरा जिलेवार बतावें ? (ग) कंडिका “क” की राशि का उपयोग कब तक किया जाना था ? क्या इसका पालन सुनिश्चित किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2018-19 से संचालित है. यह भारत शासन की केन्द्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत संचालित है. (ख) खेलगढ़ी योजना के तहत केन्द्र शासन से वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में प्राप्त राशि का विवरण प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है. प्राप्त राशि में से विद्यार्थियों की संख्या एवं आबटित राशि का जिलेवार विवरण प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है. (ग) राशि का उपयोग संबंधित सत्र के 31 मार्च तक उपयोग किया जाना था. लगभग 90% स्कूलों में इसका पालन किया गया.

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र राजस्व आपदा प्रबंधन से स्वीकृत/व्यय राशि

37. (क्र. 759) **श्री चंदन कश्यप** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्ष 2018 से नवम्बर, 2020 तक प्रदेश में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र व राज्य शासन से कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बस्तर, कोण्डागांव तथा नारायणपुर जिले में उक्त राशि को किस-किस मद में किन-किन कार्यों में व्यय किया गया ? वर्षवार, कार्यवार लागत राशि सहित जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	मद	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
2018-19	एस.डी.आर.एफ.	224.375	47.025	271.400
2019-20	एस.डी.आर.एफ.	177.30	114.70	292.00
2020-21	एस.डी.आर.एफ.	172.80	57.60	230.40
	एस.डी.एम.एफ.	43.20	14.40	57.60

(ख) उक्त मद से बस्तर, कोण्डागांव तथा नारायणपुर जिले में कराये गये कार्यों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है।

बस्तर जिले में धार्मिक स्थानों के संरक्षण के लिए संचालित योजनाएं

38. (क्र. 760) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिला में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक स्थानों के संरक्षण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है ? (ख) जिला बस्तर में वर्ष 2018-19 से नवम्बर, 2020 तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में उक्त धार्मिक स्थानों में व्यय की गई है ? अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक स्थानवार विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) इस विभाग अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा/पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास योजना संचालित है। (ख) वर्ष 2018-19 से नवम्बर, 2020 तक व्यय की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	व्यय की गई राशि (लाखों में)		
		प्राधिकरण मद	देवगुड़ी मद	योग
1.	2018-19	04.00	-	04.00
2.	2019-20	38.00	03.00	41.00
3.	2020-21	-	-	-
(माह नवम्बर 2020 तक)				
योग		42.00	03.00	45.00

स्वीकृत कार्यों की स्थानवार विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

धमतरी विधानसभा क्षेत्र में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति का मुआवजा

39. (क्र. 763) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020-2021 में धान की खरीफ फसल एवं वर्ष 2019-2020 में ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान की फसलों का बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति का प्रकरण तैयार किया गया था ? (ख) यदि हां तो कुल कितने किसानों को प्रकरण बना था ? क्या उक्त क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व विभाग द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि जारी कर दी गई है ? (ग) यदि हां तो कितने किसानों को कितनी राशि प्रदान की गई है ? शेष किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि कब तक जारी कर दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. प्रश्नाधीन अवधि में खरीफ फसल एवं ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान की फसलों का बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति के प्रकरण तैयार किया गया। (ख) कुल 3097 किसानों के प्रकरण बनाये गये। राशि जारी कर दी गई है। (ग) मुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बाढ़ आपदा प्रबंधन मद से व्यय राशि

40. (क्र. 767) श्रीमती उत्तरी मनपत जांगड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधानसभा

क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी, 2019 से नवम्बर 2020 तक बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन मद से कितनी राशि किस-किस स्थान पर व्यय की गई ? (ख) जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2020 तक बाढ़ से कहां-कहां कितनी क्षति होने के प्रकरण विभाग को प्राप्त हुए हैं ? क्या समस्त प्रकरण की क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित व्ययित को प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं तो कब तक कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 153 ग्रामों के 1529 व्यक्तियों के मकान क्षति हेतु रुपये 5849200/- का भुगतान किया जा चुका है. एवं 9 ग्रामों के 566 किसानों को फसल क्षति हेतु रुपये 1152807/-का वितरण किया जा रहा है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 153 ग्रामों के 1529 व्यक्तियों के मकान क्षति 9 ग्रामों के 566 किसानों को फसल क्षति के प्रकरण प्राप्त हुए हैं. 9 ग्रामों के 566 किसानों को फसल क्षति हेतु रुपये 1152807/-आर्थिक अनुदान सहायता भुगतान लंबित है. वितरण की कार्यवाही प्रचलित है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

राज्य में अतिथि शिक्षकों की भर्ती एवं नियमितकरण

41. (क. 768) **डॉ. रेणु अजीत जोगी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बस्तर एवं सरगुजा सभाग में संचालित हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां तो कितनी शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) क्या इन अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण हेतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जा रही है ? अगर हां तो क्या ? (ग) क्या विद्यामितान (अतिथि शिक्षकों) को शासकीय विद्यालयों में शासकीय पदों पर भर्ती में प्राथमिकता देने का विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश जारी किया गया है ? यदि हां तो जानकारी दें .

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) एवं (ग) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

राजनांदगांव जिले में अनावरी रिपोर्ट के आधार पर कृषकों को भुगतान

42. (क. 771) **डॉ. रमन सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के किस-किस ग्राम में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी अनावरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? (ख) उक्त वर्षों में किस-किस ग्राम के किस-किस किसान को राहत राशि के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 में 0.26 से 0.37 पैसे तक 2 ग्राम, 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 94 ग्राम तथा 0.50 पैसे से अधिक 1557 ग्रामों एवं वर्ष 2020-21 में 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 139 ग्राम और 0.50 पैसे से अधिक 1514 ग्रामों की अनावरी दर्ज हुई है. (ख) अनावरी के आधार पर किसी भी ग्राम के किसान को राहत राशि प्रदान नहीं की गई है.

राज्य में संचालित आश्रम/छात्रावासों में नियमित अधीक्षकों की पदस्थापना

43. (क. 780) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. राज्य में कुल संचालित शासकीय आश्रम/छात्रावासों में से कितनों में नियमित अधीक्षकों की पदस्थापना है व कितनों में प्रभारी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं ? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) 1056 आश्रम/छात्रावासों में नियमित अधीक्षक की पदस्थापना है एवं 2221 में प्रभारी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, पद पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला राजनांदगांव में आदिम जाति कल्याण विभाग में आर्बटित राशि

44. (क. 788) **श्रीमती छन्नी चंदू साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव

जिले में आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को वर्ष 2018-19 से 30 नवम्बर, 2020 तक कितनी राशि आवंटित की गई ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांक “क” में कितने कार्यों हेतु निविदा जारी की गयी है ? कितने कार्यों की नहीं ? (ग) वर्तमान में उपरोक्त कार्यों की वस्तुस्थिति क्या है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) 246 कार्यों हेतु निविदा की गई है, 27 कार्यों के लिये निविदा नहीं की गई है. (ग) वर्तमान में स्वीकृत 273 कार्यों में से 241 कार्य पूर्ण, 10 कार्य प्रगति पर एवं 22 कार्य अप्रारंभ है.

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा

45. (क्र. 789) **श्रीमती छन्नी चन्द साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अ. चौकी से पांगरी के मध्य सेतु विकास निगम द्वारा कितने एवं किन-किन स्थानों पर पुल-पुलिया एवं सड़क निर्माण हेतु कितने कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? कृपया कृषकों के नाम सहित बतावे ? (ख) प्रश्नांक “क” में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों, एवं कब तक प्रदान किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, (सेतु निर्माण संभाग) द्वारा पांगरी से अ. चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिलाघाट) पर 03 नम (01 नम वृहद पुल, 02 नम मध्यम पुल) उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण किया गया है, जिसमें अ. चौकी से 21 ग्राम एवं ग्राम पांगरी से 08 कुल 29 कृषकों की भूमि अधिग्रहण किया गया है. कृषकों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. उक्त दोनों ग्रामों के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है. नियमानुसार अवार्ड पारित होने पर कृषकों को मुआवजा भुगतान किया जावेगा.

प्रदेश में स्कूलों का उन्नयन

46. (क्र. 792) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में किस-किस विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया है ? (ख) किस-किस विधानसभा क्षेत्र में स्कूल विभाग द्वारा उक्त सत्रावधि में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृति हुए (स्कूल बिल्डिंग, अहाता निर्माण, प्रयोगशाला मवन, किचन शेड निर्माण अतिरिक्त कक्ष निर्माण)

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

जिला जांजगीर चांपा में किसानों/नागरिकों की पावर प्लांट हेतु अधिग्रहित भूमि

47. (क्र. 796) **श्री नारायण चंदेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा पावर प्लांट एवं के. एस. के. वर्धा पावर प्लांट में कितने किसानों/नागरिकों की भूमि को अधिग्रहित किया गया है ? कितने भू-स्वामियों को नौकरी प्रदान किया गया है ? कितने भू-स्वामियों को नौकरी प्रदान नहीं किया गया है ? कृपया स्थानवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्न “क” के अंतर्गत कितने भू-स्वामियों ने नौकरी नहीं दिये जाने की शिकायत की है ? नौकरी से वंचित भू-स्वामियों को कब तक नौकरी प्रदान की जायेगी ? (ग) प्रश्न “क” व “ख” के संदर्भ में उक्त पावर प्लांट में जिन किसानों/नागरिकों के भूमि को अधिग्रहित किया गया है क्या उसकी मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) 1. अनुविभाग जांजगीर अंतर्गत अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा-तेन्दूभांटा में 1376 किसानों (खातेदारों) की भूमि अधिग्रहित की गई है. भूमिस्वामियों द्वारा नामित 661 सदस्य को नौकरी प्रदान किया गया है. 715 भूमिस्वामियों को नौकरी प्रदान नहीं किया गया है. तथापि 202 भूमिस्वामियों को भत्ता दिया जा रहा है, एवं 99 भूविस्थापितों को संयंत्र में चल रहे ठेका कार्यों में नियोजित किया गया है. 2. अनुविभाग जांजगीर के अंतर्गत मेसर्स के. एस. के. महानदी कंपनी लिमिटेड नरियरा में 645 किसानों (खातेदारों) की भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें से 256 भूमिस्वामियों (खातेदारों) को नौकरी प्रदान किया गया है, 302 भूमिस्वामियों (खातेदारों) को नौकरी के बदले भत्ता प्रदान किया जा रहा है, 87 भूमिस्वामियों (खातेदारों) द्वारा पुनर्वास नीति के तहत लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, जिससे 87 भूमिस्वामियों (खातेदारों) को नौकरी/भत्ता प्रदान नहीं किया गया है. (ख) 1. मड़वा-तेन्दूभांटा के

90 भूमिस्वामियों/नामितों द्वारा नौकरी नहीं दिए जाने की शिकायत की गई है, सभी शिकायतों की विवेचना उपरान्त प्रत्युत्तर दिया जा चुका है, इसी क्रम में 25 भूमिस्वामी/नामितों के द्वारा नौकरी दिये जाने हेतु कंपनी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वाद दायर की गई है, जिसका निर्णय लंबित है. 2. मेसर्स के. एस. के. महानदी कंपनी लिमिटेड नरियरा में नौकरी के लिए शिकायत पत्र प्राप्त नहीं है. (ग) अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा-तेन्दूभाठा के लिए अधिग्रहित की गई निजी भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान/चेक जारी किया जा चुका है. 2. मेसर्स के. एस. के. महानदी कंपनी लिमिटेड नरियरा के लिए अधिग्रहित की गई निजी भूमि का मुआवजा राशि प्रदान किया गया है. 24 भूमिस्वामी (खातेदार) उपस्थित नहीं होने तथा 11 भूमिस्वामी (खातेदार) आपसी विवाद होने के कारण कुल 35 भूमिस्वामियों (खातेदारों) को मुआवजा राशि रु. 1,67,23,468.00/- (राशि एक करोड़ सड़सठ लाख तेईस हजार चार सौ अड़सठ रुपये मात्र) संबंधित भूमिस्वामियों के नाम जिला कोषालय में राजस्व मद में दिनांक 06-10-2018 को जमा किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित भूमिस्वामियों को दी गई है. जिसमें से 01 भूमिस्वामी के उपस्थित होने पर उनके नाम पर राजस्व मद में जमा राशि रु. 6,08,000.00/- (राशि छः लाख आठ हजार रुपये मात्र) का चालान दिनांक 16-10-2020 रिलीज किया गया है. वर्तमान में 34 भूमिस्वामियों का मुआवजा रु. 1,61,15,468.00/- (राशि एक करोड़ इकसठ लाख पन्द्रह हजार चार सौ अड़सठ रुपये मात्र) संबंधित भूमिस्वामियों के नाम पर कोषालय में राजस्व मद में जमा है. संबंधित भूमिस्वामियों के उपस्थित होने पर चालान रिलीज कर दिया जावेगा.

जिला जांजगीर चांपा में शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा व अतिक्रमण पर कार्यवाही

48. (क्र. 797) श्री नारायण चंदेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में कितनी शासकीय भूमि है ? कितनी शासकीय भूमि पर बेजा-कब्जा (अतिक्रमण) किया गया है ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) बेजा-कब्जा (अतिक्रमण) धारियों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है ? जिले में बेजा-कब्जा (अतिक्रमण) हटाने के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ग) उक्त शासकीय भूमि को बेजा-कब्जा (अतिक्रमण) धारियों से कब तक मुक्त किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में कुल 99838.3470 शासकीय भूमि है. शासकीय भूमि 898.784 हे. पर बेजा-कब्जा (अतिक्रमण) किया गया है. तहसीलवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में शासकीय भूमि बेजा-कब्जा (अतिक्रमण) धारियों पर बेदखली वारंट जारी कर बेजा कब्जा हटाने के लिये की गई कार्यवाही एवं प्राप्त आवेदन तथा तहसीलवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

स्कूल शिक्षा विभाग राजनांदगांव में खेल गड़िया योजना के तहत आबटित राशि

49. (क्र. 800) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018-19 से दिनांक 04-12-2020 तक स्कूल शिक्षा विभाग राजनांदगांव को खेल गड़िया योजना के तहत खेल सामग्रियों की खरीदी हेतु राशि आबटित की गयी है ? (ख) यदि हाँ तो कितनी राशि आबटित की गयी है ? खेल सामग्रियों की खरीदी हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ? शालावार, राशिवार, सामग्रीवार, एजेसीवार भुगतान की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित है. छ. ग. मंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2019) के प्रावधानों के तहत क्रय की कार्यवाही की गयी.

जिला राजनांदगांव में धान खरीदी एवं संग्रहण केन्द्रों में व्यय राशि

50. (क्र. 801) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से 03-12-2020 तक राजनांदगांव जिले में संचालित धान खरीदी एवं संग्रहण केन्द्रों में किन-किन पदों पर कितने स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी कार्यरत है ? (ख) नवीन धान संग्रहण केन्द्रों में कितने कर्मचारियों की नियुक्त किस मापदंड व किस आधार पर की गयी है ? नियुक्त कर्मचारियों को किस दर से भुगतान किया जा रहा है ? (ग) उक्त केन्द्रों में कौन-कौन से निर्माण व अन्य कार्य किये गये हैं कितनी राशि व्यय की गयी है ? वर्षवार, कार्यवार, राशिवार एवं धान व संग्रहण केन्द्रवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि तक राजनांदगांव जिले में संचालित धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

संस्था प्रबंधक/समिति प्रबंधक		लेखापाल		लिपिक		चौकीदार		डाटा इंट्री ऑपरेटर		विक्रेता		दैनिक कर्मचारी	योग स्थायी	योग अस्थायी
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	अस्थायी		
113	12	11	1	54	8	93	70	83	53	108	22	223	462	389

राजनांदगांव जिले के 7 संग्रहण केन्द्रों में 7 स्थाई संग्रहण केन्द्र प्रभारी कार्यरत हैं। इन संग्रहण केन्द्रों में निविदा के माध्यम से ठेकेदार नियुक्त कर धान भण्डारण क्षमता के आधार पर निम्नानुसार अस्थायी कर्मचारियों से कार्य कराया गया :-

क्र.	संग्रहण केन्द्र का नाम	अस्थायी कर्मचारी		
		कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
1.	सिंघोला	4	9	13
2.	मदुराकुही	4	10	27
3.	ढेलकाडीह	3	10	16
4.	कलकसा	3	9	16
5.	सेवताटोला	4	7	16
6.	बीजामांठा	4	9	19
7.	छामरी (घोटिया)	3	13	32
	योग	25	67	139

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में नवीन धान संग्रहण केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश “ख” के परिप्रेक्ष्य में, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उपकेन्द्र नगचुई जिला बिलासपुर में धान खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

51. (क्र. 807) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सेवा सहकारी मर्यादित समिति धुमा उपकेन्द्र नगचुई, जिला बिलासपुर में धान खरीदी में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ तो क्या-क्या व किस-किस की शिकायतें प्राप्त हुई व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार केन्द्र के प्रभारी प्रबंधक व डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिलीभगत के द्वारा अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? दोषी व्यक्तियों को कब व क्या-क्या दण्ड दिया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ, सेवा सहकारी समिति मर्यादित धुमा उपकेन्द्र नगचुई, जिला बिलासपुर में अशोक कुमार अनंत एवं मरत कुमार पटेल से सेवा सहकारी समिति मर्यादित धुमा उपकेन्द्र नगचुई में कार्यरत केन्द्र प्रभारी नत्थूलाल यादव (उप प्रबंधक) एवं सुरेन्द्र कुमार यादव (आपरेटर) के विरुद्ध क्षेत्र के किसानों के साथ धोखाधड़ी कर कृषक भूमि रकबा बढ़ाकर अवैध रूप से मिलीभगत कर रुपये निकालने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश “क” के संबंधित शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रदाय

52. (क्र. 808) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि प्रदेश में बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है ? यदि हाँ तो पिछले व इस वित्तीय वर्ष में किन-किन वर्ग के, कितने बच्चे को कितनी स्कॉलरशिप दी जानी थी व कितनी दी गई तथा शेष को कब तक दी जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हाँ, पिछले वित्तीय वर्ष की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। इस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पिछले वर्ष की शेष विद्यार्थियों को यथाशीघ्र छात्रवृत्ति वितरण किया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में नवीन शाला एवं अंग्रेजी माध्यम की शालाओं की स्थापना

53. (क्र. 809) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कितनी नई शासकीय स्कूलें खोली गईं ? कितने को अपग्रेड किया गया और कितनी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की गई ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) कंडिका “क” की अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों की भर्ती एवं शिक्षकों की भर्ती कब की गई ? शिक्षकों का वेतनमान कौन वहन करेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 52 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियल स्कूलों में परिवर्तन किया गया, जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) प्रगतिरत है, राज्य शासन.

बिलासपुर संभाग में नामांतरण के लंबित प्रकरण

54. (क्र. 812) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य करना बंद कर दिया गया है ? यदि हां तो कब से और क्यों ? (ख) ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में क्या शासन द्वारा लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर व अन्य संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां तो क्या-क्या ? क्या ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है ? (ग) बिलासपुर संभाग में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई. डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गए कितने व्यक्ति का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये हैं ? कितने लंबित हैं व इस हेतु कौन जिम्मेदार हैं ? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) से (ग) की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है.

स्कूल शिक्षा विभाग में मोबाइल एप एवं सॉफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर प्रोग्राम तैयार करने हेतु अनुबंध

55. (क्र. 818) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से दिनांक 03-12-2020 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल कितने मोबाइल एप, सॉफ्टवेयर व कम्प्यूटर प्रोग्राम किस-किस कार्य के लिए बनवाये गये हैं ? इसमें से कौन-कौन से संचालित/कार्यशील है व किस-किस का उपयोग नहीं किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार एप/सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम किस फर्म द्वारा कितनी राशि में तैयार किये गये हैं ? इनके साथ अनुबंध कब-कब किये गये हैं ? इनके रखरखाव की समय-सीमा क्या निर्धारित है ? (ग) प्रश्न दिनांक की स्थिति में विभाग में वितरित किये गये टेबलेट में कितने टेबलेट चालू व कितने खराब है ? खराब टेबलेट के मेन्टेनेंस हेतु कितनी राशि किस मद से व्यय की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) समग्र शिक्षा के अंतर्गत वितरित किए गए टेबलेट में से 48825 टेबलेट चालू है। तथा 1609 टेबलेट खराब है। खराब टेबलेट के मेन्टेनेंस हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई.

प्रदेश में संचालित छात्रावास आश्रम में पंजीकृत बच्चे

56. (क्र. 819) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 03-12-2020 की स्थिति में कुल कितने आश्रम, छात्रावास व परिसर संचालित है तथा कितने बच्चे निवासरत/पंजीकृत है ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक के मध्य छात्रावास में कितने छात्र/छात्राओं की मृत्यु संस्था में निवास के दौरान हुई है व क्या कारण है ? परिसर/छात्रावास/आश्रम के सम्बंध में अनियमितताओं की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दिनांक 03-12-2020 को प्रदेश में कोई आश्रम, छात्रावास व परिसर संचालित नहीं है. अतः पंजीकृत एवं निवासरत छात्रों की जानकारी निरंक है. (ख) 01 जनवरी 2019 से एक छात्र की मृत्यु संस्था में निवास के दौरान हुई है. इसके अतिरिक्त 08 छात्र/छात्राओं की मृत्यु विभिन्न चिकित्सालयों में ईलाज के दौरान हुई है. मृत्यु का कारण एवं अनियमितताओं की जानकारी ‡‡ संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मॉनिटरिंग

57. (क्र. 824) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की किन-किन सेवाओं को शामिल किया गया है ? इनकी मॉनिटरिंग कब-कब किसके द्वारा की गई ? (ख) कंडिका “क” की सेवाओं में कैलेण्डर वर्ष 2019 एवं 2020 में जिला रायपुर, महासमुंद, दुर्ग एवं धमतरी के कितने प्रकरण निराकृत हुए और क्या सभी समय सीमा के अंतर्गत सम्पन्न हुए ? (ग) कंडिका “ख” के प्रकरणों में औद्योगिक डायवर्सन के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकरण प्राप्त हुए क्या यह समय सीमा के अंतर्गत निराकृत किये गए ? यदि नहीं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई. (घ) कंडिका “क” की सेवाओं के लिए संभागायुक्तों ने कब तक कहा-कहा मॉनिटरिंग की अगर नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की कुल 16 सेवाओं को शामिल किया गया है. जो कि निम्नानुसार है :-

- (1) चालू खसरा/खतौनी/नक्शे की प्रतिलिपि प्रदान किया जाना
 - (अ) सामान्य
 - (ब) तत्काल (निर्धारित फीस अदायगी)
- (2) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग हानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि
- (3) शोध क्षमता प्रमाण-पत्र का प्रदाय
 - (अ) शोध क्षमता प्रमाण-पत्र का प्रदाय (5.00 लाख तक)
 - (ब) शोध क्षमता प्रमाण-पत्र का प्रदाय (25.00 लाख तक)
 - (स) शोध क्षमता प्रमाण-पत्र का प्रदाय (25.00 लाख से ऊपर)
- (4) किसान पुस्तिका
- (5) किसान पुस्तिका डुप्लीकेट
- (6) अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र
- (7) स्थायी जाति प्रमाण-पत्र
- (8) निवास प्रमाण-पत्र
- (9) आय प्रमाण-पत्र
- (10) (अ) धारा 59 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/आवासीय कॉलोनी/परियोजना
(ब) धारा 59 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/आवासीय कॉलोनी/सार्वजनिक परियोजना/संस्थागत परियोजना
(स) धारा 59 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/आवासीय कॉलोनी/सार्वजनिक परियोजना/संस्थागत परियोजना, चिकित्सा सेवाएं, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजना
- (11) भूमि का सीमांकन
- (12) अविवादित नामांतरण
- (13) अविवादित बंटवारा
- (14) नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक भूमि का आबंटन
- (15) नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन
- (16) व्यपवर्तन प्रकरणों का निराकरण (5000 वर्गफुट तथा 5000 वर्गफुट से अधिक)

उक्त समस्त सेवाओं की मॉनिटरिंग एस.डी.ओ. राजस्व, कलेक्टर एवं संभागायुक्तों द्वारा समय-समय पर की जाती है. (ख) कंडिका “क” की सेवाओं में कैलेण्डर वर्ष 2019 एवं 2020 में जिला रायपुर, महासमुंद, दुर्ग एवं धमतरी के पंजीकृत प्रकरण जो समय-सीमा में निराकृत हुए. निराकृत प्रकरणों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	निराकृत आवेदन			
		समय सीमा में		समय सीमा के बाद	
		वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2019	वर्ष 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	131431	83608	0	0
2.	महासमुंद	92732	82468	0	0
3.	दुर्ग	110879	95473	0	0
4.	धमतरी	128014	72965	0	0

(म) कंडिका “ख” के प्रकरणों में औद्योगिक डायवर्सन के ग्रामीणों क्षेत्रों की जानकारी जिलेवार निम्नानुसार है :-

1.	रायपुर	कंडिका ख के प्रकरणों में कैलेण्डर वर्ष 2019 में ग्रामीण क्षेत्र में 324 प्रकरण प्राप्त हुए एवं सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया. इसी प्रकार कैलेण्डर वर्ष 2020 में 101 प्रकरण निराकृत हुए एवं 12 प्रकरण लंबित है.
2.	महासमुंद	महासमुंद जिले में औद्योगिक डायवर्सन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के कुल 93 प्रकरण प्राप्त हुए है. सभी प्रकरण समय-सीमा में निराकृत किये गये है.
3.	दुर्ग	कंडिका ख के प्रकरणों में औद्योगिक डायवर्सन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त प्रकरणों की संख्या वर्ष 2019 में 49 प्रकरण निराकृत एवं वर्ष 2020 में कुल 82 प्रकरणों में से 53 प्रकरण निराकृत एवं 29 प्रकरण लंबित है.
4.	धमतरी	कुल 47 प्रकरण प्राप्त हुए. जिसका निराकरण समय-सीमा के भीतर किया गया.

(घ) कंडिका “क” की सेवाओं के लिए संभागायुक्तों ने कब तक कहां-कहां मॉनिटरिंग की गई है, जिसकी जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

जिला राजनांदगांव के छुईखदान-गंडई अनुविभाग (रा.) के साल्हेवारा में उप तहसील कार्यालय की स्थापना

58. (क्र. 827) श्री देवव्रत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजनांदगांव के छुईखदान-गंडई अनुविभाग (रा.) के अंतर्गत साल्हेवारा में उप तहसील कार्यालय स्थापित करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है ? (ख) क्या राज्य शासन द्वारा प्रत्येक मंगलवार को नायब तहसीलदार कार्यालय का संचालन, साल्हेवारा में किये जाने का, निर्णय किया गया है ? यदि नहीं तो उक्त कार्यालय कब तक प्रारंभ किये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम साल्हेवारा जिला राजनांदगांव में प्रशासकीय दृष्टिकोण से राजस्व कार्यों के संपादन हेतु उपलब्ध अमले से अस्थायी व्यवस्था करते हुए उप-तहसील का संचालन करने का निर्देश कलेक्टर जिला राजनांदगांव को दिया गया है. (ख) जिला राजनांदगांव के छुईखदान-गंडई अनुविभाग (रा.) के अंतर्गत ग्राम साल्हेवारा में प्रत्येक मंगलवार को कैम्प कार्यालय/न्यायालय का संचालन किया जा रहा है.

विकासखण्ड छुईखदान में शास. हाईस्कूल एवं प्राथमिक शालाओं का उन्नयन

59. (क्र. 828) श्री देवव्रत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य शासन द्वारा विकासखण्ड-छुईखदान के शासकीय हाईस्कूल ढाबा को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन तथा शास. प्राथमिक शाला हनईबंध को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां तो, उक्त संबंध में आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं ? क्या इसी सत्र में शालाएं (शैक्षणिक सत्र) प्रारंभ हो पाएगी अथवा नहीं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां. बजट सत्र 2020-21 में प्रावधानित है. कोरोना महामारी के कारण शाला खोलने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला राजनांदगांव में नई इंग्लिश मीडियम स्कूलों हेतु व्यय राशि

60. (क्र. 836) श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इस वित्तीय वर्ष शुरू की गई शा. इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक स्कूल का बजट कितना है ? (ख) चालू वित्तीय वर्ष में राजनांदगांव जिले के स्कूल में कितनी राशि किस मद से खर्च की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रत्येक स्कूल की आवश्यकता के अनुसार बजट प्रदान किया जाता है सभी स्कूलों के लिये एक समान बजट प्रावधान नहीं है. (ख) चालू वित्तीय वर्ष में राजनांदगांव जिले से मदवार खर्च की गई जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	मद का नाम	व्यय की गई राशि (रुपये में)
1.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	46,31,745.00
2.	राज्य शासन से अनुदान	16,70,207.00
	योग	63,01,952.00

राजनांदगांव जिले में पुनर्वास से जुड़ी योजना में व्यय राशि

61. (क्र. 837) **श्री मुनेश्वर शोमाराम बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में पुनर्वास व इससे जुड़ी कौन-कौन सी योजना लागू है ? (ख) इस योजना पर बीते 2 वर्ष में कितनी राशि खर्च की गई है ? (ग) खर्च की राशि का विवरण उपलब्ध कराएं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) मू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति-2007 (यथासंशोधित) दिनांक 23-02-2007 से लागू की गई है, जो वर्तमान में प्रभावशील है. (ख) राजनांदगांव जिले में बीते 02 वर्ष में मू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन नहीं होने के कारण पुनर्वास पर राशि खर्च नहीं की गई है. (ग) निरंक.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में संचालित शिक्षक विहीन शालाएं

62. (क्र. 840) **श्री राजमन बेजाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षक विहीन कितनी स्कूल शालायें संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में, शिक्षक विहीन संस्थाओं में कब तक शिक्षकों की भर्ती पूर्ण की जायेगी और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई या नहीं यदि नहीं हो तो कब से प्रारंभ होगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल-35 शाला शिक्षक विहीन है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड	शाला संख्या
1.	दरमा	-
2.	तोकापाल	-
3.	बास्तानार	3
4.	लोहण्डीगुड़ा	32
	योग	35

(ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

राज्य आपदा मोचन फंड एवं पी. एम. केयर फंड से जिला पंचायत राजनांदगांव को प्राप्त राशि

63. (क्र. 936) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017 से दिनांक 05-12-2020 तक जिला पंचायत राजनांदगांव को राज्य आपदा मोचन फंड (एस.डी.आर.एफ.) एवं पी. एम. केयर फंड की कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों में किया गया है ? व्यय का वर्षवार, राशिवार, मदवार, कार्यवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में जिला पंचायत राजनांदगांव को राज्य आपदा मोचन निधि एवं पी. एम. केयर फंड से कोई राशि प्रदाय नहीं की गई है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

शीतकालीन सत्र

सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 305) के भाग (क) की जानकारी]

कनिष्ठ प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की सूची

क्र.	जिला	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का नाम एवं मूल पदनाम
1	2	3
1	धमतरी	श्रीमती रजनी नेल्सन प्राचार्य
2	महासमुंद	श्री परस राम चन्द्राकर/ श्री राबर्ट मिंज प्राचार्य
3	दुर्ग	श्री प्रवास कुमार बघेल प्राचार्य
4	बेमेतरा	श्रीमती मधुलिका तिवारी प्राचार्य
5	सरगुजा	श्री आई.पी.गुप्ता प्राचार्य
6	सूरजपुर	श्री विनोद राय प्राचार्य
7	बस्तर	श्री राजेन्द्र कुमार झा प्राचार्य
8	दंतेवाड़ा	श्री राजेश कर्मा व्याख्याता
9	कोण्डागांव	श्री राजेश मिश्रा व्याख्याता
10	नारायणपुर	श्री जी.आर.मण्डावी प्राचार्य
11	गौरेला मरवाही	पेण्ड्रा श्री मनोज राय प्राचार्य

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 825) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला राजनांदगांव अन्तर्गत शासकीय भवनों में संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम एवं स्थान
1	2	3
1	खैरागढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उरईडबरी
2	खैरागढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, खैरागढ़
3	खैरागढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, टेलकाडीह
4	खैरागढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, खैरागढ़
5	खैरागढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, टेलकाडीह
6	खैरागढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, जालबांधा
7	खैरागढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, बाजार अतरिया
8	खैरागढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खैरागढ़
9	खैरागढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, खैरागढ़
10	खैरागढ़	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, खैरागढ़
11	खैरागढ़	आदिवासी बालक आश्रम, गातापार
12	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गोटाटोला
13	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोरामटोला
14	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, उरवाही
15	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, दनगढ़
16	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, क्र. 1, मोहला
17	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कुम्हली
18	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मोहला
19	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, रैगाकठेरा
20	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सोमाटोला
21	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पाटनवाडवी
22	मोहला	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, मोहला
23	मोहला	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मोहला
24	मोहला	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, गोटाटोला
25	मोहला	आदिवासी बालक आश्रम, घासीटोला
26	मोहला	आदिवासी बालक आश्रम, पारडी
27	मोहला	आदिवासी बालक आश्रम, वाराडी
28	मोहला	आदिवासी कन्या आश्रम, कुआरदल्ली
29	मोहला	आदिवासी कन्या आश्रम, मारी
30	मोहला	आदिवासी कन्या आश्रम, मुकादाह
31	मोहला	आदिवासी कन्या आश्रम, भोजटोला
32	मोहला	आदिवासी कन्या आश्रम, सांगली
33	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, मारी

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम एवं स्थान
1	2	3
34	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, क्र. 2, मोहला
35	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, वासडी
36	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोरमटोला
37	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, गोटाटोला
38	मोहला	आदिवासी कन्या आश्रम, पाउरखेडा
39	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, भावसा
40	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, घोटिया
41	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खड़गांव
42	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बसेली
43	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कंदाडी
44	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोराचा
45	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोसमी
46	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, दिघवाडी
47	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, भरीटोला
48	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पानाबरस
49	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सीतागांव
50	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सरखेडा
51	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, क्र. 1, मानपुर
52	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, औंधी
53	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, टोहे
54	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, खड़गांव
55	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, ईरागांव
56	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कुम्हारी
57	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मानपुर
58	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, औंधी
59	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, क्र. 2, मानपुर
60	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, नेड़गांव
61	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, नवागांव
62	मानपुर	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, मानपुर
63	मानपुर	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मानपुर
64	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, हुरेली
65	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, जकके
66	मानपुर	आदिवासी बालक आश्रम, कारेकट्टा
67	मानपुर	आदिवासी बालक आश्रम, विघवाही
68	मानपुर	आदिवासी बालक आश्रम, नवागांव
69	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, हथरा
70	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, भरीटोला

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम एवं स्थान
1	2	3
71	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, पेंदुर
72	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, औंधी
73	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास (कर्मचारी पुत्र) राजनांदगांव
74	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास (कर्मचारी पुत्री) राजनांदगांव
75	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव
76	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, राजनांदगांव
77	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, घुमका
78	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, राजनांदगांव
79	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, सोमनी
80	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, राजनांदगांव
81	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव
82	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, राजनांदगांव
83	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राजनांदगांव
84	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, राजनांदगांव-
85	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक पिछडा वर्ग कन्या छात्रावास, राजनांदगांव
86	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, मुढीपारं
87	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, पनेका
88	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, पनेका
89	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोठीटोला
90	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चारभांटा
91	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बोरतलाव
92	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोठीटोला
93	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़
94	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगढ़
95	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, मोहारा
96	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़
97	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, मुसरा
98	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मड़ियान
99	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़
100	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगढ़
101	डोंगरगढ़	आदिवासी बालक आश्रम, दीवानटोला
102	डोंगरगढ़	आदिवासी कन्या आश्रम, सीतागोटा
103	डोंगरगढ़	आदिवासी कन्या आश्रम, डोंगरगढ़
104	डोंगरगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगांव
105	डोंगरगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगांव
106	डोंगरगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, तुमड़ीबोड़
107	डोंगरगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, डोंगरगांव

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम एवं स्थान
1	2	3
108	डोगरगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, डोगरगांव
109	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सालहेवारा
110	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुईखदान
111	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गंडई
112	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, समुदपानी
113	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बकरकट्टा
114	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बकरकट्टा
115	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सालहेवारा
116	छुईखदान	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुईखदान
117	छुईखदान	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, छुईखदान
118	छुईखदान	आदिवासी बालक आश्रम, बकरकट्टा
119	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया
120	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, छुरिया
121	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कुमर्दा
122	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गोडलवाही
123	छुरिया	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, छुरिया
124	छुरिया	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया
125	छुरिया	आदिवासी कन्या आश्रम, कुहीकला
126	छुरिया	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, बुचाटोला
127	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उमरवाही
128	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बांधाबाजार
129	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोरचाटोला
130	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कौड़ीकसा
131	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, माहूद
132	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चिल्हाटी
133	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चौकी (क्र. 1)
134	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जादूटोला
135	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, आमाटोला
136	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, आतरगांव
137	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोरचाटोला
138	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कौड़ीकसा
139	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, परसाटोला
140	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, छछानपहरी
141	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, चौकी
142	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, जादूटोला
143	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चौकी (क्र. 2)
144	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, आतरगांव

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम एवं स्थान
1	2	3
145	चौकी	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चौकी
146	चौकी	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जादूटोला
147	चौकी	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, चौकी
148	चौकी	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, जादूटोला
149	चौकी	आदिवासी बालक आश्रम, बुटाकसा
150	चौकी	आदिवासी कन्या आश्रम, कौड़ीकसा
151	चौकी	आदिवासी कन्या आश्रम, केसरीटोला
152	चौकी	आदिवासी कन्या आश्रम, मक्के
153	चौकी	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, हज्जूटोला
154	चौकी	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, चिल्हाटी

प्रपत्र "ब"

जिला राजनांदगांव अन्तर्गत संचालित भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम एवं स्थान
1	2	3
1	खैरागढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, बाजार अतरिया
2	मोहला	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पाटनवाडवी
3	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, क्र. 2, मानपुर
4	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, नेड़गांव
5	मानपुर	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, नवागांव
6	मानपुर	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, मानपुर
7	मानपुर	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मानपुर
8	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, हुरेली
9	मानपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, जक्के
10	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मड़ियान
11	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़
12	डोंगरगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगांव
13	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बकरकट्टा
14	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बकरकट्टा
15	छुईखदान	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, साल्हेवारा
16	छुईखदान	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुईखदान
17	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कुमर्दा
18	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गोडलवाही
19	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चौकी (क्र. 2)
20	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, आतरगांव

प्रपत्र "स"

वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में 30 नवम्बर 2020 तक क्रय की गई सामग्रियों की जानकारी

क्र.	क्रय की सामग्री का नाम	
	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2020 तक)
1	एंगल आयरन रेक	पलंग
2	एल.ई.डी. बल्ब	चम्मच
3	खेल कूद सामग्री	थाली
4	बैडमिंटन	आलमारी बड़ा
5	कढ़ाई	आलमारी छोटा
6	कम्प्यूटर सेट	रिवालविंग चेयर
7	कूकर 22 लीटर	आफिस टेबल
8	मच्छरदानी	
9	पिलो	
10	रिवालविंग चेयर	
11	थाली	
12	फिनायल	
13	गिलास	
14	पंखा	
15	पानी टंकी 1500 लीटर	
16	पलंग	
17	प्लास्टिक चेयर नीलकमल	
18	प्रेसर कूकर 12 लीटर	
19	रबरईजड क्वायर बेड मैट्रेस	
20	सबमर्सिबल पंप	
21	स्टील आलमारी	
22	स्टूडेंट बेच	
23	डोरमेट	
24	व्हालीवाल	
25	फूल प्लेट	
26	टयूबलाईट	
27	ट्रैकसूट जूता	
28	आफिस चेयर	
29	आलमारी	
30	गंज	
31	ग्रीन बोर्ड	
32	लेपटाप	

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 794) के भाग (क) की जानकारी]

1 अप्रैल 2018 से दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक क्रय फर्नीचर एवं कम्प्यूटर की संख्यात्मक जानकारी

क्र.	जिला का नाम	फर्नीचर संख्या																	कम्प्यूटर
		बेंच	डेस्क	ऑफिस टेबल	ऑफिस चेयर	आलमारी	स्टील रैक	स्टूल	रिवायिंग चेयर	एक्जीक्यूटिव टेबल	कम्प्यूटर प्रिंटर टेबल	कम्प्यूटर चेयर	इयूल सेक्स	केबिनेट	स्टील बेंच बेक रेस्ट	एंगल आयरन रैक	अन्य (फर्नीचर)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2018-19 (01 अप्रैल 18 से मार्च 19 तक)																			
1	कारिया	2106	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	अबिकापुर	4340	4340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	जशपुर	5595	5595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	रायगढ़	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	कोरवा	5261	5261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	जाजगीर-चासा	6507	6507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	सक्ती	4744	4744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	बिलासपुर	14494	14494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	कवीरधाम	9206	9206	238	1000	272	170	0	0	68	170	170	0	0	0	0	0	0	
10	राजनादगांव	14984	14984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	दुर्ग	7088	7088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	रायपुर	8253	8253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	महासमुन्द्र	6304	6304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	धमतरी	5633	5633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	काकर	5090	5090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	जगदलपुर	4755	4755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	दत्तेवाडा	2255	2255	153	147	150	30	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	नासयणपुर	976	976	2	13	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	14	4	
19	गोंजापुर	1433	1433	12	8	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	33	0	
20	बलादाबाजार	8840	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	भरियाबाद	4394	4394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	मुंगेली	4191	4191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	बाली	7844	7844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	धमतरी	5757	5757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	कोण्डाबाद	256	256	20	377	20	20	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	सुकमा	1401	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	बलरामपुर	4146	4146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	सुपौर	4580	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	150435	159275	425	1545	444	220	15	101	68	170	170	0	0	0	0	47	4	

क्र.	जिला का नाम	फनीचर संख्या																कम्प्यूटर
		बैच	डेस्क	ऑफिस टेबल	ऑफिस चेयर	आलमारी	स्टील रेक	स्टूल	रिवालविंग चेयर	एकजीक्यूटिव टेबल	कम्प्यूटर प्रिंटर टेबल	कम्प्यूटर चेयर	ड्यूल डेस्क	केबिनेट	स्टील बैच बैक रेस्ट	एंगल आयरन रेक	अन्य (फनीचर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2019-20																		
1	कोरिया	5755	5755	471	1029	240	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अबिकापुर	6900	6900	500	990	333	198	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	जशपुर	5579	5579	496	998	271	260	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	रायगढ़	11543	11543	841	2889	579	1410	1819	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कोरबा	7179	7179	545	1090	327	218	1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	जांजगीर-चांपा	8504	8504	204	186	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सक्ती	5883	5883	225	450	145	90	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	बिलासपुर	10866	10866	680	1360	408	272	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कबीरधाम	5785	5785	404	1317	394	445	270	115	118	90	90	0	0	0	0	0	0
10	राजनांदगांव	11967	11967	1072	2859	766	1219	1962	169	151	151	151	0	0	0	0	0	0
11	दुर्ग	7408	7408	274	736	177	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	रायपुर	9011	9011	435	963	261	174	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	महासमुन्द्र	7611	7611	365	730	219	146	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	धमतरी	7538	7538	298	924	179	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	कोंकर	6967	6967	565	1130	339	226	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जगदलपुर	5926	5926	874	2092	540	964	1324	128	0	128	128	0	0	0	0	0	0
17	दंतेवाड़ा	1613	1613	177	292	120	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नारायणपुर	1334	1334	215	219	26	0	0	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0
19	बीजापुर	1666	1666	175	368	177	77	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	बलीदाबाजार	10473	10473	416	833	240	160	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	गरियाबंद	5728	5728	340	748	204	136	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	मुंगेली	5172	5172	204	3040	158	136	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	बालोद	9230	9230	261	684	297	297	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	बेमतरा	7114	7114	94	565	186	93	0	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0
25	कोण्डागांव	5956	5956	420	840	252	168	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	सुकमा	122	122	162	162	160	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	बलरामपुर	5379	5379	440	880	0	186	880	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0
28	सूरजपुर	5928	5928	321	921	983	257	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	184137	184137	11474	29295	8032	7317	18349	802	384	369	369	0	264	0	241	336	1

क्र.	जिला का नाम	फर्नीचर संख्या																कम्प्यूटर
		बेंच	डेस्क	ऑफिस टेबल	ऑफिस चेयर	आलमारी	स्टील रैक	स्टूल	रिवालविंग चेयर	एकजीक्यूटिव टेबल	कम्प्यूटर प्रिंटर टेबल	कम्प्यूटर चेयर	इयूल डेक्स	केबिनेट	स्टील बेंच बेक रेस्ट	एंगल आयरन रैक	अन्य (फर्नीचर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2020-21 (अप्रैल 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक)																		
1	कोरिया	2695	2695	161	763	76	41	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अबिकापुर	4883	4883	123	652	151	153	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	111
3	जशपुर	4610	4610	195	796	98	411	322	99	24	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सक्ती	4832	4832	143	674	62	49	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	बिलासपुर	7553	7553	92	982	222	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कबीरधाम	5602	5602	285	1402	272	312	180	78	78	60	60	0	0	0	0	0	0
10	राजनादगाव	16271	16275	1561	2492	868	523	534	179	0	0	0	153	0	0	0	0	2
11	दुर्ग	6578	6578	193	725	167	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	रायपुर	6726	6726	165	778	72	55	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	धमतरी	6000	6000	230	573	118	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0
15	कांकेर	6228	6228	196	1581	198	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जगदलपुर	15332	15332	1576	5326	1087	1342	2062	266	0	128	128	0	0	0	0	0	0
18	नारायणपुर	1018	1018	37	284	37	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	बीजापुर	588	588	45	372	53	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	बलौदाबाजार	9351	9351	199	926	98	508	327	98	0	0	0	0	0	0	0	0	30
21	गरियाबंद	5300	5300	176	766	88	426	289	88	0	0	0	0	0	0	0	0	25
22	मुंगेली	3773	3773	104	336	26	125	180	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	बालोद	5971	5971	142	647	230	253	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
24	बेमेतरा	5421	5421	73	535	121	98	27	70	0	0	0	0	0	38	0	0	0
25	कोण्डागाव	1231	1231	337	3661	383	669	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	सुकमा	1001	1001	67	268	34	120	127	40	5	0	0	0	0	0	0	0	0
27	बलरामपुर	3288	3288	168	628	0	366	314	20	0	0	0	0	85	0	0	0	0
28	सूरजपुर	4423	4423	277	1124	121	93	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	128675	128679	6545	26291	4582	6130	5883	1091	107	188	328	153	85	38	126	168	0
	महायोग	463247	472091	18444	57131	13058	13667	24247	1994	559	727	867	153	349	38	367	551	5

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 758) के भाग (क) की जानकारी]

बस्तर संभाग के पोटाकेबिन आश्रमों/छात्रावासों में दी जा रही छात्रवृत्ति की वर्षवार जानकारी

क्रं	सत्र	विवरण	दतेवाड़ा	बीजापुर	नारायणपुर	सुकमा
1	2018-2019	पोटाकेबिन आश्रमों/छात्रावासों की संख्या	17	29	2	16
		छात्रवृत्ति दी जा रही छात्र-छात्राओं की संख्या	3609	3878	586	3429
2	2019-2020	पोटाकेबिन आश्रमों/छात्रावासों की संख्या	17	30	2	16
		छात्रवृत्ति दी जा रही छात्र-छात्राओं की संख्या	4162	4508	272	3658
3	2020-21 30/11/20 20 तक	पोटाकेबिन आश्रमों/छात्रावासों की संख्या	17	30	2	16
		छात्रवृत्ति दी जा रही छात्र-छात्राओं की संख्या	प्रक्रियाधीन है।			

**नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से
संबंधित परिशिष्ट**

परिशिष्ट "छः"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 16) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर नगर निगम अंतर्गत संचालित शालाओं में मरम्मत एवं संधारण कार्य की शालावार जानकारी वर्ष 2019-20

क्र	विकासखण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर	मांगी गई राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	धरसीवा/न.नि.	शा.पू.मा.शाला कोटा	माध्यमिक	50000	50000
2	धरसीवा/न.नि.	शा.पू.मा.शाला पंडरी	माध्यमिक	25000	25000
3	धरसीवा/न.नि.	शा.उ.मा.वि.बीरगाँव	हायर सेके.	50000	50000
4	धरसीवा/न.नि.	शा.उ.मा.वि.लालपुर	हायर सेके.	40000	40000
5	धरसीवा/न.नि.	शा.उ.मा.वि.फुण्डहर	हायर सेके.	15000	15000
6	धरसीवा/न.नि.	शा.उ.मा.वि.डूमरतराई	हायर सेके.	50000	50000
7	धरसीवा/न.नि.	शा.उ.मा.वि.भाठागाँव	हायर सेके.	50000	50000
8	धरसीवा/न.नि.	शा.उ.मा.वि.मठपुरैना	हायर सेके.	50000	50000
9	धरसीवा/न.नि.	शा.उ.मा.वि.मानाबस्ती	हायर सेके.	50000	50000
10	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्रा.शा.राजातालाब	प्राथमिक	25000	25000
11	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्रा.शा.सखाराम दुबे रायपुर	प्राथमिक	10000	8604
12	धरसीवा/न.नि.	शास.उ.मा.वि. मठपारा	हायर सेके.	150000	0
13	धरसीवा/न.नि.	शास.उ.मा.वि. चंगोराभाठा	हायर सेके.	150000	0
14	धरसीवा/न.नि.	शास.उ.मा.वि. खोखोपारा	हायर सेके.	150000	0
15	धरसीवा/न.नि.	शास.उ.मा.वि. डंगनिया	हायर सेके.	100000	0
16	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्टेशनवार्ड	माध्यमिक	75000	0
17	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरापारा	माध्यमिक	50000	0
18	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबीरनगर	माध्यमिक	25000	0
19	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पारसनगर	माध्यमिक	75000	0
20	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अश्वनीनगर	माध्यमिक	50000	0
21	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जे.एन. पाण्डेय बहु. रायपुर	माध्यमिक	25000	0
22	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खदानक्षेत्र मठपुरैना	माध्यमिक	25000	0
23	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मठपुरैना	माध्यमिक	75000	0
24	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भनपुरी	माध्यमिक	80000	0
25	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोंदवारा	माध्यमिक	50000	0

क्र	विकासखण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर	मांगी गई राशि	स्वीकृत राशि
26	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदनीडीह	माध्यमिक	50000	0
27	धरसीवा/न.नि.	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटारी	माध्यमिक	80000	0
28	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला लालपुर	प्राथमिक	50000	0
29	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला बालक हिंदी उर्दू बैजनाथपारा	प्राथमिक	30000	0
30	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला विवेकानंद नगर	प्राथमिक	25000	0
31	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला पुलिस लाईन	प्राथमिक	50000	0
32	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला बैरनबाजार	प्राथमिक	25000	0
33	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला जरवाय	प्राथमिक	40000	0
34	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला राजातालाब	प्राथमिक	25000	0
35	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला शांति नगर	प्राथमिक	50000	0
36	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला खम्हारडीह	प्राथमिक	40000	0
37	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला अभ्यास शाला डाइड	प्राथमिक	70000	0
38	धरसीवा/न.नि.	शासकीय प्राथमिक शाला लाभांडी	प्राथमिक	50000	0
योग				2080000	413604

परिशिष्ट "सात"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 120) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भर्थादित, विलासपुर द्वारा खाद परिवहन की स्वीकृत दर की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2016-17

क्र.	परिवहनकर्ता का नाम	टेंडर में स्वीकृत दरें			
		0 से 8 किमी	0 से 25 किमी	0 से 50 किमी	0 से 75 किमी
		दर (रु.)	दर (रु.)	दर (रु.)	दर (रु.)
1	श्री महेन्द्र सिंह छाबडा	270.00	18.40	11.60	2.90
2	श्री इंदरपालन सिंह	270.00	15.50	11.60	0.00
3	श्री सतवेन्द्र सिंह डोमीर	270.00	15.50	11.60	0.00
4	श्री महेन्द्र सिंह काला	270.00	15.50	11.60	0.00
5	श्री इकबल हक	270.00	15.50	11.60	0.00
6	श्री चुन्नीलाल साहू	270.00	16.00	11.60	2.90
7	श्री उत्तम सिंह डोमीर	270.00	16.00	11.60	0.00
8	श्री जमाल हक	270.00	16.00	11.60	2.90
9	श्री भूपेन्द्र सिंह डोमीर	270.00	15.50	7.99	0.00
10	श्री सचिन कुमार जैन	270.00	15.50	11.00	0.00
11	श्री शेख निजामुद्दीन	270.00	16.00	11.60	2.90
12	श्री जितैन्द्र उप्पल	272.00	18.40	12.00	0.00
13	श्री निलेश सापरिया	275.00	18.60	12.00	4.00
14	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	145.00	8.43	6.85	2.90
15	श्री दिनेश शर्मा	260.00	14.40	11.60	2.90
16	श्री उमेश शर्मा	260.00	14.40	11.60	2.90
17	श्री अशोक जुनेजा	182.00	13.95	7.80	4.00
18	श्री महेश शर्मा	260.00	14.40	11.60	2.90
19	श्री दिनेश मिश्रा	173.00	11.45	6.40	4.00
20	श्री उमेश पालीवाल	170.00	0.00	5.95	0.00
21	श्री वाय के जैन	0.00	11.48	0.00	4.00
22	श्री महावीर जैन	185.00	10.99	7.99	5.92
23	श्री कविता जैन	185.00	10.90	7.99	5.92

वर्ष 2017-18

1	श्री महेन्द्र सिंह छाबडा	254.00	16.75	11.00	2.50
2	मो. इकबाल	219.00	13.00	9.90	0.00
3	महेन्द्र सिंह काला	219.00	13.00	9.90	0.00
4	श्री मनीन्द्र सिंह छाबडा	219.00	13.00	9.90	0.00
5	श्री चुन्नीलाल साहू	280.00	17.00	12.00	0.00

क्र.	परिवहनकर्ता का नाम	टेंडर में स्वीकृत दरें			
		0 से 8 किमी	0 से 25 किमी	0 से 50 किमी	0 से 75 किमी
		दर (रु.)	दर (रु.)	दर (रु.)	दर (रु.)
6	श्री उत्तम सिंह डोमीर	283.00	16.80	12.50	0.00
7	श्री जमाल हक	283.00	16.80	12.18	0.00
8	श्रीमती अरविन्दर कौर	285.00	16.00	11.00	0.00
9	मां. पार्वती टासपोर्ट	270.00	15.30	11.60	0.00
10	श्री शेख निजामुद्दीन	283.00	17.00	12.25	0.00
11	श्री जितेन्द्र उप्पल	283.00	19.40	12.60	4.00
12	श्री निलेश सापरिया	269.90	17.40	0.90	0.90
13	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	142.00	8.58	6.93	2.80
14	श्री महेश शर्मा	275.00	15.25	12.60	3.00
15	श्री आयुष शर्मा	265.00	15.25	12.50	3.00
16	श्री रामकुमार यादव	177.00	12.94	7.19	5.50
17	श्री दिनेश शर्मा	265.00	14.25	12.50	2.90
18	श्री सुमित बागडिया	250.00	15.50	9.10	5.00
19	श्री संतोष कुमार यादव	230.00	14.12	7.49	4.00
20	श्री राधे श्याम कौशिक	270.00	16.00	11.25	8.00
21	श्रीमती कविता जैन	270.00	16.00	11.25	8.00
वर्ष 2018-19					
1	श्री महेन्द्र सिंह छाबडा	310.00	20.00	12.50	9.50
2	मो. इकबाल	0.00	0.00	12.00	0.00
3	मनीन्द्र छाबडा	0.00	16.00	0.00	0.00
4	हरविन्दर पाल सिंह	270.00	12.00	0.00	0.00
5	श्री चुन्नीलाल साहू	280.00	107.00	12.00	0.00
6	सतपाल सिंह छाबडा	330.00	20.20	14.50	9.50
7	श्री जमाल हक	283.00	16.80	12.18	0.00
8	श्रीमती अरविन्दर कौर	285.00	16.00	11.00	0.00
9	मां. पार्वती टासपोर्ट	345.00	19.08	17.82	0.00
10	श्री शेख निजामुद्दीन	283.00	17.00	12.25	0.00
11	श्री जितेन्द्र उप्पल	320.00	22.10	14.00	0.00
12	श्री निलेश सापरिया	269.90	17.40	0.90	0.90
13	श्री वाय के जैन	178.00	12.39	6.90	5.00
14	श्री उमेश शर्मा	295.00	17.20	14.00	7.00
15	श्री आयुष शर्मा	295.00	17.50	14.20	7.00
16	श्री अशोक जुनेजा	195.00	13.95	9.30	5.25
17	श्री महेश शर्मा	295.00	17.50	14.20	7.00
18	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	217.00	0.00	5.00	0.00

क्र.	परिवहनकर्ता का नाम	टेंडर में स्वीकृत दरें			
		0 से 8 किमी	0 से 25 किमी	0 से 50 किमी	0 से 75 किमी
		दर (रु.)	दर (रु.)	दर (रु.)	दर (रु.)
19	श्री संतोष कुमार यादव	216.00	13.76	3.00	0.00
20	श्री कविता जैन	324.00	19.50	13.75	9.60
21	श्री राधे श्याम कौशिक	298.00	18.30	12.90	9.20
वर्ष 2019-20					
1	मो. इकबाल	0.00	0.00	12.00	0.00
2	मनीन्द्र छाबडा	0.00	16.00	0.00	0.00
3	हरपिन्दर पाल सिंह	270.00	12.00	0.00	0.00
4	श्री चुन्नीलाल साहू	280.00	107.00	12.00	0.00
5	सतपाल सिंह छाबडा	330.00	20.20	14.50	9.50
6	श्री जमाल हक	283.00	16.80	12.18	0.00
7	श्रीमती अरविन्दर कौर	285.00	16.00	11.00	0.00
8	मां. पार्वती ट्रासपोर्ट	345.06	19.08	17.82	0.00
9	श्री इकबाल	283.00	17.00	12.25	0.00
10	श्री जितैन्द्र उप्पल	320.00	22.10	14.00	0.00
11	समिति द्वारा स्वयं परिवहन	269.90	17.40	0.90	0.90
12	समिति द्वारा स्वयं परिवहन	178.00	12.39	6.90	5.00
13	श्री उमेश शर्मा	295.00	17.20	14.00	7.00
14	श्री आयुष शर्मा	295.00	17.50	14.20	7.00
15	श्री अशोक जुनेजा	195.00	13.95	9.30	5.25
16	श्री महेश शर्मा	295.00	17.50	14.20	7.00
17	समिति द्वारा स्वयं परिवहन	217.00	0.00	5.00	0.00
18	श्री संतोष कुमार यादव	216.00	13.76	3.00	0.00
19	श्री कविता जैन	324.00	19.50	13.75	9.60
20	श्री राधे श्याम कौशिक	298.00	18.30	12.90	9.20

प्रपत्र "ब"

परिवहनकर्ता को भुगतान की वर्षवार जानकारी
वर्ष 2016-17

क्र०	परिवहनकर्ता का नाम	डबल लॉक केन्द्र का नाम	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	योग
1	श्री महेन्द्र सिंह छाबडा	तखतपुर	तखतपुर	908845.00									908845.00
2	श्री इंदरपालन सिंह	सकरी			सरकंडा	290237.00	धनिया	352060.00	मण्डी	495311.00	मुख्य शाखा		1137608.00
3	श्री सतवेन्द्र सिंह डोमीर	सकरी	सीपत	422475.00	मुख्य शाखा	594833.00	धनिया	159500.00	सरकंडा	342085.00	मण्डी	129399.00	1648292.00
4	श्री महेन्द्र सिंह काला	सकरी	सरकंडा	139399.00									139399.00
5	श्री इकबल हक	सकरी	बिल्हा	1303151.00									1303151.00
6	श्री चुन्नीलाल साहू	कोटा	कोटा	263823.00									263823.00
7	श्री उत्तम सिंह डोमीर	रतनपुर	रतनपुर	486320.00	बेलतरा	376840.00							863160.00
8	श्री जमाल हक	जयशामनगर	मल्हार	620051.00	मस्तुरी	550125.00							1170176.00
9	श्री भूपेन्द्र सिंह डोमीर	लोहर्सी	लोहर्सी	688617.00									688617.00
10	श्री सचिन कुमार जैन	पेंडारोड	पेंडारोड	300705.00	पेंडारोड	257064.00	मरवाही	354582.00					912351.00
11	श्री शेख निजामुद्दीन	सरगाव	सरगाव	808832.00									808832.00
12	श्री जितेन्द्र उष्वल	मुंगेली	जरहागाव	764142.00	मुंगेली	821864.00	पंडरभटा	248360.00	सेतगंगा	346196.00	पथरिया	696100.00	2876662.00
13	श्री नितेश सापरिया	लोरमी	लोरमी	254355.00									254355.00
14	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	जांजगीर	जांजगीर	417169.00	बलौदा	424098.00	नवागढ	324143.00					1165410.00
15	श्री दिनेश शर्मा	सक्ती	मालखरोदा	1233808.00	छपोरा	223732.00							1457540.00
16	श्री उमेश शर्मा	बाराद्वार	बाराद्वार	782000.00									782000.00
17	श्री अशोक जुनेजा	पामगढ	पामगढ	877834.00	शिवरीनाराय	501867.00							1379701.00
18	श्री महेश शर्मा	डभरा	डभरा	798480.00									798480.00
19	श्री दिनेश मिश्रा	अकलतरा	अकलतरा	461317.00									461317.00
20	श्री उमेश गालीवाल	चाम्पा	चाम्पा	325084.00									325084.00
21	श्री वाय कं जैन	चाम्पा	चाम्पा	690408.00									690408.00
22	श्री महावीर जैन	कटघोरा	कटघोरा	221961.00	दीपिका	253071.00	पोडी उपरो	315165.00	पाली	362724.00			1152921.00
23	श्री कविता जैन	उरगा	बरपाली	959404.00	कोरबा	713274.00							1672678.00
				13728180.00		5007005.00		1753810.00		1546316.00		825499.00	22860810.00

वर्ष 2017-18

क्र.	परिवहनकर्ता का नाम	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	योग
1	श्री महेन्द्र सिंह छाबडा	तखतपुर	822202.00									822202.00
2	नो. इकबाल	बिल्हा	1129117.00									1129117.00
3	महेन्द्र सिंह काला	सीपत	629038.00	मुख्य शाखा	868191.00	धनिया	544995.00					2042224.00
4	श्री मनीन्द्र सिंह छाबडा	सरकंडा	513630.00	मण्डी	461467.00							975097.00
5	श्री चुन्नीलाल साहू	कोटा	780814.00									780814.00
6	श्री उत्तम सिंह डोमीर	रतनपुर	463375.00	बेलतरा	377432.00							840807.00
7	श्री जमाल हक	मस्तुरी	313502.00	मल्हार	345545.00							659047.00
8	श्रीमती अरविन्दर कौर	लोहसी	71620.00									71620.00
9	मां. पार्वती टासपोर्ट	पेन्द्रा	132061.00	पेन्द्रारोड	229334.00	मरवाही	354582.00					715977.00
10	श्री शेख निजामुद्दीन	सरगांव	488042.00									488042.00
11	श्री जितैन्द्र उप्पल	जरहागांव	661561.00	मुंगेली	821864.00	पथरिया	817268.00	सेतगंगा	258699.00	पंडरभटा	183794.00	2743186.00
12	श्री निलेश सापरिया	लोरमी	1138179.00									1138179.00
13	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	जांजगीर	551845.00	बलौदा	300967.00	नवागढ	239889.00					1092701.00
14	श्री महेश शर्मा	मालखरौदा	1361088.00	छपोरा	293906.00	सक्ती	1578367.00					3233361.00
15	श्री आयुष शर्मा	बाराद्वार	1354333.00	बिरा	706000.00	हसौद	757480.00	जैजैपुर	1596374.00			4414187.00
16	श्री अशोक जुनेजा	पामगड	546229.00	शिवरीनारायण	425979.00	मुलमुला	204568.00					1176776.00
17	श्री दिनेश शर्मा	डभरा	1564400.00	चन्द्रपुर	646414.00							2210814.00
18	श्री सुमित बागडिया	अकलतरा	956875.00									956875.00
19	श्री संतोष कुमार यादव	चाम्पा	646351.00	बम्हनीडीह	499748.00							1146099.00
20	श्री राधे श्याम कौशिक	कटघोरा	122210.00	दीपिका	210126	पोडी उपरोडा	413590.00	पाली	257182			1003108.00
21	श्रीमती कविता जैन	बरपाली	1270597.00	कोरबा	848864.00							2119461.00
	योग		15517069.00		7035837.00		4910739.00		2112255.00		183794.00	29759694.00

वर्ष 2018-19

क्र.	परिवहनकर्ता का नाम	डबल लॉक केन्द्र का नाम	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	योग
1	श्री महेन्द्र सिंह छाबडा	तखतपुर	तखतपुर	441670.00									441670.00
2	मो. इकबाल	सकरी	बिल्हा	1147076.00									1147076.00
3	मनीरुल्लाह छाबडा	सकरी	सरकडा	452822.00	मण्डो	366400.00	धनिया						819222.00
4	हरपिन्दर पाल सिंह	सकरी	सीपत	422280.00	मुख्य शाखा	pa	धनिया	270800.00					#VALUE!
5	श्री चुन्नीलाल साहू	कोटा	कोटा	806346.00									806346.00
6	सतपाल सिंह छाबडा	रतनपुर	रतनपुर	334322.00	बेलतरा	360516.00							694838.00
7	श्री जमाल हक	जयरामनगर	मस्तुरी	308132	मल्हार	96721.00							404853.00
8	श्रीमती अरविन्दर कौर	लोहसी	लोहसी	405804.00									405804.00
9	मां. पार्वती टासपोर्ट	पेन्द्रारोड	पेन्द्रा	415040.00	पेन्द्रारोड	440153.00	मरवाही	939169.00					1794562.00
10	श्री शेख निजामुदीन	सरगाव	सरगाव	412015.00									412015.00
11	श्री जितेन्द्र उप्पल	मुंगेली	मुंगेली	562204.00	सेतगंगा	136259.00	जरहागाव	591482.00	पंढरभटा	206537.00	पथरिया	514074.00	2010556.00
12	श्री निलेश सापरिया	लोरमी	लोरमी	271172.00	बोडतरा	173244.00	कतेली	267561.00					711977.00
13	श्री वाय के जैन	जाजगीर	जाजगीर	612794.00	बलोदा	285157.00	नवागढ	128113.00					1026064.00
14	श्री उमेश शर्मा	सक्ती	मालखरोदा	1230534.00	छपोरा	375134.00	जैजैपुर	1653295.00	सक्ती	1482292.00	बिरा	472093.00	5213348.00
15	श्री आयुष शर्मा	बाराद्वार	बाराद्वार	1230534.00									1230534.00
16	श्री अशोक जुनेजा	पामगढ	पामगढ	581552.00	शिवरीनाराय	272285.00	मुलमुला	133289.00					987126.00
17	श्री महेश शर्मा	डभरा	डभरा	1796892.00	चन्द्रपुर	794568.00							2591460.00
18	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	अकलतरा	अकलतरा	461317.00									461317.00
19	श्री संतोष कुमार यादव	चाम्या	चाम्या	629105.00	बम्हनीडीह	325084.00							954189.00
20	श्री कविता जैन	कटघोरा	कटघोरा	160512.00	दीपिका	219969.00	पोडी उपरोडा	178408.00	पाली	281108.00			839997.00
21	श्री राधे श्याम कौशिक	उरगा	बरपाली	776673.00	कोरवा	497882.00							1274555.00
	याग			13458796.00		4343372.00		4162117.00		1969937.00		986167.00	#VALUE!

क्र०	परिवहनकर्ता का नाम	डबल लॉक केन्द्र का नाम	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	शाखा का नाम	भुगतान राशि	योग
1	मो. इकबाल	सकरी	तखतपुर	1202737.00											1202737.00
2	मनीन्द्र छाबडा	सकरी	बिल्हा	741444.00											741444.00
3	हरपिन्दर पाल सिंह	सकरी	मुख्य शाखा	985884.00	सोपत	292128.00	घनिया	229684.00							1507696.00
4	श्री चुन्नीलाल साहू	कोटा	कोटा	230343.00											230343.00
5	सतपाल सिंह छाबडा	रतनपुर	रतनपुर	354703.00	बेलतरा	150702.00									505405.00
6	श्री जमाल हक	जयरामनगर	मस्तुरी	295624.00	मल्हार	295646.00									591270.00
7	श्रीमती अरविन्दर कौर	लोहसी													0.00
8	मां. पार्वती ट्रासपोर्ट	पेन्द्रोड	पेन्द्रा	242129.00	पेन्द्रोड	277214.00	मरवाही	370579.00							889922.00
9	श्री इकबाल	सरगांव	सरगांव	9618964.00	पेन्द्रोड		मरवाही								9618964.00
10	श्री जितैन्द्र उप्पल	मुगेली	जरहगांव	514362.00	सेतगंगा	240292.00	पधरिया	248980.00	पंडरभटा	223319.00	कतेली	291686.00	मुगेली	483655.00	2002294.00
11	समिति द्वारा स्वयं परिवहन	लोरमी													0.00
12	समिति द्वारा स्वयं परिवहन	जाजगीर													0.00
13	श्री उमेश शर्मा	सक्ती	मालखरौदा	1257329.00	सक्ती	1071158.00	बिरां	358848.00							2687335.00
14	श्री आयुष शर्मा	बाराद्वार	बाराद्वार	1273500.00											1273500.00
15	श्री अशोक जुनेजा	पामगड	पामगड	595470.00	शिवरीनाराय	208195.00	मुलमुला	130053.00							933718.00
16	श्री महेश शर्मा	डभरा	डभरा	1510931.00	छपोरा	304019.00	चन्द्रपुर	825877.00							2640827.00
17	समिति द्वारा स्वयं परिवहन	अकलतरा	अकलतरा	/											0.00
18	श्री संतोष कुमार यादव	चाम्पा	चाम्पा	457753.00	बम्हनीडीह	219020.00									676773.00
19	श्री कविता जैन	कटघोरा	कटघोरा	264617.00	दीपिका	453743.00	पोडी उपरोडा	366552.00	पाली	419660.00					1504572.00
20	श्री राधे श्याम कौशिक	उरगा	बरपाली	1398566.00	कोरबा	967262.00									2365828.00
	योग			20944356.00		4479379.00		2530573.00		642979.00		291686.00	483655.00	29372628.00	

परिशिष्ट "आठ"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 142) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	आदेश दिनांक	कृषक संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	दर प्रति हेक्टेयर		कुल मुआवजा राशि	अन्य विवरण
						सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अकलतरा	साकर	03 / 05 / 2020	64	12.33	1294000	1050000	67662002	
2		सोनादुला	04 / 05 / 2020	16	2.572	1068000	942000	11647293	
3		अमलीपाली	05 / 05 / 2020	23	5.505	975000	783000	19123047	
4		चंगोरी	06 / 05 / 2020	1	0.208	1120000	975000	989175	
5		चंदनिया	08 / 05 / 2020	25	4.169	1230000	1000000	17675712	
6		पिपरदा	09 / 05 / 2020	37	3.535	1050000	855000	12816532	
7	बलौदा	अंगारखार	07 / 10 / 2020	34	2.986	1107000	884000	11298732	
8		बलौदा	11 / 06 / 2020	161	16.291	7500000	5500000	211536208	
9		बक्सरा	11 / 06 / 2020	56	5.700	1785000	1389000	34429572	
10		बछौद	07 / 10 / 2020	24	3.667	1855000	1420000	23079725	
11		कोरबी	07 / 10 / 2020	26	3.896	1324000	964000	15623621	
12		डोंगरी	10 / 09 / 2020	61	8.379	1600000	1300000	47959396	
13		भिलाई	11 / 06 / 2020	80	6.454	1600000	1200000	42976915	
14	बलौदा	हरदीविशाल	11 / 06 / 2020	63	5.601	1272000	1054000	25501100	
15		खिसोरा	11 / 06 / 2020	78	10.397	1728000	1390000	65947869	
16		चारपारा	10 / 09 / 2020	133	8.941	2088000	1580000	64015004	
17		ढोकला	07 / 10 / 2020	56	7.747	1280000	1000000	39425357	
18		पंतोरा	10 / 09 / 2020	69	9.174	2251000	1555000	63304121	
योग				1007	117.553			775012381	

परिशिष्ट "नौ"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 425) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिला का नाम	नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की जानकारी	ए.एस.एल.आर के रिक्त पदों की जानकारी
1	रायपुर	पद रिक्त नहीं (8 नायब तहसीलदार अतिरिक्त)	2 पद रिक्त।
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	पद रिक्त नहीं।	पद रिक्त नहीं।
3	गरियाबंद	1 पद रिक्त।	पद रिक्त नहीं।
4	महासमुंद	पद रिक्त नहीं।	1 पद रिक्त।
5	धमतरी	पद रिक्त नहीं।	पद रिक्त नहीं।
6	दुर्ग	पद रिक्त नहीं (1 नायब तहसीलदार अतिरिक्त)	पद रिक्त नहीं (1 अतिरिक्त)
7	बालोद	पद रिक्त नहीं (1 नायब तहसीलदार अतिरिक्त)	पद रिक्त नहीं।
8	बेमेतरा	पद रिक्त नहीं (2 नायब तहसीलदार अतिरिक्त)	पद रिक्त नहीं।
9	राजनांदगांव	पद रिक्त नहीं (1 नायब तहसीलदार अतिरिक्त)	पद रिक्त नहीं (2 अतिरिक्त)
10	कबीरधाम	पद रिक्त नहीं (2 नायब तहसीलदार अतिरिक्त)	पद रिक्त नहीं।
11	बिलासपुर	1 पद रिक्त।	पद रिक्त नहीं।
12	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	1 पद रिक्त।	-
13	कोरबा	पद रिक्त नहीं।	पद रिक्त नहीं (1 अतिरिक्त)
14	रायगढ़	1 पद रिक्त।	पद रिक्त नहीं।

15	मुंगेली	पद रिक्त नहीं	पद रिक्त नहीं (2 अतिरिक्त)
16	जाजगीर-चांपा	पद रिक्त नहीं (1 नायब तहसीलदार अतिरिक्त)	पद रिक्त नहीं (1 अतिरिक्त)
17	सरगुजा	3 पद रिक्त।	पद रिक्त नहीं (2 अतिरिक्त)
18	कोरिया	2 पद रिक्त।	पद रिक्त नहीं।
19	जशपुर	3 पद रिक्त।	1 पद रिक्त।
20	बलरामपुर-रामानुजगंज	5 पद रिक्त।	2 पद रिक्त।
21	सूरजपुर	1 पद रिक्त।	पद रिक्त नहीं।
22	बस्तर	1 पद रिक्त।	4 पद रिक्त।
23	सत्तर बस्तर कांकेर	3 पद रिक्त।	1 पद रिक्त।
24	कोण्डागांव	1 पद रिक्त।	पद रिक्त नहीं।
25	सुकमा	1 पद रिक्त।	1 पद रिक्त।
26	नारायणपुर	पद रिक्त नहीं।	1 पद रिक्त।
27	बीजापुर	1 पद रिक्त।	2 पद रिक्त।
28	दक्षिण बस्तर दत्तेवाड़ा	4 पद रिक्त।	2 पद रिक्त।

परिशिष्ट "दस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 439) के भाग (क) की जानकारी]

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन

स.कं.	जिला	हाईस्कूल में उन्नयन हेतु बजट 2020-21 में प्रावधानित शाला का नाम
1	दुर्ग	शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्या शाला कुम्हारी
2	दुर्ग	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महूदा
3	दुर्ग	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोलिहापुरी
4	रायपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बहनाकाड़ी
5	जांजगीर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चोरभट्टी
6	दुर्ग	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गनियारी
7	दुर्ग	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दनिया
8	दुर्ग	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पेण्डरी (कुटहा)
9	सक्ती	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जवाली
10	बेमेतरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दर्री
11	रायपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोरियाखुर्द
12	रायपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रावाभांठा
13	रायपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पचेड़ा
14	रायगढ़	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बसनाझर
15	कोरिया	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हरफरा
16	बस्तर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोडनपाल
17	कांकरे	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भैसगांव
18	सुकमा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गंजेनार
19	कोरबा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुडापार
20	सरगुजा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पर्रांडांड (मोमिनपुरा)
21	बलरामपुर	शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला कशारी
22	राजनांदगांव	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उरयाही
23	सरगुजा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लिबरा
24	सरगुजा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुडगांव
25	कोरबा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अधरीकछार

(हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी उन्नयन)

स.कं.	जिला	हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु बजट 2020-21 में प्रावधानित शाला का नाम
1	दुर्ग	शा. हाईस्कूल पतौरा
2	महासमुन्द	शा. हाईस्कूल खुसरुपाली
3	राजनांदगांव	शा. हाईस्कूल जोशीलमती
4	बालोद	शा. हाईस्कूल किल्लेकोड़ा
5	बलौदा-बाजार	शा. हाईस्कूल पंडरीपाली
6	राजनांदगांव	शा. हाईस्कूल आलीवारा
7	रायपुर	शा. हाईस्कूल तोरला
8	महासमुन्द	शा. हाईस्कूल अछोला
9	कबीरधाम	शा. हाईस्कूल मोतिमपुर
10	बालोद	शा. हाईस्कूल भंडेरा
11	बलौदा-बाजार	शा. हाईस्कूल सकरी
12	राजनांदगांव	शा. हाईस्कूल ढावा
13	बलरामपुर	शा. हाईस्कूल तुगवा
14	बलरामपुर	शा. हाईस्कूल आरा
15	सूरजपुर	शा. हाईस्कूल अजिरमा
16	रायगढ़	शा. हाईस्कूल बहिरकेला
17	रायगढ़	शा. हाईस्कूल बिजना
18	बिलासपुर	शा. हाईस्कूल मुरमुर
19	सूरजपुर	शा. हाईस्कूल पोड़ी
20	कोण्डागांव	शा. हाईस्कूल उरंदाबेड़ा
21	बस्तर	शा. हाईस्कूल राजूर
22	धमतरी	शा. हाईस्कूल करैहा
23	जशपुर	शा. हाईस्कूल फरसाबहार
24	सरगुजा	शा. हाईस्कूल सोहगा
25	सूरजपुर	शा. हाईस्कूल खडगवाकला

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 740) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गये धान परिवहन की वर्षवार जानकारी

क्र.	2018-19			2019-20		
	स्लैब (कि.मी.में)	दर (प्रति टन कि.मी.)	भुगतान राशि	स्लैब (कि.मी.में)	दर (प्रति टन कि.मी.)	भुगतान राशि
1	0-10	26.51	71591252.45	0-8	14.32	84507734.00
2	0-25	19.40		8-20	9.90	
3	0-50	12.45		20-40	6.94	
4	0-75	9.20		40-80	5.48	
5	0-100	7.57		80 से अधिक	4.38	
6	0-200	6.18		-	-	

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिले में परिवहनकर्ताओं को भुगतान की गई राशि की जानकारी

वर्ष 2018-19

क्र.	परिवहनकर्ता का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि
1	बजरंग लाल अग्रवाल	31.01.2019	4006122.00
2	अनुप सिंह स्याल	02.02.2019	5853419.00
3	अनुप सिंह स्याल	14.02.2019	8070969.00
4	बजरंग लाल अग्रवाल	28.02.2019	14271755.00
5	बजरंग लाल अग्रवाल	30.03.2019	9042983.00
6	बजरंग लाल अग्रवाल	06.05.2019	1737804.49
7	अनुप सिंह स्याल	04.06.2019	17388242.79
8	रमेश कुमार अग्रवाल	04.06.2019	6426886.25
9	बजरंग लाल अग्रवाल	30.07.2019	769702.94
10	अनुप सिंह स्याल	09.09.2019	1794932.59
11	रमेश कुमार अग्रवाल	12.03.2020	341943.66
12	बजरंग लाल अग्रवाल	06.05.2020	561526.72
13	रमेश कुमार अग्रवाल	21.10.2020	775812.23
14	रमेश कुमार अग्रवाल	12.11.2020	549152.78
योग			71591252.45

वर्ष 2019-20

क्र.	परिवहनकर्ता का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि
1	अनुप सिंह स्याल	19.03.2020	2697914.53
2	अनुप सिंह स्याल	09.04.2020	2552779.03
3	अनमोल सिंह भाटिया	16.04.2020	4076133.25
4	बजरंग लाल अग्रवाल	20.04.2020	363764.36
5	रमेश कुमार अग्रवाल		1403061.70
6	अशोक कुमार अग्रवाल	30.04.2020	6556927.20
7	बजरंग लाल अग्रवाल		7654243.85
8	मेसर्स बजरंग लाल अग्रवाल (रवि मोटर्स)		1232490.98
9	अनमोल सिंह भाटिया		4225575.61
10	अनुप सिंह स्याल	21.05.2020	3750866.08
11	मेसर्स बजरंग लाल अग्रवाल (रवि मोटर्स)		3804178.36
12	रामचरण अग्रवाल		6090494.14
13	अनमोल सिंह भाटिया	04.06.2020	1642104.54
14	अशोक कुमार अग्रवाल		510405.63
15	बजरंग लाल अग्रवाल		211361.76
16	रमेश कुमार अग्रवाल		1571887.45
17	मेसर्स बजरंग लाल अग्रवाल (रवि मोटर्स)	16.06.2020	2445656.21
18	रामचरण अग्रवाल		1869111.44
19	अनमोल सिंह भाटिया	24.06.2020	1731580.21
20	अनुप सिंह स्याल		2210544.51
21	अशोक कुमार अग्रवाल		1204469.17
22	बजरंग लाल अग्रवाल		711833.61
23	मेसर्स बजरंग लाल अग्रवाल (रवि मोटर्स)	02.11.2020	345701.14
24	रामचरण अग्रवाल		3775325.39
25	अनमोल सिंह भाटिया		3916686.75
26	अनुप सिंह स्याल	02.11.2020	5984464.40
27	अशोक कुमार अग्रवाल		1407821.53
28	बजरंग लाल अग्रवाल		1122950.30
29	मेसर्स बजरंग लाल अग्रवाल (रवि मोटर्स)		2101556.41
30	रामचरण अग्रवाल	02.11.2020	5419677.15
31	रमेश कुमार अग्रवाल		

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 774) के भाग (क) की जानकारी]

आहरण संवितरण अधिकार अप्राप्त हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी

क्र०	जिला	आहरण संवितरण अधिकार अप्राप्त शालाओं की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4
1	कोरिया	92	
2	अंबिकापुर	102	
3	जशपुर	88	
4	रायगढ़	164	
5	कोरबा	109	
6	जांजगीर-चांपा	115	
7	सक्ती	91	
8	बिलासपुर	148	
9	कबीरधाम	132	
10	राजनादगांव	245	
11	दुर्ग	117	
12	रायपुर	140	
13	महासमुन्द	154	
14	धमतरी	130	
15	कांकेर	184	
16	जगदलपुर	111	
17	दंतेवाड़ा	39	
18	नारायणपुर	21	
19	बीजापुर	39	
20	बलौदाबाजार	197	
21	गरियाबंद	96	
22	मुंगेली	103	
23	बालोद	114	
24	बेमेतरा	146	
25	कोण्डागांव	102	
26	सुकमा	41	
27	बलरामपुर	100	
28	सूरजपुर	83	
29	गौरेल्ला-पेण्ड्रा	43	
	योग	3246	

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारंगिक प्रश्न संख्या 35 (क्र. 799) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आबंटन	ग्राम का नाम	व्यय का वार्षिक विवरण						कुल योग	पूर्ण	अपूर्ण
					2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	डेयरी विकास कार्यक्रम 02 युनिट	2	50,00,000	जोरटोला, रीधानटोला	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	अप्रारम्भ	
2	बाड़ी विकास कार्यक्रम	31	16,50,000	कनौली, बसेली, खैरकट्टा, मानपुर, देवरसूर, लमती, गोपलीनचुवा, परेवाडीह, गोडलवाही, आमाकट्टा, पीटपानी, परना, दरवानटोला, पिरचापहाड़, बछेरागाटा	0.00000	16,50,000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16,50,000	पूर्ण	-
3	बड़े शहरों के आसपास सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम	293	14,65,000	बसेली, खैरकट्टा, मालेर, परदानी, कनौली, कोरकट्टी देवरसूर, लमती, पाडरवानी आडेकर, करमतरा, खुसीदिक्क, बूटाकसा, सिरलगढ, बडगांव, लाट्टोला, परेवाडीह, आमाकट्टा, गोटाटोला पीटपानी, बासपहाड़ परना, बेगरी, मोहगाव, तेतीटोला, लालबाबा, बछेरागाटा, देवपुराघाट	0.00000	14,65,000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14,65,000	पूर्ण	-
4	वर्मी कम्पोस्ट	46	2,72,000	बसेली, हनईकला, मानपुरदेवरसूर, पांडरवानी गोपलीन चुवा परेवाडीह, आमाकट्टा पीटपानी, बेगरी, समुंदपानी	0.00000	2,72,000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,72,000	पूर्ण	-
5	हाईब्रिड मुनगा पौधा प्रदाय एवं विकास	414	0,20,672	मानपुर, परदानी, मालेर, काडे, खैरकट्टा, बसेली पाडरवानी, एकटकरहर, डारनी, कोरा, कोरानटोला, देवरसूर गोपलीनचुवा, मुसुसी बूटाकसा, सिरलगढ, आडेकर गोडलवाही, लाट्टोला, परेवाडीह, देवरसूर बुडानछपर, मावुकोन्हा, पीटपानी, बासपहाड़ परना, ब.चारभाटा, दरवानटोला, मोहगाव, भरतपुर, मोथली, खालारसाट, मरुखदान	0.00000	0,20,672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0,20,672	पूर्ण	-
6	छात्रावास/आश्रमों में निवासरत किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित एनर्स की संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षक के रूप में पदस्थापना	5	9,00,000	मक्के, कुंवरदल्ली, पेडूर, कुहली, साल्सेवार	0.00000	4,61,000	4,39,000	0.00000	0.00000	0.00000	9,00,000	पूर्ण	-
7	आवस्यीय विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना	20	5,00,000	गोटाटोला, इनाई, उरवाही, संमटोला, कोरमटोला, शेनाकपुरा मुकादा, मोजटोला, कुंवरदल्ली, कोडीकसा, जाट्टोला, परसाटोला, कोराटोला, छवनपहरी, केसरीटोला, मक्के, पेडूर, छुईखदान, कोटीटोला, साल्सेवार	0.00000	5,00,000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,00,000	पूर्ण	-

(राशि लाखों में)

179

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आबंटन	ग्राम का नाम	व्यय का वर्षवार विवरण						कुल योग	पूर्ण	अपूर्ण
					2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	शासकीय आवासीय विद्यालय में लोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना, स्थानीय सेनेटरी नेपकीन का निर्माण	1	10.00000	चौकी	0.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	पूर्ण	-	
9	अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला/महोत्सव एवं खेलकूद प्रोत्साहन हेतु सहायता	5	3.00000	चौकी, मोहला, मानपुर, छुरिया, डोमरागढ़	0.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.00000	पूर्ण	-	
10	जिला मुख्यालय स्थित छात्रावास में आधुनिक किचन का निर्माण	1	5.00000	कोरिमटोला (राजनांदगांव)	0.00000	0.00000	4.83200	0.00000	0.00000	4.83200	पूर्ण	-	
11	अनुसूचित जनजातियों के उच्च शिक्षित युवकों द्वारा कक्षा 10वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की कोचिंग (रु. 10600 प्रति माह चार माह हेतु)	1896	12.43550	कोरिमटोला, रेंगाकटेरा, गोटाटोला, मोहला, दुगाटोला, करमती, हथरा, सरखेडा मरकेली, औंधी मानपुर, बोकी, साव्हेवाया, बोरतलाव	0.00000	1.22000	1.66800	1.79800	0.63000	5.31600	-	अपूर्ण	
12	बैकगार्ड पोल्स्री विकास शोड निर्माण सहित	69	17.50000	खैरकट्टा, परदोनी, मालेर, कोरिमटोला, डारनी, करमतीरा गोडलवाही, भीटपानी, ब वास्माटा, मानपुर, राउरकसा, मुजारी, सरईपतेरा	0.00000	0.00000	17.50000	0.00000	0.00000	17.50000	पूर्ण	-	
13	पशुओं के पौष्टिक आहार हेतु चारा/अजोला विकास कार्यक्रम	64	3.30000	खैरकट्टा, परदोनी, मालेर कोरिमटोला, डारनी करमतीरा गोडलवाही भीटपानी व वास्माटा, परना, मानपुर, राउरकसा, मुजारी, सरईपतेरा	0.00000	3.30000	0.00000	0.00000	0.00000	3.30000	पूर्ण	-	
14	मंजुमस्की पालन	6	0.60000	दरबानटोला, भरतपुर, गेरुखदान	0.00000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.60000	पूर्ण	-	
15	परपरागत फसलों का विकास (कांदा, कुटकी, रागी, मडिया)	141	4.44000	कनेली, बसेली, हर्दकला, मानपुरदेवरसूर, रेंगाकटेरा गोपलीनचुवा, आडंडर कुम्हली बूटाकसा परेवाडीह भीटपानी परना, दरबानटोला, बेलगांव, भरतपुर मोथली, बछेराभाटा, साव्हेवाया	0.00000	0.00000	4.22000	0.00000	0.00000	4.22000	पूर्ण	-	
16	सिंचाई हेतु राबमरीबल पंप सहित नलकूप खनन सह बिजली कनेक्शन (प्रति 1.50 लाख के मान से)	18	27.00000	कोडीकसा, बूटाकसा, आडंडर, गोपलीनचुवा, डारनी, देवरसूर, कोरमा, काई, बसेली मानपुर, खैरकट्टा, अमाकट्टा, गोडलवाही, बासपहाड, समुंदपानी, मुजारी, बगारझोला	0.00000	0.00000	17.47000	0.00000	0.00000	17.47000	-	अपूर्ण	
17	नलकूप खनन सहित सोलर सिंचाई योजना (5.72 लाख प्रति यूनिट)	5	28.60000	गोपलीनचुवा, कोरिमटोला, कनेली, बुडानछापर, दरबानटोला	0.00000	0.00000	16.43910	3.28800	0.00000	19.72710	पूर्ण	-	

(राशि लाखों में)

180

(राशि लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य	बांधा आवंटन	ग्राम का नाम	व्यय का वर्षवार विवरण						कुल योग	पूर्ण	अपूर्ण	
					2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15	परिसर सुधार कार्य/सड़क/बिजली	20	40,00,000	जामकी, कनका, सरखंड, मण्डौली, इंदरगंज, बैरगाँव, खडकतर, कुहलुआ, सुकामरौली, घाबडेढोला, माहानुएटा, विवांगर, मंडमन, अरजकुण्ड, निराल, खुशीदिकुल, बडगाँव, मण्डौली, मालेढोला, झिलवाढोला, आलीकसा, परना, ब वारनाठा, समुदायकी, भयपुर, उपक्षेत्र के ग्राम	0.00000	0.00000	0.00000	38.00000	0.00000	38.00000	-	-	अपूर्ण	
19	भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्य	180	46,53,400	भयपुर, सीतागंज, पंचाण्डको, भयपुर, गोपलीनपुरा, पीठपानी, चौकी, दरपुर, कोरानोला, ढारणी, करवाता, महगाँव, कुन्हरी, नडगाँव, कनेली, माहगाँव, माया, गुण्डरहेही, गिरडी, उमरवाही, गोपलीनपुरा, करवाता, खिराढोला, नीचेकोहडा, माहगाँव, निराला, मण्डौली, गिरडी, उमरवाही, भालुकोला, मनींछुटा, पीठपानी, ब्रिसमहाल, अनाकसा, परना, टाटकसा, विगाढोला, गोपलीनपुरा, बनवागाँव, गुण्डरहेही, गिरडी, चिरवाङ्कसा, खानढोला, बुरेगढ, छुईकडवास, मथाली, मुजारी	0.00000	0.00000	8.97000	21.35000	9.84000	40.16000	-	-	-	अपूर्ण
20	आजमाथ/आकर्मों में किचन भवन सह स्टीर भवन का निर्माण	8	24,00,000	चौकी, जाटूढोला, भेरगाँव, मोहला, मुकावाह, कोरवाढोला, घासीढोला, छुईखदान	0.00000	18,00,000	3,00,000	3,00,000	0.00000	24,00,000	पूर्ण	-		
21	आजमाथ/आकर्मों में किचन भवन सह स्टीर भवन का निर्माण	4	30,00,000	चौकीकसा, नीचेकोहडा, कोरामढोला, औंसी	0.00000	0.00000	20,00,000	10,00,000	0.00000	30,00,000	पूर्ण	-		
22	स्वास्थ्य निर्माण	4	60,00,000	कुन्हली, वांडरवाणी, देवरसूर, सीतागोटा	0.00000	0.00000	40,00,000	15,76,800	0.00000	55,76,800	पूर्ण	-		
23	भवन सुधार कार्य/बिजली/पानी का निर्माण	2	2,56,080		2,56,080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,56,080	पूर्ण	-		
		3235	413,04,702		2,56,080	79,80,672	1,38,48,910	93,20,400	10,47,000	324,53,062				

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 826) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के माध्यम से की गई सामग्री, तिथि एवं राशि की जानकारी

क्र.	सामग्री का नाम	क्रय का तिथि	क्रय राशि रु.
1	2	3	4
	वर्ष 2019-20		
1	फर्नीचर	11/12/2019	33365115.00
2	फर्नीचर	15/02/2020	272702.52
3	फर्नीचर	26/03/2020	10175609.14
4	किचन डिवाईस रिप्लेशमेंट	10/01/2020	6579184.06
5	प्रयोगशाला किट	30/07/2019	11994043.65
6	सायकल	29/01/2020	38437839.00
	वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2020 तक)		
7	फर्नीचर	27/06/2020	856228.00
8	फर्नीचर	28/09/2020	1578800.00
9	फर्नीचर	28/10/2020	22348847.00
10	फर्नीचर	29/10/2020	11969456.92

प्रपत्र "ब"

आपूर्तिकर्ता फर्म व संचालक का नाम की जानकारी

क्र.	एजेंसी/संस्थान का नाम पता सहित	संचालक का नाम
वर्ष 2019-20		
1	मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग,द्वारा उषा स्टील कल्यान ज्वेलर्स के सामने जीवन बीमा मार्ग मेन रोड पण्डरी रायपुर	महेन्द्र सिंह सलुजा
2	मेसर्स उषा स्टील इन्डस्ट्रीज,उषा स्टील कल्यान ज्वेलर्स के सामने जीवन बीमा मार्ग मेन रोड पण्डरी रायपुर	श्रीमती कवलजीत कौर सलुजा
3	मेसर्स गोयल फर्नीचर, 3, कपिल काम्पलेक्स गुरुनानक चौकी रायपुर	अमित झोलिया
4	मेसर्स गणपती इन्टरप्राइजेस, कपिल काम्पलेक्स गुरुनानक रायपुर	विनीत झोलिया
5	मेसर्स एस के एस जे इन्टरप्राइजेस, 24/301 अशोक रतन खम्हारडिह रायपुर	दिलीप कुमार
6	मेसर्स संजय साइंटिफिक वर्क्स,पेन्ड्री वार्ड नं 18 एन.एच. 6 राजनांदगांव	संजय परिहार
7	मेसर्स विशाल इन्डस्ट्रीज,भाटीया पेट्रोल पम्प के पास पेन्ड्री, राजनांदगांव	सुनील सिंह
8	मेसर्स सिद्धी इंटरप्राइजेस,नेशनल हाईवे 6 ग्राम पेन्ड्री राजनांदगांव	सुशील दीक्षित
9	मेसर्स खण्डेलवाल सेल्स कार्पोरेशन,गोल बाजार, एम.डब्ल्यू.डी.22 विलासपुर	सुनिल खण्डेलवाल
10	मेसर्स आर.के. सेल्स,लिक रोड, विलासपुर	नितु खण्डेलवाल
11	मेसर्स जायसवाल उडन इन्डस्ट्रीज,साफ मिल एरिया, जी.ई.रोड राजनांदगांव	अनुप जायसवाल
12	मेसर्स सिद्धी इंटरप्राइजेस,नेशनल हाईवे 6 ग्राम पेन्ड्री राजनांदगांव	सुशील दीक्षित
13	मेसर्स क्रिस्टल इंडिया इन्डस्ट्रीज,प्लाट नं 44,45 बिरकिनी इन्डस्ट्रीयल एरिया महासमुन्द	रामकुमार अग्रवाल
14	मेसर्स साइंटिफिक इंस्ट्रुमेंट ट्रेडर्स, 1101/1 ज्ञान मार्ग, एस.डी.व्ही. स्कूल के पीछे सुभाष पार्क रोड, अम्बाला कैंट	अनुज जैन
15	मेसर्स कोहिनूर सायकल प्राईवेट लिमिटेड, लुधियाना डी-106 फेस-5 फोकल प्वाइंट, लुधियाना	सुनील सचदेवा
16	मेसर्स विशाल सायकल प्राईवेट लिमिटेड, लुधियाना ई-106 फेस-4 फोकल प्वाइंट, लुधियाना	संजय महेन्दु
वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2020 तक)		
17	मेसर्स एस.के. इन्डस्ट्रीज, पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगांव	सुबोध जैन
18	मेसर्स रायल स्टील इन्डस्ट्रीज,स्टेशन रोड हॉटल सिंह पैलेस के पास रायपुर	हरविन्द्र टुटेजा
19	मेसर्स शिवनाथ उद्योग,प्लाट नं 214, इन्जीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई जिला दुर्ग	टेम सिंह गायकवाड़
20	मेसर्स मनु इन्टरप्राइजेस,123/बी रुआबांधा सेक्टर, भिलाई जिला दुर्ग	आई.एस. मनु
21	मेसर्स व्ही.एन. इन्डस्ट्रीज,15 ई हेवी इन्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज भिलाई जिला दुर्ग	पवन भाटिया
22	मेसर्स सेगमक्स हाई टेक इन्डस्ट्रीज,सेगमक्स हाई टेक इन्डस्ट्रीस द्वारा सागर फर्नीचर गुजराती स्कूल के पास एम.जी. रोड रायपुर	सक्षम संदी
23	मेसर्स महावीर इन्डस्ट्रीज,बंजारी थ धमतरी जिला धमतरी	वीगुश रादोर
24	मेसर्स श्री श्याम इन्डस्ट्रीज,सेक्टर बी, प्लाट नं. 107/सी इन्डस्ट्रीयल एरिया शिरगिट्टी विलासपुर	संगेता अग्रवाल

क्र.	एजेंसी/संस्थान का नाम पता सहित	संचालक का नाम
25	मेसर्स सिंग इंटरप्राइजेस, ग्राम बोरी जिला राजनांदगांव	नितेश सिंह
26	मेसर्स गणपति इंटरप्राइजेस, कपिल काम्पलेक्स गुरुनानक चौक रायपुर	विनीत झोलिया
27	मेसर्स विशाल इन्डस्ट्रीज, भाटिया पेट्रोल पम्प के पास पेन्ड्री, राजनांदगांव	सुनिल सिंह
28	मेसर्स सिद्धी इंटरप्राइजेस, नेशनल हाईवे 6 ग्राम पेन्ड्री राजनांदगांव	सुशील दीक्षित
29	मेसर्स संजय साईटिफिक वर्क्स, पेन्ड्री वार्ड नं 18 एन.एच. 6 राजनांदगांव	संजय परिहार
30	मेसर्स एस के एस जे इंटरप्राइजेस, 24/301 अशोक रतन खम्हारडिह रायपुर	दिलीप कुमार

अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "पंद्रह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 68) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य

वर्ष जनवरी 2018 से मार्च 2018

क्र.	कार्य का विवरण	विकास खण्ड
1	2	3
1	नाली निर्माण ग्राम जमुनाही, ग्राम पंचायत नवागांव मोहदा	कोटा
2	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत शिवतराई	कोटा
3	नाली निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पोड़ी	कोटा
4	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत लमना	गौरेला
5	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत आमगांव	गौरेला
6	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत हरी	गौरेला
7	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत कछार	मरवाही
8	मंच निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत डूगरा	गौरेला
9	मंच निर्माण (साजापाली स्कूल प्रांगण) ग्राम व ग्राम पंचायत खैरझिटी	कोटा
10	पुलिया निर्माण (हाईस्कूल से बेंदरचूवा मार्ग में) ग्राम व ग्राम पंचायत कोडगार	पेण्ड्रा
11	पुलिया निर्माण (नवाटोला से कनचोभी पहुंच मार्ग झोकानाला में) ग्राम व ग्राम पंचायत दमदम	पेण्ड्रा
12	पुलिया निर्माण (पतेरापारा पहुंच मार्ग में) ग्राम व ग्राम पंचायत जिल्दा	पेण्ड्रा
13	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम खरगा ग्राम पंचायत सिरसहा	कोटा
14	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम खपराखोल ग्राम पंचायत मनपहरी	कोटा
15	सामुदायिक भवन निर्माण नगचुई ग्राम पंचायत मटसगरा	कोटा
16	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम मांझाभाठा ग्राम पंचायत पहंदा	कोटा
17	किराना दुकान ग्राम-सधवानी	पेण्ड्रा

18	किराना दुकान ग्राम-पंडरीखार	पेण्ड्रा
19	जनरल स्टोर ग्राम-रिगरिगा	कोटा
20	सायकल दुकान ग्राम-श्रीपारा सल्का	कोटा
21	टेंट हाउस ग्राम-आमाडांड	पेण्ड्रा
22	किराना दुकान ग्राम-सल्का	कोटा
23	किराना दुकान ग्राम-अमारू	पेण्ड्रा
24	सुहाग भंडार ग्राम-पीपरखूटी	कोटा
25	सुहाग भंडार ग्राम-खुरदूर	कोटा
26	सुहाग भंडार ग्राम-कोनचरा	कोटा
27	कम्प्यूटर दुकान ग्राम-घाटबहरा	पेण्ड्रा
28	पोल्ट्री फार्म ग्राम-घाटबहरा	पेण्ड्रा
29	किराना दुकान ग्राम-घाटबहरा	पेण्ड्रा
30	दोना पत्तल ग्राम-बचरवार	पेण्ड्रा
31	किराना दुकान ग्राम-ललाती	पेण्ड्रा रोड
32	मुर्गी पालन ग्राम-गिरारी	पेण्ड्रा

वर्ष 2018-19

1	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम नवागांव ग्राम पंचायत नवागांव मोहदा	कोटा
2	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत रटगा	मरवाही
3	रिटर्निंगवाल निर्माण(तिपान नदी मे) ग्राम व ग्राम पंचायत पिपरिया संसोधित	मरवाही
4	पुलिया निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत सेमरदरी	मरवाही
5	पुलिया निर्माण (मुकमुका से गबरखोज मार्ग में) ग्राम व ग्राम पंचायत मगुरदा	मरवाही
6	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत खन्ता	मरवाही
7	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत कंचनपुर	तरखतपुर

8	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत विजयपुर	तखतपुर
9	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम ठाकुरकांपा ग्राम पंचायत केकराड़	तखतपुर
10	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम खटोला ग्राम पंचायत दर्री	तखतपुर
11	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पाली	तखतपुर
12	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत गमजू	तखतपुर
13	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बेलसरा	तखतपुर
14	पुलिया निर्माण(बैगान मोहल्ला पहुंच मार्ग पर) ग्राम व ग्राम पंचायत ठाढ़पथरा	गौरेला
15	पुलिया निर्माण(कटेलटोला पहुंच मार्ग में) ग्राम व ग्राम पंचायत चुकतीपानी	गौरेला
16	सी.सी.रोड निर्माण(धनुहार मोहल्ला में) ग्राम व ग्राम पंचायत उमरखोही	गौरेला
17	सी.सी.रोड निर्माण(फूलवारीपारा में) ग्राम व ग्राम पंचायत सधवानी	गौरेला
18	सी.सी.रोड निर्माण(चिपनिया पारा में) ग्राम व ग्राम पंचायत करगीखुर्द	गौरेला
19	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम झुरहीटोला व ग्राम पंचायत चुकतीपानी	गौरेला
20	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पोड़ी	कोटा
21	मोटर वाईडिंग ग्राम-नगोई	कोटा
22	किराना दुकान ग्राम-नगोई	कोटा
23	किराना दुकान ग्राम-नेवरा	तखतपुर
24	जनरल स्टोर ग्राम-केंदाडांड	कोटा
25	किराना व्यवसाय ग्राम-केंदाडांड	कोटा
26	सुहाग भंडार ग्राम-केंदाडांड	कोटा
27	किराना दुकान ग्रा-डांडबछाली	कोटा
28	जनरल स्टोर ग्रा-देवरीखुर्द	पेण्डारोड
29	पोल्ड्री फार्म ग्राम-कंचनडीह	पेण्ड्रा
30	किराना दुकान ग्राम-शिवतराई	कोटा
31	किराना दुकान ग्राम-सरईपाली	कोटा

वर्ष 2019-20

1	पुलिया निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बांका	बिल्हा
2	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत मगुरदा के स्थान पर सी0सी0रोड निर्माण, (संतोष के घर से चितरंजन की घर की ओर) ग्राम व ग्राम पंचायत लिम्हा, (संशोधित)	बिल्हा
3	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत लिम्हा	बिल्हा
4	पुलिया निर्माण (झरना नाला पर) ग्राम दारसागर व ग्राम पंचायत कुपाबांधा	कोटा
5	पुलिया निर्माण (साजापाली नाला पर) ग्राम दारसागर व ग्राम पंचायत कुपाबांधा	कोटा
6	अहाता निर्माण (आंगनबाड़ मे) ग्राम बाराद्वार ग्राम पंचायत घानाकछार (संशोधित) राजीव सेवा केन्द्र में अहाता निर्माण ग्राम वग्राम पंचायत बानाबेल	कोटा
7	सी0सी0रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत कारिछापर	मस्तूरी
8	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पिपरानार	मस्तूरी
9	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत उडागी	मस्तूरी
10	अतिरिक्त कक्ष निर्माण (पूर्व माध्यमिक शाला बरगन) ग्राम व ग्राम पंचायत बरगन	तखतपुर
11	अहाता निर्माण (पूर्व माध्यमिक शाला बरगन) ग्राम व ग्राम पंचायत बरगन	तखतपुर
12	सी0सी0रोड निर्माण (भुंडापारा) ग्राम व ग्राम पंचायत बांका	बिल्हा
13	सी0सी0रोड निर्माण (बस्तीपारा) ग्राम पत्थरापाली ग्राम पंचायत कोरबी	बिल्हा

प्रपत्र "ब"

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य

वर्ष जनवरी 2018 से मार्च 2018

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम एवं स्थान का नाम	विकास खण्ड
1	2	3
1	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत किरारी	मस्तूरी
2	मंगल भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत गोपालपुर	मस्तूरी
3	किराना दुकान ग्राम-धुर्वाकार	मस्तूरी
4	फोटोकॉपी दुकान ग्राम-मस्तूरी	मस्तूरी
5	किराना दुकान ग्राम-कछार	मस्तूरी
6	फर्नीचर दुकान ग्राम-बांधा	तखतपुर
7	कपड़ा दुकान ग्राम-गुडी	मस्तूरी

वर्ष 2018-19

1	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत कौवाताल	मस्तूरी
2	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पोडी	मस्तूरी
3	रंगमंच निर्माण अनुसूचित जाति मोहल्ला ग्राम व ग्राम पंचायत भटचौरा	मस्तूरी
4	रंगमंच निर्माण अनुसूचित जाति मोहल्ला ग्राम व ग्राम पंचायत भदौरा	मस्तूरी
5	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत सरगंवा	मस्तूरी
6	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत हरदाडीह	मस्तूरी
7	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत दर्शघाट	मस्तूरी
8	सांस्कृतिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत गोढ़ाडीह	मस्तूरी
9	रंगमंच निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत दरगाठा (अनुसूचित जाति पारा में)	मस्तूरी
10	सी.सी.रोड निर्माण (वाजारपारा में) ग्राम व ग्राम पंचायत खम्हरिया	मस्तूरी
11	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत चकरवेड़ा -	मस्तूरी
12	सी.सी.रोड निर्माण (शमू लहरे के घर से लखन लहरे के घर तक) ग्राम व ग्राम पंचायत गुमा	बिल्हा
13	सांस्कृतिक मंच निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत सम्बलपुरी	बिल्हा
14	सी.सी.रोड निर्माण (मंगल भवन से बरती तक) ग्राम व ग्राम पंचायत पिरैया	बिल्हा
15	सी.सी.रोड निर्माण (अनु.जाति मोहल्ला के मुख्य सड़क में) ग्राम व ग्राम पंचायत मुढीपार	बिल्हा
16	सी.सी.रोड निर्माण (मंगल भवन से बरती तक) ग्राम व ग्राम पंचायत रोवती	बिल्हा
17	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत गदनपुर	बिल्हा

18	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत सेमरा संशोधित आदेश जारी सेमरा के स्थान पर लिमतरा	बिल्हा
19	सी.सी.रोड निर्माण (नवापारा में) ग्राम व ग्राम पंचायत सेलर	बिल्हा
20	सी.सी.रोड निर्माण (उरैहापारा में) ग्राम व ग्राम पंचायत नगोई	बिल्हा
21	सी.सी.रोड निर्माण (ट्रासफार्मर से राजेश्वर के घर तक) ग्राम व ग्राम पंचायत डंगनिया	बिल्हा
22	सी.सी.रोड निर्माण (नरेश ढिंडे के घर से मुख्यमार्ग तक) ग्राम व ग्राम पंचायत बिटकुली "द"	बिल्हा
23	सी.सी.रोड निर्माण (जगदीश डहरिया के घर से भगवती सांडे के घर तक) ग्राम व ग्राम पंचायत उड़नताल	बिल्हा
24	सी.सी.रोड निर्माण (अनु.जाति मोहल्ला जय स्तम्भ चौक से इंदलजोगी के घर तक) ग्राम व ग्राम पंचायत मुढीपार	बिल्हा
25	सांस्कृतिक मंच निर्माण (अनु.जाति मोहल्ला) ग्राम व ग्राम पंचायत तेलसरा	बिल्हा
26	सी.सी.रोड निर्माण वार्ड क्रमांक-03 ग्राम व ग्राम पंचायत घोघरा	बिल्हा
27	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बेलसरा	तखतपुर
28	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत खजरी	तखतपुर
29	मंगल भवन निर्माण (जय स्तम्भ गुरु बालकदास चौक के पास अनु.जाति मोहल्ला) ग्राम व ग्राम पंचायत मुढीपार	बिल्हा

वर्ष 2019-20

1	सी.सी.रोड निर्माण(बजउ के घर से पाण्डेय के घर तक) ग्राम व ग्राम पंचायत सेलर	बिल्हा
2	सी.सी.रोड निर्माण(झनझना से हरवा के घर तक) ग्राम व ग्राम पंचायत चकरभाठा	बिल्हा
3	सी.सी.रोड निर्माण(बलराम के घर से मेन रोड तक) ग्राम व ग्राम पंचायत कया	बिल्हा
4	सी.सी.रोड निर्माण आवास पारा में ग्राम व ग्राम पंचायत धौरामुड़ा	बिल्हा
5	सी.सी.रोड निर्माण बस्तीपारा में ग्राम व ग्राम पंचायत लिम्हा	बिल्हा
6	पेयजल हेतु बोर खनन एवं स्थापना वार्ड क्रमांक-08 एवं 09 ओम नगर एवं गुरुघासीदास नगर (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
7	बोर खनन एवं स्थापना वार्ड क्रमांक-19 कस्तूरबा नगर सार्थी मोहल्ला (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
8	बोर खनन एवं स्थापना वार्ड क्रमांक-33 सुदर्शन समाज भवन के पास में (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
9	सी0सी0रोड निर्माण, (सूर्यवंशी मोहल्ला में) ग्राम व ग्राम पंचायत सेलर	बिल्हा
10	सी0सी0रोड निर्माण, (आवास पारा में) ग्राम व ग्राम पंचायत खैरा ड	बिल्हा
11	गौठान संबंधित निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत सिलपहरी विकास खण्ड बिल्हा	बिल्हा
12	गौठान संबंधित निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत गतौरा (संशोधित)	मस्तूरी
13	गौठान संबंधित निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत लिमतरा (संशोधित)	मस्तूरी
14	गौठान संबंधित निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत राजपुर	तखतपुर

15	अतिरिक्त कक्ष निर्माण प्राथमिक शाला, मुरुम खदान खमतनाई में ग्राम व ग्राम पंचायत खमतनाई	बिल्हा
16	सी.सी.रोड निर्माण अनुसूचित जाति मोहल्ले में ग्राम व ग्राम पंचायत खमतनाई	बिल्हा
17	नाली निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत मंगला	बिल्हा
18	अतिरिक्त कक्ष निर्माण माध्यमिक शाला बहतलाई में ग्राम व ग्राम पंचायत बहतलाई	बिल्हा
19	सी.सी.रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत मोपका	बिल्हा
20	शेड निर्माण, शासक उच्च विद्यालय ग्राम व ग्राम पंचायत दर्सीघाट,	मस्तूरी
21	रंगमंच निर्माण शासकीय प्राथमिक शाला मस्तूरी, ग्राम व ग्राम पंचायत मस्तूरी	मस्तूरी
22	सी.सी.रोड निर्माण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने ग्राम व ग्राम पंचायत देवरीखुर्द	बिल्हा
23	शेड व शौचालय निर्माण अनुसूचित जाति मोहल्ला, ग्राम व ग्राम पंचायत महमंद,	बिल्हा
24	सी.सी.रोड निर्माण(मेन रोड से प्रदीप शुक्ला के प्लॉट तक) ग्राम व ग्राम पंचायत भरारी	बिल्हा
25	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड क्रमांक-14 कांतिकुमार भारतीय नगर में (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
26	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड क्रमांक-34 गांधी नगर के सुदर्शन नगर में (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
27	स्नानागार वार्ड क्रमांक 29 रविदास नगर के अहिरवार मोहल्ले में महिलाओं हेतु (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
28	नाली निर्माण वार्ड क्रमांक-26 वाल्मीकी नगर में (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
29	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड क्रमांक-29 संजय गांधी नगर, गुरुघासीदास नगर में (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
30	बोर खनन एवं स्थापना वार्ड क्रमांक- 34 अहिरवार समाज भवन के पास में (नगर निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
31	शेड निर्माण वार्ड क्रमांक-24 राजेन्द्र नगर महंतवाड़ा के पास नगर निगम बिलासपुर	स्थानीय बिल्हा
32	शेड निर्माण वार्ड क्रमांक-33 सुदर्शन समाज भवन के पास में नगर निगम बिलासपुर	स्थानीय बिल्हा
33	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पोड़ी (मोहदा)	कोटा
34	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बिल्ली बंद	कोटा
35	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत सेमरिया	कोटा
36	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत लमकेना	कोटा
37	सी.सी.रोड निर्माण, सह नाली निर्माण (वार्ड क्रमांक 21 गुरुघासीदास नगर नगर पालिका निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
38	सी.सी.रोड निर्माण, सह नाली निर्माण (वार्ड क्रमांक 25 कांतिकुमार भारतीय नगर नगर पालिका निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
39	सी.सी.रोड निर्माण, सह नाली निर्माण (वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर नगर पालिका निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा

40	सी0सी0रोड़ निर्माण, सह नाली निर्माण (वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर नगर पालिका निगम बिलासपुर)	स्थानीय बिल्हा
41	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बिनौरी (कॅवटाडीह बुतहा)	मस्तूरी
42	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बिनैका	मस्तूरी
43	सी0सी0रोड़ निर्माण 200 मीटर, अनुसूचित जाति मोहल्ला में ग्राम व ग्राम पंचायत कुकदा	मस्तूरी
44	सी0सी0रोड़ निर्माण 200 मीटर, अनुसूचित जाति मोहल्ला में ग्राम व ग्राम पंचायत कछार	मस्तूरी
45	अहाता निर्माण शासकीय माध्यमिक शाला टिहुलाडीह, ग्राम व ग्राम पंचायत टिहुलाडीह	तखतपुर
46	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पांड	तखतपुर
47	सांस्कृति मंच निर्माण, लोनियापारा, ग्राम व ग्राम पंचायत घुटकू	तखतपुर
48	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत उड़नताल	बिल्हा
49	सी0सी0रोड़ निर्माण (गौचरण के घर से महामाया मंदिर तक) ग्राम कुंवापाली, ग्राम पंचायत खम्हारडीह,	बिल्हा

परिशिष्ट "सोलह"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 129) के भाग (ख) की जानकारी]

अनुविभागवार/तहसीलवार जानकारी

स.क्र.	विवरण				निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि				भुगतान की गई क्षतिपूर्ति		भुगतान हेतु शेष		टिप्पणियाँ
	दावर कंपनी का नाम	तहसील	प्रभावित दावर संख्या	प्रभावित कुल भूमि रवासी	वृक्षों की राशि	फसल क्षति की राशि	प्रभावित भूमि का मुआवजा	कुल राशि (6+7+8)	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अनुविभाग जांजगीर													
1	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (400 के. वी डबल सर्किट)	नवागढ़	5	27	0	0	2502612	2502612	24	2333412	3	169200	राशि अप्राप्त।
		अकलतरा	14	95	0	0	3746623	3746623	95	3746623	0	0	पूर्ण भुगतान
		जांजगीर	23	454	0	0	22026363	22026363	454	22026363	0	0	पूर्ण भुगतान
2	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 800 के. व्हीसयगढ़ से पुगवूर(तमिलनाडु)	नवागढ़	0	838	0	0	35252754	35252754	832	34390799	6	861955	छ.ग. शासन
3	आंडिसा जनरेशन फेज-2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	नवागढ़	18	287	4424843	0	15101787	19526630	287	19526630	0	0	पूर्ण भुगतान
4	आंडिसा जनरेशन फेज-2 ट्रांसमिशन लिमिटेड(ओ.जी पी टी.एल.)	नवागढ़	18	389	0	0	29073582	29073582	386	28814809	3	258773	छ.ग. शासन
5	छ.ग. राज्य बिद्युत पारंपण कं. मर्रादित गिलासपुर(अउदा)	नवागढ़	1	19	374874	0	251800	626674	19	626674	0	0	पूर्ण भुगतान
		जांजगीर	39	233	2435843	0	7456424	9892267	233	9892267	0	0	पूर्ण भुगतान
		अकलतरा	14	76	439866	0	5284295	5724161	74	5698639	2	25522	छ.ग. शासन
6	छत्तीसगढ़ डब्ल्यू.आर. ट्रांसमिशन लिमिटेड भाग-1	बलौदा	47	408	0	0	13467467	13467467	408	13467467	0	0	पूर्ण भुगतान
		जांजगीर	43	434	0	0	39917748	39917748	432	39566680	2	351068	छ.ग. शासन

		अकलतरा	14	110	0	0	7529067	7529067	110	7529067	0	0	पूर्ण भुगतान
7	एलतीसगढ़ डक्यूआर. ट्रांसमिशन लिमिटेड भाग-2	नवागढ़	24	250	0	0	9490704	9490704	250	9490704	0	0	पूर्ण भुगतान
		अकलतरा	9	79	429973	0	1609676	2039649	79	2039649	0	0	पूर्ण भुगतान
		जातिगीर	35	357	99806	0	13385479	13485285	357	13485285	0	0	पूर्ण भुगतान
	योग		304	4056	8205205	0	206096381	214301586	4040	212635068	16	1666518	
							अनुविभाग पामगढ़						
1	एन राज् विद्युत कार्पेस क. मरदित बिलानपुर(अउया)	पामगढ़	26	262	1582811	0	6646038	8228849	242	7083942	20	1144907	भुगतान हेतु सूचना जारी की गई है.
2	आडिसा जनरेशन फंज-2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	पामगढ़	48	1172	9104866	0	37277526	46382392	1061	44302642	111	2079750	किन्तु पक्षकारों की अनुपस्थिति रहने व आपसी विवाद के कारण भुगतान संश्लिप्त है।
3	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 800 के वोल्टेजगढ़ से पुगतूर(तमिलनाडु)	पामगढ़	39	634	4477438	0	22569486	27046924	539	25223790	95	1823134	
	योग		113	7068	15165115	0	66493050	81658165	1842	76610374	226	5047791	
							अनुविभाग चांपा						
1	ओडिसा जनरेशन फंज-02 ट्रांसमिशन लिमिटेड 735 के वोल्टेज सर्किट प्रारंभ (सुदरगढ़ जिला)	चांपा	17	175	0	0	15929905	15929905	175	15929905	0	0	पूर्ण भुगतान
2	पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	चांपा	23	189	0	0	7822255	7822255	189	7822255	0	0	पूर्ण भुगतान

3	उ.ग. डबल्यू.आर. इंफ्रामिशन लिमिटेड रायगढ़ दरिया से बायां तागा 765 के वी एकल विद्युत सारण पथ (अ.प.सी)	बायां	26	123	0	0	10348309	10348309	123	10348309	0	0	पूर्ण भुगतान
4	पावर कंसोवरेसन ऑफ इरिया रायगढ़ 18 ग. से पुंगूलूक तमिलनाडू सारण पथ	बायां	22	358	0	0	25060677	25060677	322	21759197	36	3301480	
	योग		88	845	0	0	59161146	59161146	809	55859666	36	3301480	
							अनुविभाग सक्ती						
1	ओ जी पी टी एल	जेजैपुर	30	715	3764622	0	46901971	50666593	696	50145835	19	520758	मुक्क की अनुपस्थिति एवं आपसी विकार होने के कारण शेष है।
		मातखरोदा	12	203	1116481	0	6548540	7665021	199	7539282	4	125739	तदेव
		सक्ती	1	22	207968	0	713835	921803	22	921803	0	0	पूर्ण भुगतान
2	लारा पावरग्रीड	जेजैपुर	42	479	0	0	29968080	29968080	479	29968080	0	0	पूर्ण भुगतान
		मातखरोदा	35	394	0	0	18193658	18193658	380	17476538	14	717120	अनुपस्थित
3	सी डबल्यू.आर.टी.एल	जेजैपुर	35	446	290416	0	33713066	34003482	446	34003482	0	0	पूर्ण भुगतान
		मातखरोदा	33	353	152829	0	17911518	18064347	353	18064347	0	0	पूर्ण भुगतान
4	तमिलनाडू पावरग्रीड	जेजैपुर	41	663	0	0	44172382	44172382	663	44172382	0	0	पूर्ण भुगतान
		मातखरोदा	18	342	0	0	10537580	10537580	333	10270250	9	267330	अनुपस्थित
	योग		247	3617	5532316	0	208660630	214192946	3571	212561999	46	1630947	
							अनुविभाग डभरा						
1	एन.टी.पी.सी.लारा (66क. व्ही. के दो एकल परिपथ विद्युत पारेषण लाइन एन.टी.पी.सी. लारा से साराडीह तक	डभरा	122	100	26207	0	3623561	3649768	92	3315572	8	334196	विवादित

अनुभाग
सकल एवं आ

2	छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (132/33 के.व्ही. की डीसीडीएस लाईन कोडातराई से रामभाटा जगरा तक)	डभरा	65	605	13066257	0	28848488	41914745	579	40420823	26	1493922	छ.ग. शासन एवं विविधित
3	पावरग्रेड (400 के.व्ही. द्विपक्ष पारेषण लाईन- एनटीपीसी तारा से चापा तक)	डभरा	67	643	0	0	28257684	28257684	643	28257684	0	0	पूर्ण भुगतान
4	पावरग्रेड (800 के.व्ही. पारेषण लाईन- रायगड से पुमतुर तमिलनाडु तक)	डभरा	62	824	53483	0	46908613	46962096	822	46831628	2	130468	विविधित
5	छोगो डब्लू आर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (अडानी) 765 के.व्ही सिंगल सर्किट (भाग-1)	डभरा	34	410	2165995	0	14083789	16249784	408	16204818	2	44966	विविधित
	योग		350	2582	15311942	0	121722135	137034077	2544	135030525	38	2003552	
	कुलयोग		1102	13168	44214578	0	662133342	706347920	12806	692697632	362	13650288	

परिशिष्ट "सत्रह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 319) की जानकारी]

(अ) किचन शेड की वर्षवार/शालावार जानकारी।

कं.	स्वीकृति वर्ष	शाला का नाम	व्यय राशि	प्रस्तावित राशि	मद का नाम
1	2019-20		निरंक		
2	2019-20		निरंक		
3	2020-21		निरंक		

(ब) अहाता निर्माण की वर्षवार/शालावार जानकारी।

कं.	स्वीकृति वर्ष	शाला का नाम	व्यय राशि	प्रस्तावित राशि	मद का नाम
1	2018-19	पूर्व मा.शाला प्लाटपारा	500000	निरंक	लघु निर्माण कार्य
2	2018-19	प्रा.शाला डोहलापरा	500000		
3	2018-19	प्रा.शाला चेरबेड़ा	1000000		
4	2018-19	पूर्व मा.शाला खुटपदर	1000000		
5	2018-19	पूर्व मा.शाला सिंगनपुर	1000000		
6	2018-19	प्रा.शाला बोरगांव वार्ड क्र.13	500000		
7	2018-19	प्रा.शाला डोडरा पारा बहीगांव	500000		
8	2018-19	पूर्व मा.शाला कोर्वा	500000		
9	2018-19	पूर्व मा.शाला गहीरबहार	500000		
10	2018-19	प्रा.शाला बानगांव	500000		
11	2018-19	प्रा.शाला बड़ेओड़ागांव	500000		
12	2018-19	प्रा.शाला चनियागांव	500000		
13	2019-20	प्रा.शा.डिहीपारा न.प.केशकाल	700000		
14	2019-20	प्रा.शा.गुडरापारा बेड़मा	700000		
15	2019-20	मा.शा.छिदली	600000		
16	2019-20	प्रा.शा.खासपारा वड़वत्तर	500000		
	2020-21		निरंक		

171

(स) अतिरिक्त कक्ष निर्माण की वर्षवार/शालावार जानकारी।

कं.	स्वीकृति वर्ष	शाला का नाम	व्यय राशि	प्रस्तावित राशि	मद का नाम	
1	2018-19	निरंक			निरंक	लघु निर्माण कार्य
2	2019-20	पूर्व मा0शा0भानपुरी	942000			
3	2019-20	प्राथमिक शाला भोंगापाल	471000			
4	2019-20	पूर्व मा.शाला उरन्दाबेड़ा	471000			
5	2019-20	पूर्व मा.शाला कोनगुड	471000			
6	2020-21	निरंक				

(द) मरम्मत की वर्षवार/शालावार जानकारी।

कं.	स्वीकृति वर्ष	शाला का नाम	व्यय राशि	प्रस्तावित राशि	मद का नाम
1	2018-19	प्रा.शाला नहरपारा	20500	निरंक	अति आवश्यक मरम्मत
2	2018-19	प्रा.शाला ठाकुर पारा	22000		
3	2018-19	प्रा.शाला प्लाटपारा	246000		
4	2018-19	प्रा.शाला ब्यालपुर	25000		
5	2018-19	प्रा.शाला बटराली	25000		
6	2018-19	प्रा.शाला एटेकेनाड़ी	23600		
7	2018-19	प्रा.शाला डोहलापारा	22000		
8	2018-19	प्रा.शाला बंधापारा	16000		
9	2018-19	प्रा.शाला जरण्डी	20000		
10	2018-19	प्रा.शाला अडेगाँ	24000		
11	2018-19	प्रा.शाला शिवनीपाल	19800		
12	2018-19	प्रा.शाला धनोरा	25000		
13	2018-19	प्रा.शाला कोरकोटी	34000		
14	2018-19	प्रा.शाला आचलापारा	24200		
15	2018-19	प्रा.शाल नयापाराबेलगाँव	24000		
16	2018-19	प्रा.शाला दादरगड	25000		
17	2018-19	प्रा.शाला मोहलबेड़ा	23000		
18	2018-19	प्रा.स.शाला आवसपारा	20500		
19	2018-19	प्रा.शाला मुरनार	25000		
20	2018-19	प्रा.शाला खालेमुरवेण्ड	20500		
21	2018-19	प्रा.शाला कुकड़ादहा	20500		
22	2018-19	प्रा.शाला चिपरेल	23000		
23	2018-19	प्रा.शाला हरवेल	25000		
24	2018-19	मा.शाला आवरी	24000		
25	2018-19	मा.शाला गुलबापारा सिंगनपुर	25000		
26	2018-19	मा.शाला तुतारी	24000		

क्र.	स्वीकृति वर्ष	शाला का नाम	व्यय राशि	प्रस्तावित राशि	मद का नाम
27	2018-19	मा.शाला निराछिन्दली	23000	निरक	अति आवश्यक मरम्मत
28	2018-19	मा.शाला बंधापारा सिंगनपुर	24000		
29	2018-19	मा.शाला सिंगनपुर	25000		
30	2018-19	मा.शाला अमोड़ा	24000		
31	2018-19	मा.शाला खुटपदर	23000		
32	2018-19	मा.शाला गारावण्डी	25000		
33	2018-19	मा.शाला तराईबेडा	24000		
34	2018-19	मा.शाला सालेभाट	25000		
35	2018-19	मा.शाला सिकागांव	31000		
36	2018-19	मा.शाला कन्या केशकाल	25000		
37	2018-19	मा.शाला कन्या मुगबाड़ी	25000		
38	2018-19	मा.शाला डिहीपारा केशकाल	25000		
39	2018-19	केशकाल	25000		
40	2018-19	मा.शाला बालक केशकाल	25000		
41	2018-19	मा.शाला बारेगांव	25000		
42	2018-19	मा.शाला चेरबेड़ा	25000		
43	2018-19	मा.शाला नाचनडिही	25000		
44	2018-19	मा.शाला बड़ेमली	23000		
45	2018-19	मा.शाला बहीगांव	23000		
46	2018-19	मा.शाला मस्सुकोकोड़ा	25000		
47	2018-19	मा.शाला व्यापारीपारा	24000		
48	2019-20	प्रा.शाला राउतपारा	15410		
49	2019-20	प्रा.शाला पहाड़ीपारा इरागांव	16580		
50	2019-20	प्रा.शाला उमला	21000		
51	2019-20	प्रा.शाला पटेलपारा इरागांव	12700		
52	2019-20	प्रा.शाला सवालवाही	23000		
53	2019-20	प्रा.शाला ईरागांव	35000		
54	2019-20	प्रा.शाला चुरेगांव	16570		
55	2019-20	प्रा.शाला कौटपारा	16800		
56	2019-20	प्रा.शाला नयापारा सिलाटी	14100		
57	2019-20	प्रा.शाला करारमेट	20100		
58	2019-20	प्रा.शाला सवाला	23600		
59	2019-20	प्रा.शाला गुडरापारा सवाला	17540		
60	2019-20	प्रा.शाला सिलाटी	24100		
61	2019-20	प्रा.शाला अनियगांव	23500		
62	2019-20	प्रा.शाला भाटगांव	22140		
63	2019-20	प्रा.शाला बदवर	25000		
64	2019-20	प्रा.शाला कुऐ	25000		

क्र.	स्वीकृति वर्ष	शाला का नाम	व्यय राशि	प्रस्तावित राशि	मद का नाम
65	2019-20	प्रा.शाला चेरबेडा	24000	निरंक	अति आवश्यक मरम्मत
66	2019-20	प्रा.शाला भण्डरपाल	23200		
67	2019-20	प्रा.शाला बावनीमारी	23000		
68	2019-20	प्रा.शाला कुदालवाही	16710		
69	2019-20	मा.शाला ब्यालपुर	17850		
70	2019-20	मा.शाला ऐटैकोन्हाडी	19870		
71	2019-20	मा.शाला प्लाटपारा अंडेगा	20500		
72	2019-20	मा.शाला कछारपारा	19800		
73	2019-20	मा.शाला डोहलापारा	23000		
74	2019-20	मा.शाला जरण्डी	241000		
75	2019-20	मा.शाला अंडेगा	25000		
76	2019-20	मा.शाला खालेबेडी	17540		
77	2019-20	मा.शाला कोरकोटी	21400		
78	2019-20	मा.शाला धनोरा	25000		
79	2019-20	मा.शाला दादरगड़	19870		
80	2019-20	मा.शाला कुकड़ादाह	25000		
81	2019-20	मा.शाला माटेगा	25000		
82	2019-20	मा.शाला चिपरेल	23500		
83	2019-20	मा.शाला खोलेमुरवेण्ड	18750		
84	2019-20	म.शाला उमला	25000		
85	2019-20	मा.शाला सवालवाही	25000		
86	2019-20	मा.शाला ईरागांव	25000		
87	2019-20	म.शालाकोकरालपारा	19870		
88	2019-20	मा.शाला नयापरार सिलाटी	201440		
89	2019-20	मा.शाला बदवर	25000		
90	2019-20	मा.शाला बनियागांव	19871		
91	2019-20	मा.शाला सवाला	24000		
92	2019-20	मा.शाला भटगांव	23100		
93	2020-21		निरंक		

परिशिष्ट "अट्टारह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 320) के भाग (क) की जानकारी]

(अ) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन शालाओं की जानकारी।

क्रं.	वि.खण्ड	शाला का नाम	क्रं.	वि.खण्ड	शाला का नाम
1	फरसगांव	प्रा.शाला दावडे	7	केशकाल	मा0शा0 कानागांव
2	फरसगांव	प्रा.शाला धुवापारा कोकोडाजुगानार	8	केशकाल	मा0शा0 बालक आश्रम केशकाल
3	फरसगांव	हाई स्कूल भानपुर	9	केशकाल	मा0शा0 सालेभाट
4	फरसगांव	हाई स्कूल पाण्डेआठगांव	10	केशकाल	हाई स्कूल कोहकामेटा
5	केशकाल	प्रा0शा0 बडेठेमली	11	केशकाल	शा.उ.मा.वि. सिगनपुर
6	केशकाल	प्रा0शा0 कानागांव			

(ब) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में मरम्मत योग्य शालाओं की जानकारी।

क्रं.	वि.खण्ड	शाला का नाम	क्रं.	वि.खण्ड	शाला का नाम
1	फरसगांव	प्रा0शा0 घोटियामुण्डा	22	फरसगांव	प्रा0शा0 पासंगी
2	फरसगांव	प्रा0शा0 पत्थरीपारा गोडमा	23	फरसगांव	प्रा0शा0 तोंदेपारा पासंगी
3	फरसगांव	प्रा0शा0 बंजोडा	24	फरसगांव	प्रा0शा0 पुजारीपारा कोरबडगांव
4	फरसगांव	प्रा0शा0 छिन्दलीबेडा	25	फरसगांव	प्रा0शा0 पूर्वी बोरगांव
5	फरसगांव	प्रा0शा0 जामगांव	26	फरसगांव	प्रा0शा0 सोडमा
6	फरसगांव	प्रा0शा0 मरईपारा बंजोडा	27	फरसगांव	प्रा0शा0 भानपुरी
7	फरसगांव	प्रा0शा0 चुरेगांव	28	फरसगांव	प्रा0शा0 सरारटिकरा भानपुरी
8	फरसगांव	प्रा0शा0 हिरी	29	फरसगांव	प्रा0शा0 आमगांव
9	फरसगांव	प्रा0शा0 मोहपाल	30	फरसगांव	प्रा0शा0 नयापारा भण्डावण्डी
10	फरसगांव	प्रा0शा0 कोसागांव	31	फरसगांव	प्रा0शा0 पत्थरीपारा भण्डारवण्डी
11	फरसगांव	प्रा0शा0 पटेलपारा जैतपुरी	32	फरसगांव	प्रा0शा0 कोनाडीडिह आलोर
12	फरसगांव	प्रा0शा0 कसईपारा गोहडा	33	फरसगांव	प्रा0शा0 आमापारा बनचपई
13	फरसगांव	प्रा0शा0 झाकरी	34	फरसगांव	प्रा0शा0 कोहकापाल
14	फरसगांव	प्रा0शा0 कसईफरसगांव	35	फरसगांव	प्रा0शा0 कोण्डापखना
15	फरसगांव	प्रा0शा0 चिंगनार	36	फरसगांव	प्रा0शा0 हेंगालपारा गवाडी
16	फरसगांव	प्रा0शा0 बडगाई	37	फरसगांव	प्रा0शा0 गवाडी
17	फरसगांव	प्रा0शा0 केहलाकोट	38	फरसगांव	प्रा0शा0 तुर्की
18	फरसगांव	प्रा0शा0 चियानार	39	फरसगांव	प्रा0शा0 मडकडा
19	फरसगांव	प्रा0शा0 पाण्डेआठगांव	40	फरसगांव	प्रा0शा0 बैलगांव
20	फरसगांव	प्रा0शा0 डिहीपारा गटटीपलना	41	फरसगांव	प्रा0शा0 फुपगांव
21	फरसगांव	प्रा0शा0 गटटीपलना	42	फरसगांव	प्रा0शा0 कैटपदर

क्र.	वि.खण्ड	शाला का नाम	क्र.	वि.खण्ड	शाला का नाम
43	फरसगांव	प्रा0शा0 पैसरा	81	केशकाल	कन्या आश्रम मानिकपुर
44	फरसगांव	प्रा0शा0 शंकरपुर	82	केशकाल	प्रा0शा0पलना
45	केशकाल	प्रा0शा0उईकापारा	83	केशकाल	प्रा0शा0चिचाड़ी
46	केशकाल	प्रा0शा0 पातरीपारा	84	केशकाल	प्रा0शा0कोलि गरीडिही
47	केशकाल	प्रा0शा0बांसकोट	85	केशकाल	प्रा0शा0बालक आश्रम हरेवल
48	केशकाल	प्रा0शा0डोंगरीपारा	86	केशकाल	प्रा0शा0हरवल
49	केशकाल	प्रा0शा0बाजारपारा	87	केशकाल	प्रा0शा0गुडरीपारा हरवल
50	केशकाल	प्रा0शा0डिहीपारा	88	केशकाल	प्रा0शा0जामपारा बड़बत्तर
51	केशकाल	प्रा0शा0बालेंगा	89	केशकाल	प्रा0शा0जोड़ेकेरा
52	केशकाल	प्रा0शा0लोहाटीपारा	90	केशकाल	प्रा0शा0कुल्दाडिही
53	केशकाल	प्रा0शा0भर्राडिही	91	केशकाल	प्रा0शा0पटेलपारा बड़बत्तर
54	केशकाल	प्रा0शा0राहटीपारा	92	केशकाल	प्रा0शा0बड़बत्तर
55	केशकाल	प्रा.शा.मांडोकीपारा	93	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0पीढ़ापाल
56	केशकाल	प्रा.शा.नौकाबेडा	94	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0तरईबेडा
57	केशकाल	नवीन प्रा.शा.प्लाटपारा कोपरा	95	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0डिहीपारा हरवल
58	केशकाल	प्रा.शा.मांडोकीखरगांव	96	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0मैनपुर
59	केशकाल	प्रा.शा.कोपरा	97	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0उपरपारा लिहागांव
60	केशकाल	प्रा.शा.मांडोकीडीह	98	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0लिहागांव
61	केशकाल	प्रा.शा.जाबुरडीही	99	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0ढोडगापारा
62	केशकाल	प्रा.शा.डिहीपारा नौकाबेडा	100	बड़ेराजपुर	पारोण्ड
63	केशकाल	प्रा.शा.राउतपारा मं.खरगांव	101	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0मांझीपारा लिहागांव
64	केशकाल	प्रा.शा.टाटीपारा नौकाबेडा	102	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0आवासपारा लिहागांव
65	केशकाल	प्रा.शा.मुंडापारा	103	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0खलारी
66	केशकाल	प्रा0शा0मारंगपुरी	104	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0जिरपारा
67	केशकाल	प्रा0शा0छोटेमालगांव	105	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0पटेलपारा खलारी
68	केशकाल	प्रा0शा0पाण्डेडिही कौंदकेरा	106	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0आमागुहान
69	केशकाल	प्रा0शा0मानिकपुर	107	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0पुजारीपारा
70	केशकाल	प्रा0शा0दन्तापारा	108	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0नहरपारा खरगांव
71	केशकाल	प्रा0शा0शीतलापारा उडिदगांव	109	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0सोनपुर
72	केशकाल	प्रा0शा0उडिदगांव	110	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0खजरावंड
73	केशकाल	प्रा0शा0ठेंगापारा	111	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0कनिष्ट खजरावंड
74	केशकाल	प्रा0शा0सलना	112	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0आमगांव
75	केशकाल	प्रा0शा0गायतापारा मारंगपुरी	113	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0नवीन आमगांव
76	केशकाल	प्रा0शा0मचली	114	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0नवीन सोनपुर
77	केशकाल	प्रा0शा0कौंदकेरा	115	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0फरसाहीह
78	केशकाल	प्रा0शा0झोड़ियापारा सलना	116	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0मुरखेरापारा
79	केशकाल	प्रा0शा0डूमरपारा सलना	117	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0धामनपुरी
80	केशकाल	प्रा0शा0टिकरापारा कौंदकेरा	118	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0किबड़ा

क्र.	वि.खण्ड	शाला का नाम	क्र.	वि.खण्ड	शाला का नाम
119	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0खालेपारा धामनपुरी	147	फरसगांव	मा0शा0 चांदाबेड़ा
120	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0छिंदली	148	फरसगांव	मा0शा0 चुरेगांव
121	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0डिहीपारा छिंदली	149	फरसगांव	मा0शा0 रांधना
122	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0ठाकुरपारा छिंदली	150	फरसगांव	मा0शा0 चिंगनार
123	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0ढोंडरा	151	फरसगांव	मा0शा0 मोड़ेंगा
124	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0डिहीपारा, ढोंडरा	152	फरसगांव	मा0शा0 पासंगी
125	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0बड़ेराजपुर	153	फरसगांव	मा0शा0 गट्टीपलना
126	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0कांकेरियापारा	154	फरसगांव	मा0शा0पुजारीपारा कोरबड़गांव
127	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0पाण्डेपारा	155	फरसगांव	मा0शा0बाजारपारा फरसगांव
128	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0ओंडकापारा	156	फरसगांव	मा0शा0कोंदाबेड़ा आलोर
129	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0रावसवाही	157	फरसगांव	मा0शा0 मांदागांव
130	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0बन्नूपारा, कोदोभाट	158	फरसगांव	मा0शा0बंगोली
131	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0गाटेपारा	159	फरसगांव	मा0शा0हाटचपई
132	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0छोटेराजपुर	160	फरसगांव	मा0शा कुम्हारबड़गांव
133	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0संयुक्त आश्रम छोटेराजपुर	161	बड़ेराजपुर	मा.शाला बांसकोट
134	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0उपरपारा छोटेराजपुर	162	बड़ेराजपुर	मा.शाला बालेगां
135	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0पाड़ोकी	163	बड़ेराजपुर	मा.शाला मैनपुर
136	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0तोरईपारा	164	बड़ेराजपुर	मा.शाला खलारी
137	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0मांझीपारा बड़ेराजपुर	165	बड़ेराजपुर	मा.शाला बैजनुपरी
138	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0कोपनकोनाड़ी	166	बड़ेराजपुर	मा.शाला कोगेरा
173	बड़ेराजपुर	मा.शाला पितेचुवा	167	बड़ेराजपुर	मा.शाला हल्बापारा
174	बड़ेराजपुर	मा.शाला कोसमी	168	बड़ेराजपुर	मा.शाला कुरुभाट
139	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0पटेलपारा कोरहोबेड़ा	169	बड़ेराजपुर	मा.शाला पलना
140	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0बैजनुपरी	170	बड़ेराजपुर	मा.शाला लिहागांव
141	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0कोंगेरा	171	बड़ेराजपुर	मा.शाला खजरावण्ड
142	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0बड़ेपारा कोंगेरा	172	बड़ेराजपुर	मा.शाला होनावण्डी
143	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0कांकेरियापारा			
144	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0मरहानगुहान			
145	बड़ेराजपुर	प्रा0शा0हल्बापारा			
146	फरसगांव	मा0शा0 बाड़ागांव			

परिशिष्ट "उन्नीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 383) के भाग (क) की जानकारी]

क्रं.	जिला का नाम	प्रधानपाठकों के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी					
		प्राथमिक शाला			उच्च प्राथमिक शाला		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	रायपुर	719	423	296	405	235	170
2	गरियाबंद	980	226	754	450	219	231
3	बलौदावाजार	1175	530	645	622	253	369
4	महासमुन्द	1281	252	1029	491	138	353
5	धमतरी	857	220	637	416	208	208
6	दुर्ग	574	267	307	331	141	190
7	कबीरधाम	973	123	850	484	157	327
8	बेमतरा	743	126	617	384	245	139
9	बालोद	809	282	527	404	231	173
10	राजनांदगांव	1865	522	1343	766	337	429
11	कोरवा	1479	365	1114	518	343	175
12	बिलासपुर	1109	347	762	514	215	299
13	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	545	112	433	234	168	66
14	मुंगेली	659	102	557	272	108	164
15	जौजगीर-चौपा	762	215	547	408	98	310
16	रायगढ़	1972	916	1056	904	389	515
17	सक्ती	765	149	616	360	84	276
18	कोरिया	955	150	805	414	181	233
19	जशपुर	1651	1023	628	467	346	121
20	सूरजपुर	1377	370	1007	552	365	187
21	सरगुजा	1315	783	532	559	417	142
22	बलरामपुर-रामानुजगंज	1357	235	1122	547	383	164
23	उत्तर बस्तर, कांकेर	1591	677	914	608	431	177
24	दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा	596	70	526	230	168	62
25	सुकमा	618	131	487	164	124	40
26	जगदलपुर	1526	307	1219	631	348	283
27	नारायणपुर	428	69	359	134	79	55
28	कोण्डागाँव	1227	84	1143	602	461	141
29	बीजापुर	815	114	701	225	174	51
	योग	30723	9190	21533	13096	7046	6050

परिशिष्ट "बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 435) के भाग (क) की जानकारी]

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)

- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 2.50 लाख तक वार्षिक।

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
<p>समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान।</p> <p>(ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम)</p> <p>(iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p> <p>(iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम</p> <p>(v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि</p> <p>(vi) एल.एल.एम.</p>	1200	550
<p>समूह-2- (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच यथा- रिहायबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस चैम्पूनिफेशन, ट्रेवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक सजा- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे- बैंकिंग, इन्शूरेंस इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो।</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि</p>	820	530
<p>समूह-3- स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे- बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, बी.एड इत्यादि</p>	570	300
<p>समूह -4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिविध पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p>	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर (अन्य पिछड़ा वर्ग)

● पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 1,00,000/- तक वार्षिक

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ -मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.डी.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ- डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ- सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई- सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स- कक्षा - 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा - 12 वीं		100	110	55	70

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य द्वारा निर्धारित दरें (10 माह हेतु) :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

क्र.	कक्षा	बालक	बालिका	आय-सीमा
1.	कक्षा 3री से 5वीं	-	500	आय-सीमा का बंधन नहीं है
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	600	800	
3.	कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं	800	1000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक हो।

अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	कक्षा	बालक	बालिका	आय-सीमा
1	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	300	450	पालक/अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आते हो अथवा दस एकड़ से अधिक की जमीन न हो।
2.	कक्षा 9 वीं से 10 वीं	450	600	

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित दरें (10 माह हेतु) :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(कक्षा 9 वीं से 10 वीं)

	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	आय-सीमा
छात्रवृत्ति	3500	1500	पालक/अभिभावक की वार्षिक
तदर्थ अनुदान	1000	750	आय 2.00 लाख से अधिक न हो।

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति :-

छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु) :-

कक्षा		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	आय-सीमा
कक्षा 1ली एवं 2री	छात्रवृत्ति	—	2250	आय सीमा का बंधन नहीं है। किन्तु राजस्व अधिकारी से प्रतिवर्ष व्यवसाय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
	तदर्थ अनुदान	—	750	
कक्षा 3री से 10वीं	छात्रवृत्ति	7000	2250	
	तदर्थ अनुदान	1000	750	

परिशिष्ट "इक्कीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 442) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में कक्षा 01 से 12वीं तक शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ की संख्यात्मक जानकारी

क्र	जिला	कक्षा																							
		पहली		दूसरी		तीसरी		चौथी		पांचवी		छटवी		सातवी		आठवी		नवमी		दसवी		ग्यारहवी		बारहवी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	बालीद	4726	4920	4890	4896	4803	4742	4972	5120	5211	5284	4998	5254	5526	5780	5778	5724	7146	6850	5422	7127	4448	5420	4089	5097
2	बलोदाबाजार	11275	11349	11341	11418	11133	11391	11203	11929	11676	12069	11050	11719	12001	12705	12600	13415	12874	13672	8550	12011	7019	8345	5779	6829
3	बलरामपुर	7154	7169	6813	6778	6383	6457	6890	7074	6902	6986	5644	6201	5702	5919	6240	6761	5985	6925	3259	4418	2605	2786	2532	2651
4	बस्तर	7539	7405	6904	6722	6539	6224	6504	6459	6077	6224	5841	5791	6008	5886	6269	6428	6243	6388	3693	4582	3516	3732	2682	2832
5	बेमतरा	6628	6932	6702	7266	7075	7621	7564	7898	7787	8128	7343	7800	7731	8247	7814	8639	9314	9392	5794	7904	3633	4489	3620	4006
6	बीजापुर	3928	2959	3365	2520	3010	2184	2794	2116	2538	1837	1826	1462	1831	1495	1687	1582	1669	1352	1285	1246	806	764	749	671
7	बिलासपुर	9720	9880	11075	11412	11404	11263	13120	12423	11660	11799	11167	11782	10491	10984	10870	11212	10567	11371	13838	14249	4965	4854	5445	5992
8	दत्तेवाडा	3012	2785	2741	2368	2405	2059	2267	1854	2023	1705	1747	1449	1580	1395	1527	1357	1783	1621	1242	1288	1057	1032	930	914
9	धमतरी	4198	4235	4477	4600	4990	5002	5062	5127	4987	5140	4861	5148	5397	5462	5828	6065	7306	7428	4151	6329	3448	4849	3215	4468
10	दुर्ग	5465	5681	5836	6104	6158	6363	6706	6753	6758	6956	7025	7195	7583	8048	7631	8332	9531	10477	5447	8299	4443	6393	3857	5624
11	गारियाबंद	4993	4989	5033	4870	4787	4912	5042	5114	4795	4973	4684	4832	5084	5222	5067	5287	5028	4661	3884	4721	2651	2932	2315	2321
12	जाजगीर	5971	5935	5870	6026	5814	6142	5753	5952	5887	6245	5689	6322	5869	6688	6353	7011	6582	7326	4909	6839	2828	3953	2929	3735
13	जशपुर	5901	5920	5578	5667	5344	5537	5588	5921	5643	5759	4611	5070	4839	5425	5142	5558	4944	5317	3215	4348	3100	3910	2366	3090
14	कंकर	5332	5284	5329	5301	5035	5119	5277	5267	5356	5444	5425	5413	5539	5656	5779	6060	7207	7075	4334	6122	3789	4537	3431	4316
15	कवर्धा	7308	7362	7475	7743	7512	7832	7463	7939	7558	7891	6810	7678	7580	7876	7639	8323	8189	8679	4099	5764	4089	4275	3739	4059
16	कोण्डामांव	5472	5609	5344	5417	5224	5188	5230	5424	5169	5415	5116	4883	4917	5191	5390	5667	5753	5798	4027	4989	3310	3480	3163	3318
17	कोरबा	7550	7653	7468	7518	7309	7264	7666	7655	7598	7748	7526	7500	7785	8084	8238	8968	8612	9145	5049	7163	3476	4949	3148	4202
18	कोरिया	4034	4264	4113	4196	4011	4243	3967	4210	4100	4296	3999	4186	4375	4703	4635	5088	4906	5588	2644	3807	2238	2873	1766	2030
19	महासमुंद	6954	7034	7282	7302	7302	7635	7325	7707	7520	7570	7499	7908	8078	8426	8816	9152	8586	9062	4707	7450	3819	5204	3467	4361
20	मुंगेली	6296	6258	6714	6917	6519	6680	6430	6485	6733	6964	5713	6207	6125	6871	6180	6661	5746	6436	3295	4722	2736	2908	2577	2545
21	नांशयणपुर	1776	1388	1574	1265	1593	1242	1551	1219	1505	1225	1178	886	1004	1018	1052	1001	1092	1105	625	738	601	648	455	447
22	रायगढ़	8220	8436	8238	8718	8275	8567	8754	9136	8847	9342	8464	9035	9650	10153	9867	10518	9605	10463	6569	9831	4896	6511	4837	6541
23	रायपुर	8623	8651	8785	9020	9402	9930	9894	10260	9878	10519	10424	11242	11143	11942	11118	12243	13317	15045	6699	11351	5754	8300	4778	7230
24	राजनांदगाव	10521	10762	10699	11185	10772	10894	11502	11731	11401	11838	11164	11522	11850	12329	12154	13088	14593	15218	9371	12465	8362	10480	6285	7754
25	सुकमा	4491	3909	2985	2579	2499	1974	2131	1723	1887	1615	1547	1185	1418	1257	1355	1229	1264	1046	969	923	753	631	548	438
26	सुरजपुर	5955	6366	5866	6127	5998	5978	6116	6298	6239	6323	5360	5974	5799	6347	5873	6616	6281	7482	3947	5615	3549	4520	2608	3267
27	सरगुजा	5438	5529	5547	5633	5393	5528	5497	5628	5367	5574	5103	5440	5452	5913	5372	6077	5932	7080	3135	4678	3824	4551	2431	2792
28	गोरिला-पेण्ड्रा	2233	2203	2245	2200	2400	2344	2280	2346	2276	2333	2325	2499	2246	2474	2581	2594	2489	3036	2162	2618	1055	1552	1091	1435
29	सक्ती	3230	3377	3710	3801	3970	3971	4190	4165	3881	3954	3981	4271	4184	4188	4257	4472	4326	4578	5301	5638	2450	3103	2654	3227

प्रपत्र "ब"

स.क्र	जिले के नाम	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	बालोद	101872
2	बलौदाबाजार	150000
3	बलरामपुर	96435
4	बस्तर	45738
5	बेमेतरा	89404
6	बीजापुर	9230
7	बिलासपुर	179311
8	दन्तेवाड़ा	12244
9	धमतरी	91147
10	दुर्ग	114646
11	गरियाबंद	72418
12	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	41990
13	जाजगीर चांपा	151835
14	जशपुर	58310
15	कांकेर	74136
16	कवर्धा	78739
17	कोण्डागांव	64130
18	कोरबा	104132
19	कोरिया	62080
20	महासमुंद	87885
21	मुंगेली	84215
22	नारायणपुर	6678
23	रायगढ़	170881
24	रायपुर	170760
25	राजनांदगांव	177566
26	सुकमा	13412
27	सूरजपुर	92884
28	सरगुजा	75040
	योग	2477118

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 443) के भाग (क) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र अभनपुर में ग्रामवार संचालित एवं मापदण्ड अनुसार निर्मित शालाओं की जानकारी

क.	ग्राम	संचालित शाला का नाम	क.	ग्राम	संचालित शाला का नाम
1	2	3	1	2	3
1	धूसेरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धूसेरा	28	मानिकचौरी	शा.उ.मा.वि.मानिकचौरी
2	खण्डवा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खण्डवा	29		शासकीय पूर्व माध्य. शाला मानिकचौरी
3	खोरपा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोरपा	30	मोहंदी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहंदी
4		शा.उ.मा.वि.खोरपा	31	मुरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुरा
5	खोला	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोला	32	खिलारा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खिलोरा.
6		शा.उ.मा.वि.खोला	33	बिरोदा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिरोदा
7	खट्टी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खट्टी	34	पिपरोद	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिपरोद
8	ढोडरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ढोडरा	35		शा.उ.मा.वि.पिपरोद
9	झाँकी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला झाँकी	36	थनौद	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला थनौद
10	ठेकलाबाधा	शासकीय पूर्व माध्य. शाला ठेकलाबाधा	37	सिंगारभाठा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंगारभाठा
11		शा.हाई स्कूल ठेकलाबाधा	38	सिवनी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिवनी
12	बकतरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बकतरा	39		शा.उ.मा.वि.सिवनी
13	बडे उरला	मिनीमाता आश्रम माध्यमिक शाला बडे उरला	40	निमोरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला निमोरा
14		शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बडे उरला	41		शा.हाई स्कूल निमोरा
15	बेन्दी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बेन्दी	42	गिरोला	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गिरोला
16	बेलर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बेलर	43		शा.हाई स्कूल गिरोला
17	कटिया	शा.हाई स्कूल कटिया न02	44	हसदा	शासकीय पूर्व माध्य. शाला हसदा
18		शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कटिया 02	45		शा.उ.मा.वि.हसदा
19	कोलियारी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोलियारी	46	भरैगा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरैगा
20	कोलर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोलर	47	भोथीडीह	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नवीन भोथीडीह
21		शा.हाई स्कूल कोलर	48	भेलवाडीह	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भेलवाडीह
22	कुरु	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुरु	49	भुरका	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भुरका
23		एस.आर बजार शा.उ.मा.वि.कुरु	50	पी जामगाव	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पी जामगाव
24	कुरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुरा	51	परसदा वि.म.	शा.उ.मा.वि.परसदा वि.म.
25	केन्दी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केन्दी	52		शासकीय पूर्व माध्य. शाला विद्या मंदिर परसदा
26		शा.उ.मा.वि.केन्दी	53	परसदा सोट	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा सोट
27	मंदलोर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंदलोर	54		शा.उ.मा.वि.परसदा सोट

क.	ग्राम	संचालित शाला का नाम	क.	ग्राम	संचालित शाला का नाम
1	2	3	1	2	3
55	परसुलीडीह	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसुलीडीह	85	चापाझर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चापाझर
56		शा.उ.मा.वि.परसुलीडीह	86		शा.उ.मा.वि.चापाझर
57	पारागाव	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पारागाव	87	चेरिया	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चेरिया
58	पोड	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पोड	88	तर्री	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तर्री
59		शा.उ.मा.वि.पोड	89	तामासिवनी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तामासिवनी
60	पचेडा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पचेडा	90		शा.उ.मा.वि.तामासिवनी
61	पटेवा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पटेवा	91	तोरला	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तोरला
62	पलौद	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पलौद	92		शा.हाई स्कूल तोरला
63	रवेली	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रवेली	93	तेन्दुवा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तेन्दुवा
64		शा.हाई स्कूल रवेली	94	तूता	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तूता
65	संकरी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला संकरी	95	जवईबाधा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जवईबाधा
66		शा.उ.मा.वि.संकरी	96	जौदी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जौदी
67	सुन्दरकरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुन्दरकरा	97	जौदा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जौदा
68		शा.उ.मा.वि.सुन्दरकरा	98	जुलूम	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जुलूम
69	सारखी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सारखी	99	नाहनाचण्डी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नाहनाचण्डी
70		शा.हाई स्कूल सारखी	100	नायकबाधा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नायकबाधा
71	सातपारा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सातपारा	101	नवापारा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हरिहर नवापारा
72	सोनेसिल्ली	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनेसिल्ली	102		शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बढईपारा नवापारा
73	सेमरा	शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला सेमरा	103		शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या नवापारा
74	उपरवारा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उपरवारा	104		शा.उ.मा.वि.क.नवापारा
75		शा.उ.मा.वि.उपरवारा	105		शा.उ.मा.वि.हरिहर नवापारा
76	डोमा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डोमा	106	नवागाव	शा.हाई स्कूल नवागाव को.
77	डोगीतराई	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डोगीतराई	107	नवागाव क.	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नवागाव कठिया
78	उमंगतरा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उमंगतरा	108	नवागाव को.	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नवागाव कोलियारी
79	उल्वा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उल्वा	109	अभनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बजरंग अभनपुर
80	छांटा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छांटा	110		शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या अभनपुर
81	दादरझोरी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दादरझोरी	111		शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ब्लॉक कॉलोनी अभनपुर
82	छदानपैरी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छदानपैरी	112		शा.ब.दा.उ.मा.वि.अभनपुर
83		शा.उ.मा.वि.छदानपैरी	113		शा.क.उ.मा.वि.अभनपुर
84	दुलना	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुलना			

क.	ग्राम	संचालित शाला का नाम	क.	ग्राम	संचालित शाला का नाम
1	2	3	1	2	3
114	टीला	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टीला	121	टेकारी	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टेकारी
115		शा.उ.मा.वि.टीला	122		शा.उ.मा.वि.टेकारी
116	आलेखुटा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला आलेखुटा	123	गातापार	शासकीय पूर्व माध्य. शाला गातापार
117		शा.हाई स्कूल आलेखुटा	124	गोंडपारा	शा.हाई स्कूल गोंडपारा
118	आमदी	शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला आमदी	125	अभनपुर	शासकीय पूर्व मा. शाला गोंडपारा
119	आमनेर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला आमनेर	126	गोबरा नवापारा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोबरा
120	टोकरो	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टोकरो	127	गोतियारडीह	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोतियारडीह

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 519) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

क्र.	एन जी.ओ. का नाम	मुख्यालय	कार्य क्षेत्र	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	लर्निंग लिक्स फॉउण्डेशन	दिल्ली	उच्च प्राथमिक गणित, भाषा, विज्ञान एवं स्पोर्ट्स (विलासपुर, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़ एवं मुंगेली जिला)	551
2	लैंग्वेज एण्ड लर्निंग फॉउण्डेशन	दिल्ली	प्रारंभिक भाषा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला में नीचे कार्यक्रम	34790
3	अजीम प्रेमजी फॉउण्डेशन	बैंगलुरु	पीएलसी एवं अंग्रेजी प्रशिक्षण (संपूर्ण छत्तीसगढ़)	12459
4	इंडिया एंजुकेशन कलेक्टिव	दिल्ली	भाषा एवं गणित (महासमुंद एवं बस्तर जिला)	1001
5	मिलियन स्पोर्ट्स फॉउण्डेशन	दिल्ली	ऑनलाईन क्षमता विकास (संपूर्ण छत्तीसगढ़)	72932
6	द ट्रांसफॉर्म ट्रस्ट (निखार)	दिल्ली	उपघारात्मक शिक्षा (बलौदाबाजार, बीजापुर, विलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद और रायपुर जिला)	26706
7	रामक फॉउण्डेशन	दिल्ली	गणित एवं अंग्रेजी (संपूर्ण छत्तीसगढ़)	144286
8	श्री अरविन्दो सोसाइटी (जेडआई आई ई आई)	दिल्ली	शून्य निवेश नवाचार (संपूर्ण छत्तीसगढ़)	97982
9	हुमाना पीपुल टू पीपुल इंडिया (कदम)	दिल्ली	शाला से बाहर के बच्चे (संपूर्ण छत्तीसगढ़)	557
10	रुम टू रीड	दिल्ली	प्रारंभिक भाषा एवं जीवन कौशल (संपूर्ण छत्तीसगढ़)	10189
11	द टीचर एण्ड	दिल्ली	ऑनलाइन क्षमता विकास (संपूर्ण छत्तीसगढ़)	128725

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 635) की जानकारी]

(अ) विधान सभा क्षेत्र पामगढ़ में जर्जर शाला भवन नहीं है, मरम्मत योग्य शालाओं की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	शालाओं के नाम	क्र.	शालाओं के नाम
1	शा.प्रा.शाला कुटीघाट	10	शा.प्राथ.शा.कुकदा
2	शा.प्रा.शाला उरैहा	11	शा.प्राथ.शा.बोरदा
3	शा.प्रा.शाला राहौद	12	शा.क.प्राथ.शा.केरा
4	शा.प्रा.शाला चण्डीपारा	13	शा.प्राथ.शा.देवरी
5	शा.प्रा.शाला ससहा	14	शा.प्राथ.शा.गंगाजल
6	शा.प्रा.शाला कोड़ाभाट	15	शा.प्राथ.शा.पचरी
7	शा.प्रा.शा.हं.पा.मैहदी	16	शा.जन.प्राथ.शा.तुस्मा
8	शा.प्रा.शाला भैसो	17	पू.मा.शा. कुटीघाट
9	शा.प्रा.शाला केसला		

(ब) विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ में अहाता विहीन शालाओं की जानकारी

क्र.	शालाओं के नाम	क्र.	शालाओं के नाम
1	प्रा.शा.गुडीपारा मुलमुला	22	प्रा.शा. झिलमिली
2	प्रा.शा.स.डे. मुलमुला	23	प्रा.शा. मदनपुर
3	प्रा.शा. दर्रापारा कोनार	24	प्रा.शा.इं.आ. पामगढ़
4	प्रा.शा.धनु.पा. कोनार	25	प्रा.शा.रामगढ़ मुह. पामगढ़
5	प्राथ.शा.इं.आ. कोनार	26	प्रा.शा. नेवराबंद
6	प्रा.शा. नंदेली	27	प्रा.शा. राइसमिल चण्डीपारा
7	प्रा.शा. कोसा	28	प्रा.शा. रोजनडीह
8	प्रा.शा. सतनामीपारा कोसा	29	प्रा.शा. जोरैलापारा
9	प्रा.शा. उजिरपारा कोसा	30	प्रा.शा.चंदनियापारा डोंगाकोहरौद
10	प्रा.शा. तिलोकवा पारा कोसा	31	प्रा.शा.बांधा पारा कोसीर
11	प्रा.शा. पथरपारा कोसा	32	प्रा.शा.आदि.पारा कोसीर
12	प्रा.शा. छैडोलिया	33	प्राथ०शा०शि०डे० धनगांव
13	प्रा.शा. घोड़ाखुरी	34	प्रा.शा.स.डे. चोरभट्टी
14	प्रा.शा. पैधार	35	प्राथ०शा० लगरा
15	प्रा.शा. डिघोरा	36	प्राथ०शा० भाठापारा लगरा
16	प्रा.शा. सेमरिया (डि)	37	प्रा०शा०भाठापारा जोगीडीपा
17	प्रा.शा. मानाडेरा	38	प्रा०शा०जोगीडीपा
18	प्रा.शा. वार्ड क्र.8 भैसों	39	प्रा०शा० सिल्ली
19	प्रा.शा. वार्ड क्र.9 भैसों	40	प्रा०शा० खपरी
20	प्रा.शा.नहरकालोनी भैसों	41	प्राथ०शा० टाँड़पारा (खपरी)
21	प्रा.शा. नवापारा भैसों	42	प्रा.शा. ससहा

क्र.	शालाओं के नाम	क्र.	शालाओं के नाम
43	प्रा.शा. खराडीह	79	शा.प्राथ.शा.तेंदुवा (शि.ना.)
44	प्रा.शा. नवाडीह सिर्सी	80	शा.पू.मा.शा. नन्देली
45	प्रा.शा. कोडाभाट	81	पू.मा.शा. कोसा
46	प्रा०शा० मेकरी	82	पू.मा.शा. पैधार
47	प्राथ०शा०टाकुरदेवपारा मेकरी	83	पू.मा.शा. डिधोरा
48	प्रा०शा०प०पा० मुडपार(चु)	84	पू.मा.शा. झिलमिली
49	प्राथ०शा० भुईगांव	85	पू.मा.शा. कोसीर
50	प्राथ०शा० भाटापारा कोसला	86	पू.मा.शा. भलवाही
51	प्रा० शा० सागरपारा कोसला	87	पू.मा.शा. ससहा
52	प्रा०शा०गादीदाई पा०राहौद	88	पू.मा.शा. मेकरी
53	प्रा०शा० सुभाषनगर राहौद	89	पू.मा.शा. कोडाभाट
54	प्रा०शा०पकरियापारा राहौद	90	पू.मा.शा. बारगांव
55	प्रा०शा०अ०स०डे० राहौद	91	पू.मा.शा. लगरा
56	प्रा०शा० धरसापारा लोहर्सी	92	पू.मा.शा. सिल्ली
57	प्रा०शा० स०डे० देवरी	93	पू.मा.शा. जोगीडीपा
58	प्राथ०शा० खाल्हेपारा खरौद	94	पू.मा.शा. खपरी
59	कन्या प्राथ०शा० खरौद	95	पू.मा.शा. देवरी
60	शा.न.प्राथ.शा.आमापाली खिसोरा	96	शा.न.पू.मा.शा.बोरदा
61	शा.न.प्राथ.शा.गणेश मोह गोधना	97	शा.पू.मा.शा.उदयभाटा
62	शा.न.प्राथ.शा.महावीर मोह.कुरियारी	98	शा.पू.मा.शा.केरा
63	शा.न.प्राथ.शा.भाठा.रिंगनी	99	शा.पू.मा.शा.मोहतरा
64	शा.प्राथ.शा.बोरदा	100	शा.पू.मा.शा.नगारीडीह
65	शा.न.प्राथ.शा.भाठा सलखन	101	शा.पू.मा.शा.कनस्दा
66	शा.न.प्राथ.शा.डीहपारा सलखन	102	शा.पू.मा.शा.केसला
67	शा.न.प्राथ.शा.खाल्हेपारा सलखन	103	शा.पू.मा.शा.पचरी
68	शा.न.प्राथ.शा.नहरपारा उदयभाटा	104	शा.न.पू.मा.शा.करमंदी (शि.ना.)
69	शा.प्राथ.शा.केसला	105	शा.न.पू.मा.शा.कपूरताल तुस्मा
70	शा.प्राथ.शा.मिस्दा	106	शा.स.हाई स्कूल मुलमुला(नवीन)
71	शा.प्राथ.शा.जोगीडीपा	107	शा.हाईस्कूल रिंगनी
72	शा.प्राथ.शा.सिंधुल	108	शा.हाईस्कूल पोडीराछा
73	शा.न.प्राथ.शा.आदिवासी मोह.सिंधुल	109	शा.हाईस्कूल कुरियारी
74	शा.प्राथ.शा.करमंदी (शि.ना.)	110	शा.हाईस्कूल कंचदा
75	शा.न.प्राथ.शा.भाठा करमंदी (शि.ना.)	111	शा.हाईस्कूल बुलसी
76	शा.न.प्राथ.शा.बरपारा कटौद	112	शा.हाईस्कूल सिंधुल
77	शा.न.प्राथ.शा.सबरियापारा कटौद	113	शा.हाईस्कूल तुस्मा
78	शा.जन.प्राथ.शा.तुस्मा	114	शा.उ.मा.वि.केरा

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 701) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि के कारण बह गई फसल का विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	किसानों की संख्या	दी गई सहायता राशि	रिमार्क
1	सरगुजा	0	0.00	
2	सूरजपुर	0	0.00	
3	बलरामपुर	0	0.00	
4	जशपुर	0	0.00	
5	कोरिया	68	429,402.00	
6	रायपुर	0	0.00	
7	बलौदाबाजार	0	0.00	
8	गरियाबंद	0	0.00	
9	महासमुंद	0	0.00	
10	धमतरी	0	0	
11	बिलासपुर	4	4,300.00	
12	मुंगेली	0	0.00	
13	रायगढ़	0	0.00	
14	जांजगीर-चांपा	163	618,023.00	
15	कोरबा	0	0.00	
16	गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही	0	0.00	
17	दुर्ग	68	641,478.00	
18	कबीरधाम	0	0.00	
19	राजनांदगांव	0	0.00	
20	बालोद	0	0.00	
21	बेमेतरा	0	0.00	
22	बस्तर	0	0.00	
23	कोण्डागांव	71	259,276.00	
24	कांकेर	0	0.00	
25	नारायणपुर	4	13,420.00	
26	दत्तवाड़ा	0	0.00	
27	सुकमा	380	2,239,578.00	
28	बीजापुर	74	587,489.00	
	योग	832	4792966.00	

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 702) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सत्र 2019-20

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन

स.क्र.	उन्नयन की गई शाला का नाम	विधान सभा क्षेत्र	जिला का नाम
1	पूर्व माध्यमिक शाला जमगहन	चन्द्रपुर	जांजगीर चांपा
2	पूर्व माध्यमिक शाला सुलौनी	मस्तूरी	बिलासपुर
3	पूर्व माध्यमिक शाला बड़ेसाल्ही	बैकुण्ठपुर	कोरिया
4	पूर्व माध्यमिक शाला कसावाही	धमतरी	धमतरी
5	पूर्व माध्यमिक शाला खम्हारडीह	उत्तर रायपुर	रायपुर
6	पूर्व माध्यमिक शाला पुरेना	48 रायपुर ग्रामीण	रायपुर
7	पूर्व माध्यमिक शाला इल्दा	धरसीवा	रायपुर
8	पूर्व माध्यमिक शाला पझरापौली	सरायपाली	महासमुन्द
9	पूर्व माध्यमिक शाला मांडीतराई	डोंगरगढ़-74	राजनांदगाव
10	पूर्व माध्यमिक शाला पोहा	पाटन	दुर्ग
11	पूर्व माध्यमिक शाला तुमाकला	अहिवारा	दुर्ग
12	पूर्व माध्यमिक शाला भफौली	अम्बिकापुर	सरगुजा
13	पूर्व माध्यमिक शाला घघरी	अम्बिकापुर	सरगुजा
14	पूर्व माध्यमिक शाला पौडीकला	अम्बिकापुर	सरगुजा
15	पूर्व माध्यमिक शाला पोडीखुर्द	अम्बिकापुर	सरगुजा
16	पूर्व माध्यमिक शाला माकड़ी	कोण्डागांव	कोण्डागांव
17	पूर्व माध्यमिक शाला कसकेला	05 भटगाव	सूरजपुर
18	पूर्व माध्यमिक शाला कन्या दर्रीपारा	05 भटगाव	सूरजपुर

(हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी उन्नयन)

स.क.	उन्नयन की गई शाला का नाम	विधान सभा क्षेत्र	जिला
1	हाईस्कूल भिलौरी	बेमेतरा	बेमेतरा
2	हाईस्कूल लंहगर	महासमुन्द	महासमुन्द
3	हाईस्कूल चिचिरदा	तखतपुर	बिलासपुर
4	हाईस्कूल कोदापाखा	भानुप्रतापपुर	कांकेर
5	हाईस्कूल बंगुरसिया	लैलूंगा	रायगढ़
6	हाईस्कूल हरठेमा	संजारी बालोद	बालोद
7	हाईस्कूल सोनझरी	कवर्धा	कवर्धा
8	हाईस्कूल बलौदी	बिलाईगढ़	बलौदा बजार
9	हाईस्कूल तर्राघाट	पाटन	दुर्ग
10	हाईस्कूल पड़रिया	अकलतरा	जांजगीर-चांपा
11	हाईस्कूल सरईटिकरा	अम्बिकापुर	सरगुजा
12	हाईस्कूल असोला	अम्बिकापुर	सरगुजा
13	हाईस्कूल खलिबा	अम्बिकापुर	सरगुजा
14	हाईस्कूल बगरार	मरवाही	बिलासपुर
15	हाईस्कूल लमना	पाली-तानाखार	कोरबा
16	हाईस्कूल चिखली	भानुप्रतापपुर	कांकेर
17	हाईस्कूल कुरी	भानुप्रतापपुर	कांकेर
18	हाईस्कूल लोलकी	प्रतापपुर	सूरजपुर
19	हाईस्कूल उमापुर	04 प्रेमनगर	सूरजपुर
20	हाईस्कूल गोवर्धनपुर	प्रतापपुर	सूरजपुर
21	हाईस्कूल मरोल	पत्थलगांव	जशपुर
22	हाईस्कूल पठियापाली	रामपुर	कोरबा

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 747) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिलों में धान खरीदी केन्द्रों में स्टॉक मिलान की जानकारी

वर्ष 2018-19

क्र०	धान खरीदी केन्द्र	स्टॉक मिलान की तिथि
1	अमझर	02-05-2019
2	मल्दा (ब)	03-06-2019
3	उरबा	15-04-2019
4	उलखर	07-06-2019
5	बरदुला	07-06-2019
6	कुडेकेला	01-04-2019
7	कुडुमकेला	29-04-2019
8	घरघोड़ी	29-04-2019
9	केडार	11-04-2019
10	परसदा बड़े	11-04-2019
11	कनकविरा	24-05-2019
12	कोपरतुंगा	03-06-2019
13	कुर्मीभैना	13-04-2019
14	केशला	10-04-2019
15	तोलगे	10-04-2019
16	केशला	29-03-2019
17	गढ़उमरिया	16-04-2019
18	कापू	03-04-2019
19	कोकडीतराई	11-04-2019
20	कछार	20-04-2019
21	कौडतराई	02-04-2019
22	कोडपाली	15-04-2019
23	छपोरा	15-04-2019
24	कोडातराई	15-04-2019
25	तेलीपाली	15-04-2019
26	कोडासीया	26-05-2019
27	कोतरी	28-05-2019
28	खडगांव 180	20-04-2019
29	गेरसा	20-04-2019
30	खडगांव	18-05-2019
31	खम्हरीया	30-05-2019
32	खम्हार	08-05-2019
33	खरसिया	22-04-2019
34	मैनापारा	22-04-2019
35	गुडेली	24-04-2019
36	केसिर	03-06-2019
37	गाताडिह	17-05-2019
38	जशपुर	17-05-2019
39	गोरी	20-04-2019
40	नावापारा (मांड)	28-05-2019
41	कोटरीमाल	29-04-2019
42	घरघोडा	29-04-2019
43	कुनकुनी	12-04-2019
44	चपले	12-04-2019
45	छर्राटांगर	29-04-2019
46	छाल	45 13-05-2019
47	कटेली	47 19-04-2019

क्र०	धान खरीदी केन्द्र	स्टॉक मिलान की तिथि
48	छिंद	19-04-2019
49	छिछोर उमरिया	18-04-2019
50	जतरी	11-04-2019
51	जैमुरा	29-04-2019
52	बसनाझर	29-04-2019
53	जरेकेला	11-04-2019
54	जामगांव	29-05-2019
55	जोबी	03-05-2019
56	टेण्डानावापारा	28-05-2019
57	टारपालि	01-07-2019
58	तेतला	24-04-2019
59	तिलगी	28-05-2019
60	तमनार	11-04-2019
61	तरकेला	16-04-2019
62	पटेलपाली	16-04-2019
63	तुरकेला	26-05-2019
64	तिउर	02-05-2019
65	कोतरा	11-04-2019
66	धनागर	11-04-2019
67	तौंसिर	17-05-2019
68	हट्टापाली	17-05-2019
69	झिकीपाली	17-05-2019
70	दूलोपाली	17-05-2019
71	दानसरा	29-05-2019
72	बटाउपाली (ब)	24-05-2019
73	धर्मजयगढ	02-05-2019
74	जोबरोपाली	05-04-2019
75	धौराभाठा	10-04-2019
76	नंटेली	12-04-2019
77	नावापारा	12-04-2019
78	कोसिर छोटे	28-05-2019
79	नौरंगपुर	24-05-2019
80	पडिगांव	07-06-2019
81	पुसौर	19-03-2019
82	बगूरसिया	22-04-2019
83	कंठीपाली	11-06-2019
84	बडे नावापारा	22-05-2019
85	कोसमन्दा	19-04-2019
86	बडे हल्दी	15-04-2019
87	बडेभंडार	24-04-2019
88	बरगड	30-04-2019
89	बोतल्दा	19-04-2019
90	बुदेली	01-05-2019
91	बरमकेला	01-05-2019
92	बरभौना	29-05-2019
93	बानिपाथर	29-05-2019
94	देवगांव	09-04-2019
95	बार	29-04-2019
96	पंचधार	24-04-2019
97	बौदा	24-04-2019
98	खैरा बडे	08-06-2019
99	भेडवन	29-05-2019

क्र०	धान खरीदी केन्द्र	स्टॉक गिलान की तिथि
100	काटाहरदी	20-04-2019
101	भातपुर	02-04-2019
102	मुकडेगा	11-06-2019
103	भूपदेवपुर	27-04-2019
104	मूरा भूपदेवपुर	27-04-2019
105	राजपुर	26-04-2019
106	लुकापारा	15-05-2019
107	साकरा	04-05-2019
108	कम्हारी	27-04-2019
109	लेधा	27-04-2019
110	लैलुंगा	29-05-2019
111	लारीपानी	13-04-2019
112	लिबरा	19-04-2019
113	लोईग	22-04-2019
114	लोधिया	28-05-2019
115	चितवाही	09-04-2019
116	सराइटोला	09-04-2019
117	सराइपाली	18-04-2019
118	सरिया	04-05-2019
119	सहसपुर	19-04-2019
120	साल्हेओना	28-05-2019
121	सिसिरिगा	03-04-2019
122	गोडगोधरी	24-05-2019
123	हालाहली	25-05-2019
कुल योग		

वर्ष 2019-20

1	अमझर	21-09-2020
2	मल्दा (ब)	17-07-2020
3	उरवा	05-06-2020
4	उत्तखर	04-11-2020
5	बरदुला	04-11-2020
6	कुडेकेला	29-05-2020
7	कुडुमकेला	02-07-2020
8	घरघोडी	02-07-2020
9	कंडार	13-08-2020
10	परसदा बडे	31-08-2020
11	कनकविरा	12-10-2020
12	कोपरतुंगा	12-10-2020
13	कुर्मीभिना	02-07-2020
14	केशला	08-09-2020
15	तोलगे	20-07-2020
16	केशला	05-09-2020
17	गदउमरिया	29-08-2020
18	कापू	11-06-2020
19	कोकडीतराई	02-07-2020
20	कछार	19-05-2020
21	कोडतराई	19-05-2020
22	कोडपाली	02-09-2020
23	छपोरा	26-08-2020
24	कोडातराई	22-07-2020
25	तेलीपाली	10-09-2020
26	कोडासीया	09-05-2020

क्र०	धान खरीदी केन्द्र	स्टॉक मिलान की तिथि
27	कोतरी	22-09-2020
28	खडगांव 180	14-10-2020
29	गेरसा	30-10-2020
30	खडगांव	08-10-2020
31	खम्हरीया	05-06-2020
32	खम्हार	10-06-2020
33	खरसिया	13-07-2020
34	मैनापारा	13-07-2020
35	गुडेली	05-11-2020
36	केसिर	04-11-2020
37	गाताडिह	14-10-2020
38	जशपुर	04-11-2020
39	गोरो	16-07-2020
40	नावापारा (मांड)	06-07-2020
41	कोटरीमाल	02-07-2020
42	घरघोडा	02-07-2020
43	कुनकुनी	06-06-2020
44	चपले	01-07-2020
45	छरोटांगर	07-09-2020
46	छाल	17-07-2020
47	कटेली	03-10-2020
48	छिंद	22-09-2020
49	छिछोर उमरिया	16-10-2020
50	जतरी	22-07-2020
51	जैमुरा	26-10-2020
52	बसनाझर	26-10-2020
53	जरेकेला	02-06-2020
54	जामगांव	08-07-2020
55	जोबी	29-08-2020
56	टेण्डानावापारा	02-07-2020
57	टारपालि	25-07-2020
58	तेतला	27-07-2020
59	तिलगी	27-07-2020
60	तमनार	14-08-2020
61	तरकेला	18-05-2020
62	पटेलपाली	05-06-2020
63	तुरकेला	09-07-2020
64	तिउर	09-07-2020
65	कोतरा	19-05-2020
66	धनागर	03-07-2020
67	तौंसिर	05-11-2020
68	हड्डापाली	29-08-2020
69	झिकीपाली	27-07-2020
70	दूलीपाली	05-08-2020
71	दानसरा	11-09-2020
72	बटाउपाली (ब)	06-10-2020
73	धर्मजयगढ	12-10-2020
74	जोबरोपाली	22-06-2020
75	धौराभाठा	22-06-2020
76	नंदेली	03-07-2020
77	नावापारा	03-07-2020
78	कोसिर छोटे	07-09-2020

क्र०	धान खरीदी केन्द्र	स्टॉक मिलान की तिथि
79	नौरंगपुर	12-10-2020
80	पडिगांव	07-09-2020
81	पूसौर	05-06-2020
82	बंगूरसिया	21-07-2020
83	कंठीपाली	07-09-2020
84	बड़े नावापारा	06-10-2020
85	कोसमन्दा	05-06-2020
86	बड़े हल्दी	05-06-2020
87	बड़ेभंडार	07-09-2020
88	बरगड	06-09-2020
89	बोतल्दा	08-07-2020
90	बुदेली	16-07-2020
91	बरमकेला	16-07-2020
92	बरभौना	06-06-2020
93	बानिपाथर	06-06-2020
94	देवगांव	05-09-2020
95	बार	26-06-2020
96	पंचधार	30-06-2020
97	बोदा	14-07-2020
98	खैरा बड़े	12-10-2020
99	भेडवन	02-09-2020
100	काटाहरदी	19-05-2020
101	भातपुर	19-05-2020
102	मुकडेगा	15-07-2020
103	भूपदेवपुर	29-06-2020
104	मूरा भूपदेवपुर	29-06-2020
105	राजपुर	05-11-2020
106	लुकापारा	30-07-2020
107	साकरा	30-07-2020
108	कुम्हारी	17-07-2020
109	लेधा	17-07-2020
110	लैलुंगा	07-09-2020
111	लारीपानी	27-07-2020
112	लिबरा	05-11-2020
113	लोईग	08-07-2020
114	लोधिया	31-08-2020
115	चितवाही	02-06-2020
116	सराइटोला	02-06-2020
117	सराइपाली	06-06-2020
118	सरिया	07-07-2020
119	सहसपुर	22-07-2020
120	साल्हेओना	03-09-2020
121	सिसिरिंगा	14-05-2020
122	गोडगोधरी	29-06-2020
123	हालाहली	29-06-2020

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिले के धान उपाजन केन्द्रों में वर्ष 2019-20 में धान में यात्री गयी कमी के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी

(मात्रा क्विंटल में राशि लाख में)

क.	समिति का नाम	उपाजन केन्द्र का नाम	शार्टेज के कारण हुई हानि की मात्रा	शार्टेज के कारण हुई हानि की राशि	कर्मचारी का नाम	पद	यदि सेवा से पृथक किया गया है तो वर्ष	पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई. आर.)				वसूली की राशि		
								प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम	वर्तमान स्थिति	कुल वसूली की जानी थी	वसूल की गई राशि	वसूली की शेष राशि
1	उलखर	बरदुला	7700.64	139.76	श्री अशोक कुमार चंद्रा श्री शिव कुमार साहू	समिति प्रबंधक फड प्रभारी		677	09.10.2020	सारंगढ	विवेचना जारी	139.76	0.00	139.76
2	उलखर	उलखर	3086.05	56.01	श्री अशोक कुमार चंद्रा श्री डमरूधर चंद्र	समिति प्रबंधक फड प्रभारी		677	09.10.2020	सारंगढ	विवेचना जारी	56.01	0.00	56.01
3	जैपुरा	जैपुरा	2144.77	38.92	श्री प्रमोद कुमार राठौर श्री भानुप्रताप डनसेना श्री खगपति पटेल	समिति प्रबंधक लिपिक एवं फड प्रभारी बारदाना प्रभारी डाटा आरपेटर		386	18.09.2020	खरसिया	विवेचना जारी	38.92	0.00	38.92
4	जैपुरा	बसनाझर	1512.37	27.45	श्री लाल कुमार नागवंशी श्री डोलनारायण पटेल	लेखापाल एवं फड प्रभारी बारदाना प्रभारी डाटा आरपेटर		386	18.09.2020	खरसिया	विवेचना जारी	27.45	0.00	27.45
5	गाताडीह	जशपुर	5857.49	106.33	श्री दिलीप टण्डन	समिति प्रबंधक	हैं					106.33	0.00	106.33
योग			20301.32	368.47								368.47	0.00	368.47

परिशिष्ट "अट्‌आईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 756) के भाग (ग) की जानकारी]

बैंगन संरक्षित जनजाति वर्ग के बच्चों को देय छात्रवृत्ति की जानकारी

क्र	योजना	कक्षा	वर्ग / लिंग	छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष रू.	आय सीमा / पात्रता
01	राज्य छात्रवृत्ति	3री से 5वी	जनजाति बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं
		6वी से 8वीं	जनजाति बालिका	800	
			जनजाति बालक	600	
02	प्री मैट्रिक	9वी से 10वी	जनजाति बालिका	1000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू 2.00 लाख से अधिक होने पर ।
			जनजाति बालक	800	
			जनजाति छात्रावासी	4500	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू 2.00 लाख से अधिक न होने पर ।
			जनजाति गैर छात्रावासी	2250	
03	पोस्ट मैट्रिक	11वी से 12वी	जनजाति छात्रावासी	3800	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू 2.50 लाख से अधिक ना होने पर ।
			जनजाति गैर छात्रावासी	2300	
04	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन	6वीं	कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित जनजाति बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं

परिशिष्ट "उन्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 757) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

केन्द्र शासन से खेलगढ़िया योजना के अंतर्गत समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ को प्राप्त राशि का विवरण

क	मद का नाम	विद्यालय स्तर	वर्ष 2018-19 में प्राप्त राशि		वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि		वर्ष 2020-21 में स्वीकृत राशि	
			विद्यालय की संख्या	राशि	विद्यालय की संख्या	राशि	विद्यालय की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खेल एवं शारीरिक शिक्षा	प्राथमिक	30604	918.1	30588	1529.4	30510	1525.5
		उच्च प्राथमिक	13336	666.8	13199	1319.9	13172	1317.2
		हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी	2751	687.8	4552	1138	4617	1154.25

प्रपत्र "ब"

समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिलों को खेलगढ़िया योजना के तहत जारी राशि का विवरण

क	जिला	वर्ष 2018-19 में जारी राशि		वर्ष 2019-20 में जारी राशि	
		विद्यालय की संख्या	राशि	विद्यालय की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1	बालोद	1363	7965000	1387	12435000
2	बलौदाबाजार	1945	9879000	2055	18350000
3	बलरामपुर	1969	8475000	2014	15320000
4	बस्तर	2233	9819000	2254	17495000
5	बेमेतरा	1184	5514000	1291	11595000
6	बीजापुर	733	3253000	721	5735000
7	बिलासपुर	2575	12781000	2691	22945000
8	दत्तेवाड़ा	829	3401000	820	6220000
9	धमतरी	1464	8346000	1463	12715000
10	दुर्ग	1044	6410000	1097	10610000
11	गरियाबंद	1542	8056000	1547	12805000
12	जांजगीर-चांपा	2458	12292000	2584	22635000
13	जशपुर	2193	9315000	2204	16260000
14	कांकेर	2330	11262000	2377	19440000
15	कवर्धा	1572	8118000	1605	13405000
16	कोण्डागांव	1960	9988000	1969	15835000
17	कोरबा	2113	10035000	2154	16920000
18	कोरिया	1447	6945000	1484	12195000
19	महासमुंद	1884	9164000	1936	15515000
20	मुंगेली	987	4715000	1054	9110000
21	नारायणपुर	559	2389000	533	3945000
22	रायगढ़	3006	13816000	3087	25110000
23	रायपुर	1375	8501000	1422	13510000
24	राजनांदगांव	2781	13369000	2919	24725000
25	सुकमा	900	3560000	742	5415000
26	सूरजपुर	2028	9256000	2074	16135000
27	सरगुजा	2008	9814000	2021	16010000
महायोग:-		46482	226438000	47505	392390000

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 759) के भाग (ख) की जानकारी]

आपदा प्रबंधन मद से कराए गये कार्यों का विवरण

वर्ष 2018-19

जिला - बस्तर

क्र०	विकासखण्ड का नाम	शाला का नाम	कार्य का प्रकार	प्रशा० स्वी०
1	बकावण्ड	हाई स्कूल बड़ेदेवड़ा	भवन मरम्मत	200000.00
2	जगदलपुर	परतपारा माडपाल	भवन मरम्मत	192000.00
3	जगदलपुर	बड़ेपारा माडपाल	भवन मरम्मत	190000.00
4	जगदलपुर	ई लर्निंग सेन्टर	भवन मरम्मत	121000.00
5	दरभा	प्रा० शा० सल्फीपदर	भवन मरम्मत	112000.00
6	दरभा	प्रा० शा० चिंगपाल	भवन मरम्मत	80000.00
7	दरभा	प्रा० शा० छिंदबहार	भवन मरम्मत	27000.00
8	दरभा	प्रा० शा० मांझीगुड़ा	भवन मरम्मत	142000.00
9	दरभा	मा० शा० कोलेंग	भवन मरम्मत	122000.00
10	दरभा	मा० शा० दरभा	भवन मरम्मत	137000.00
11	बस्तानार	प्रा० शा० डोगरीपारा, पीरमेटा	भवन मरम्मत	200000.00
12	बस्तर	प्रा० शा० मुरकुची	शौचालय मरम्मत कार्य	473000.00
13	बस्तर	प्रा० शा० गुनपुर	शौचालय मरम्मत कार्य	49300.00
14	बस्तर	प्रा० शा० अतारगुड़ा	शौचालय मरम्मत कार्य	45800.00
15	बस्तर	प्रा० शा० कोहकासिवनी	शौचालय मरम्मत कार्य	47300.00
16	जगदलपुर	प्रा० शा० मुंडापारा	शौचालय मरम्मत कार्य	44000.00
17	जगदलपुर	प्रा० शा० पामेला	शौचालय मरम्मत कार्य	47700.00
18	जगदलपुर	मा० शा० रामपाल	शौचालय मरम्मत कार्य	47200.00
19	जगदलपुर	मा० शा० पोडसागुड़ा रामपाल	शौचालय मरम्मत कार्य	46500.00
20	तोकापाल	प्रा० शा० बांगापारा	शौचालय मरम्मत कार्य	49900.00
21	तोकापाल	प्रा० शा० जबरनपारा	शौचालय मरम्मत कार्य	48000.00
22	तोकापाल	प्रा० शा० तरईगुड़ा	शौचालय मरम्मत कार्य	49700.00
23	लोहण्डीगुड़ा	प्रा० शा० कोटवारपारा सुरगुड़ा	शौचालय मरम्मत कार्य	49100.00
24	लोहण्डीगुड़ा	प्रा० शा० चालकीपारा सुरगुड़ा	शौचालय मरम्मत कार्य	49000.00
25	बिन्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00
26	गढिया	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00
27	परियागुड़ा	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00

28	धाराउर	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00
29	कोलचुर	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00
30	कुदालगांव	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	120000.00
31	रोतमा	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	31000.00
32	केशरपाल	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00
33	भाटपाल	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00
34	कुड़कानार	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	52000.00
35	चोकर	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	112000.00
36	भेजरीपदर	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	मरम्मत कार्य	200000.00
			योग	4058800.00
	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक
	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक
	वर्ष 2019-20	निरंक	निरंक	निरंक
	वर्ष 2020-21 (नवम्बर 2020 तक)	निरंक	निरंक	निरंक

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 760) के भाग (ख) की जानकारी]

स्वीकृत कार्यों की स्थानवार विकासखण्डवार जानकारी

क्र०	वर्ष	विकास खण्ड	स्थानवार स्वीकृत देवगुड़ी के नाम	व्यय की गई राशि लाख में		
				प्राधिकरण मद	देवगुड़ी मद	
1	2	3	4	5	6	
1	2018-19	बकावण्ड	दुनी गुड़ी का मरम्मत कार्य ग्राम बडेदेवडा	1.00	0.00	
2			द्रोणाबीर गुड़ी का मरम्मत कार्य ग्राम जैतगिरी	1.00	0.00	
3			माता गुड़ी मरम्मत कार्य ग्राम तोंगकोरेंगा	1.00	0.00	
4			माता गुड़ी मरम्मत कार्य ग्राम बदलावण्ड	1.00	0.00	
5	2019-20	तोकापाल	गुड़ी मरम्मत कार्य मातागुड़ी तेलीमारेंगा में, ग्राम पंचायत बडेमारेंगा	1.00	0.00	
6			गुड़ी मरम्मत कार्य मातागुड़ी में, ग्राम पंचायत बारूपाटा	1.00	0.00	
7			तेलीमारेंगा रूपशिला माता गुड़ी मरम्मत कार्य, ग्राम पंचायत बडेमारेंगा	1.00	0.00	
8			तरई गुडा पारा सातसखी माता गुड़ी मरम्मत कार्य, ग्राम पंचायत राजुर	1.00	0.00	
9			गुमिया पाल पुजारीपारा बिलई माता गुड़ी मरम्मत कार्य ग्राम पंचायत टेहकापाल	1.00	0.00	
10			चोण्डीमेटावाडा पारा परदेशीन माता गुड़ी मरम्मत कार्य ग्राम पंचायत सिंगनपुर	1.00	0.00	
11			गुड़ी मरम्मत कार्य देउरगांव गुड़ी में ग्राम पंचायत देउरगांव	1.00	0.00	
12			देवगुड़ी निर्माण कार्य सालेपाल मातागुड़ी में ग्राम पंचायत सालेपाल	1.00	0.00	
13			बकावण्ड	बाउड़ी माता देवगुड़ी मरम्मत कार्य, ग्राम पंचायत नलपावण्ड	1.00	0.00
14				मातागुड़ी मरम्मत भंवरिया धोबीगुडा	1.00	0.00
15	मातागुड़ी मरम्मत सात बहन देवी (ईरिकपाल) मंदिर धोबीगुडा	1.00		0.00		
16	मातागुड़ी मरम्मत भैरव मंदिर मेटावाडा झारउमरगांव	1.00		0.00		
17	मातागुड़ी मरम्मत अलेख महिमा माता कोसमी	1.00		0.00		

क्र०	वर्ष	विकास खण्ड	स्थानवार स्वीकृत देवगुड़ी के नाम	व्यय की गई राशि लाख में	
				प्राधिकरण मद	देवगुड़ी मद
1	2	3	4	5	6
18	2019-20	बकाबण्ड	गुड़ी मरम्त कार्य मरम्त एवं ग्राम पंचायत चांपापदर	1.00	0.00
19			गंगादई माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत मोंगरापाल	1.00	0.00
20			मावलीमाता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत मोंगरापाल	1.00	0.00
21			रामपाल खालेपारा परदेशीन माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत मोहलई	1.00	0.00
22			दुलारदई मातागुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत टलनार	1.00	0.00
23			भंगाराम देव गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत तारापुर	1.00	0.00
24			माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत तारापुर	1.00	0.00
25			मावलीमाता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत तारापुर	1.00	0.00
26			सुबोदेई माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत तारापुर	1.00	0.00
27			भद्रकाली देवगुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत उलनार	1.00	0.00
28			भीमागुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत उलनार	1.00	0.00
29			चौरेया गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत उलनार	1.00	0.00
30			माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत मसगांव	1.00	0.00
31			माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत सरगीपाल	1.00	0.00
32			लमानीन माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत नवीन मोहलई	1.00	0.00
33			बिलई माता गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत ढोढरेपाल	1.00	0.00
34			भीमा देव गुड़ी मरम्त कार्य, ग्राम पंचायत ढोढरेपाल	1.00	0.00
35	माता गुड़ी मरम्त कार्य पटेलपारा, ग्राम पंचायत नलपावण्ड	1.00	0.00		

क्र०	वर्ष	विकास खण्ड	स्थानवार स्वीकृत देवगुड़ी के नाम	व्यय की गई राशि लाख में	
				प्राधिकरण मद	देवगुड़ी मद
1	2	3	4	5	6
36	2019-20	लोहण्डीगुड़ा	देवगुड़ी निर्माण बोहरीयामाता गुड़ी खासपारा ग्राम पंचायत ककनार	1.00	0.00
37			देवगुड़ी निर्माण तारागांव मातागुड़ी ग्राम पंचायत तारागांव	1.00	0.00
38			गुड़ी मरम्मत कार्य पालम गुड़ी में, ग्राम पंचायत ककनार	1.00	0.00
39			गुड़ी मरम्मत कार्य महिमा गुड़ी में, ग्राम पंचायत ककनार	1.00	0.00
40			गुड़ी मरम्मत कार्य कुम्हली मातागुड़ी के पास, ग्राम पंचायत कुम्हली	1.00	0.00
41			गुड़ी मरम्मत कार्य हिंगलाजिन माता गुड़ी में, ग्राम पंचायत ककनार	1.00	0.00
42			देवगुड़ी निर्माण डोंगरीगुड़ा गुड़ी ग्राम पंचायत कोड़ेबेड़ा	1.00	0.00
43			तोकापाल	हिंगलार्जीन माता मंदिर निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बड़ेपाराकोट	0.00
44		बास्तानार	माँ परदेशीन मातागुड़ी मरम्मत कार्य ग्रा०प० लालागुड़ा वि०ख० बास्तानार	0.00	1.00
45		जगदलपुर	हिंगलार्जीन माता मंदिर निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बिरीगपाल	0.00	1.00
योग				42.00	3.00

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 768) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	संभाग	जिले का नाम	कार्यरत अतिथि शिक्षकों के शालाओं की संख्या
1	2	3	4
1	बस्तर	कांकेर (उत्तर बस्तर)	103
2		नारायणपुर	34
3		कोण्डागांव	143
4		जगदलपुर	114
5		दंतेवाड़ा	34
6		बीजापुर	46
7		सुकमा	38
8	सरगुजा	कोरिया	146
9		बलरामपुर—रामानुजगंज	105
10		सूरजपुर	89
11		जशपुर	17
12		सरगुजा	86

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 780) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिला का नाम	नियमित अधीक्षकों की संख्या	प्रभारी अधीक्षकों की संख्या
1	सरगुजा	58	72
2	सूरजपुर	27	80
3	बलरामपुर	28	120
4	कोरिया	38	71
5	बिलासपुर	64	18
6	मुंगेली	15	18
7	कोरबा	95	88
8	जांजगीर	65	45
9	रायगढ़	82	104
10	जशपुर	61	139
11	राजनांदगांव	65	89
12	कबीरधाम	37	61
13	दर्ग	14	13
14	बेमेतरा	11	08
15	बालोद	40	46
16	रायपुर	39	16
17	बलौदाबाजार	43	64
18	गरियाबंद	26	52
19	महासमुंद	56	55
20	धमतरी	26	18
21	बस्तर	29	208
22	कोण्डागांव	27	107
23	कांकेर	54	134
24	दंतेवाड़ा	08	117
25	सुकमा	01	134
26	नारायणपुर	08	108
27	बीजापुर	02	186
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	37	50
	योग	1056	2221

परिशिष्ट "चौत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 788) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2018-19 से 30 नवम्बर 2020 तक निर्माण कार्यों हेतु वर्षवार एवं विकासखण्डवार आबंटित राशि की जानकारी

(राशि रु.लाखों में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2020 तक)
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	28.40	35.60	30.68
2	खैरागढ़	24.09	12.49	10.73
3	डोंगरगांव	1.46	4.75	23.85
4	डोंगरगढ़	13.11	14.48	24.00
5	छुईखदान	110.75	3.77	10.90
6	छुरिया	71.66	51.58	4.15
7	चौकी	14.84	292.34	18.82
8	मोहला	144.43	57.40	13.15
9	मानपुर	201.74	81.84	24.35
योग -		610.48	554.25	160.63

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 789) के भाग (क) की जानकारी]

कृषकों की सूची

क्रमांक	कृषक का नाम	ग्राम
1	सुरेन्द्र आ० मानिम वगै०	अ० चौकी
2	राजेश कुमार आ० नारायण प्रसाद	
3	सदाराम आ० सखाराम	
4	इन्द्र कुमार आ० रघुनाथ वगै०	
5	नाजी सैयदा पति सफाक उददीन	
6	सोहन आ० बंशी	
7	मो० एजाज आ० मो० अमीर	
8	भुवनलाल आ० तुलसीराम वगै०	
9	मयाराम आ० जयराम	
10	जकतु आ० माहगु	
11	अशोक आ० किशन वगै०	
12	बिसनराम आ० महगु	
13	यशवंत आ० किर्तन वगै०	
14	ललिता बेवा संतोष वगै०	
15	मेघनाथ आ० भागवत	
16	दशरथ आ० बरनु	
17	चमरूराम आ० झाडूरम वगै०	
18	इंदल आ० छत्तर	
19	बाबूलाल आ० बाला वगै०	
20	सुखूराम आ० अमरू	
21	कल्पना पति हरिश	
22	चुनु आ० फिरतु	
23	भरतराम आ० भगवानचरण वगै०	पांगरी
24	देवानंद आ० बुधराम वगै०	
25	मेघनाथ आ० बुधसिंह	
26	सुरेश आ० कन्हैयालाल	
27	सुन्दरलाल आ० नारद	
28	तिलकराम आ० नारायाण	
29	पुष्पाबाई आ० कार्तिक राम	

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतार्याकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 792) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उन्नयन किए गए शालाओं की विधानसभावार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	विधानसभा क्षेत्र	उन्नयन की गई शालाओं की संख्या
1	2019-20	धरसीवा	1
2		धमतरी	1
3		05 भटगाव	2
4		48 रायपुर ग्रामीण	1
5		बकुण्डपुर	1
6		कोण्डागाव	1
7		मरतुरी	1
8		पाटन	2
9		सरायपाली	1
10		डोंगरगढ-74	1
11		उत्तर रायपुर	1
12		चन्द्रपुर	1
13		आम्यिकापुर	7
14		अहिंवारा	1
15		04 प्रमनगर	1
16		बमतारा	1
17		कवधा	1
18		मह. रामुन्द	1
19		मरवाही	1
20		बिलाईगढ	1
21		भानुप्रतापपुर	3
22		पाली-तानाखार	1
23		पत्थलगव	1
24		प्रतापपुर	2
25		रामपुर	1
26		संजारी बालाद	1
27		तखतपुर	1
28		अकलतरा	1
29		लैलुंगा	1
30	2020-21		निरक

प्रपत्र "ब"

विधानसभा क्षेत्र में स्कूल विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य की विधानसभावार जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य का विवरण				
		स्कूल बिल्डिंग	अहाता निर्माण	प्रयोगशाला भवन	किचनशेड	अतिरिक्त कक्ष निर्माण
1	धमतरी	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
2	धरमजयगढ़	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
3	धरसीवा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
4	खरसिया	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
5	खुज्जी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
6	खैरागढ़	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
7	खल्लारी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
8	बीजापुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
9	बस्तर	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
10	बसना	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
11	बैकुण्ठपुर	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
12	बेमेतरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
13	बेलतरा	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
14	बलौदाबाजार	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
15	कांकेर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
16	कोण्डागांव	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
17	कोण्टा	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
18	कोरबा	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
19	कोटा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
20	कसडोल	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
21	कवर्धा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
22	कुरुद	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
23	कुनकुरी	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
24	केशकाल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
25	कटघोरा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
26	महासमुंद	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
27	मरवाही	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ

कं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य का विवरण				
		स्कूल बिल्डिंग	अहाता निर्माण	प्रयोगशाला भवन	किचनशेड	अतिरिक्त कक्ष निर्माण
28	मोहला मानपुर	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
29	मस्तुरी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
30	मुंगेली	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
31	मनेन्द्रगढ़	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
32	बिन्द्रानवागढ़	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
33	बिल्हा	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
34	बिलाईगढ़	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
35	बिलासपुर	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
36	भिलाई नगर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
37	चित्रकोट	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
38	भरतपुर सोनहत	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
39	भानुप्रतापपुर	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
40	भाटापारा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
41	भटगांव	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
42	पंडरिया	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
43	पामगढ़	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
44	पाटन	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
45	पाली-तानाखार	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
46	पत्थलगांव	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
47	प्रतापपुर	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
48	प्रेमनगर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
49	रायपुर पश्चिम	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
50	रायपुर उत्तर	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
51	रायपुर दक्षिण	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
52	रायपुर ग्रामीण	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
53	रायगढ़	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
54	रामपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
55	रामानुजगंज	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
56	राजिम	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
57	राजनांदगांव	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
58	संजारी बालोद	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
59	सक्ती	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
60	सीतापुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
61	सराईपाली	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
62	सामरी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य का विवरण				
		स्कूल बिल्डिंग	अहाता निर्माण	प्रयोगशाला भवन	किचनशेड	अतिरिक्त कक्ष निर्माण
63	सारंगढ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
64	साजा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
65	डौण्डी लोहारा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
66	डोंगरगढ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
67	डोंगरगांव	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
68	दत्तेवाड़ा	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
69	दुर्ग शहर	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
70	दुर्ग ग्रामीण	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
71	वैशाली नगर	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
72	चन्द्रपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
73	तखतपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
74	जांजगीर-चांपा	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
75	जशपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
76	जैजैपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
77	जगदलपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
78	नारायणपुर	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
79	नवागढ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
80	नगरी-सिहावा	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
81	अंबिकापुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
82	अंतागढ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
83	अकलतरा	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
84	अहिवारा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
85	अभनपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
86	आरंग	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
87	गुण्डरदेही	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
88	लोरमी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
89	लुण्डा	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
90	लैलुंगा	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 797) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जांजगीर-चांपा जिले की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	तहसील का नाम	कुल शासकीय भूमि (क्षेत्रफल)	बेजा-कब्जा (अतिक्रमण) भूमि (हे.)
1	जांजगीर	6693.7492	1.501
2	नवागढ़	11387.7680	0.322
3	शिवरीनारायण	11713.1501	4.392
4	अकलतरा	12059.0910	3.734
5	बलौदा	8400.7906	201.525
6	पामगढ़	10566.0431	9.906
7	चांपा	4185.2567	186.900
8	बम्हनीडीह	4107.128	0.134
9	सारागांव	2138.670	27.495
10	सक्ती	5336.0152	4.000
11	बाराद्वार	2566.800	30.405
12	मालखरौदा	5110.2380	128.333
13	डभरा	7221.2030	286.217
14	जैजैपुर	8352.4441	13.920
	कुल योग-	99838.3470	898.784

प्रपत्र "ब"

क्र०	तहसील का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	ग्राम का नाम	कार्यवाही दिनांक	बेदखली का रकबा (हे०)
1	जांजगीर	202	मरकाडीह, धुरकोट कन्हाईबंद, पुटपुरा	26.7.2020 एवं 5.8.2020	3.739 2.266
2	नवागढ़	14	सेमरा नवागढ़ महंत	20.4.2019 4.7.2020 15.7.2020	103.6 4.046 8.093
3	शिवरीनारायण	22	सिंधुल तुस्मा तुस्मा तुस्मा कुकदा कटौद	21.5.2020 22.7.2020 16.9.2020 21.9.2020 18.11.2020 25.11.2020	0.404 0.607 0.048 0.060 0.008 0.271
4	अकलतरा	49	पोड़ीदल्हा झिलमिला कटघरी	9.7.2020 5.9.2020 8.12.2020	20.234 2.023 20.234
5	बलौदा	83	बक्सरा देवरी बुङ्गहन चारपारा	7.11.2020 7.11.2020 14.11.2020 14.11.2020	0.101 0.254 0.145 0.283
6	पामगढ़	83	हिरी झिलमिली सेमरिया कोसला खपरी	15.9.2020 3.10.2020 7.10.2020 9.10.2020 11.10.2020	27.333 3.148 3.306 7.284 17.887
7	चापा	04	बालपुर सिवनी	6.7.2020 8.7.2020	3.237 4.856
8	बम्हनीडीह	13	करनौद बम्हनीडीह पुछेली सोनादह बिरा तालदेवरी बसुंला	11.6.2020 9.7.2020 8.7.2020 11.7.2020 11.7.2020 11.7.2020 11.7.2020	59.488 7.284 21.043 8.093 7.023 4.046 7.284
9	सारागांव	06	वहेराडीह देवरी	8.7.2020 10.7.2020	6.070 2.428
10	सक्ती	28	देवमाल देवरी	10.6.2020 7.12.2020	9.000 0.405
11	बाराद्वार	15	डुमरपारा	8.9.2020 4.11.2020	0.0120 0.020
12	मालखरौदा	104	दरभाठा नवापारा नवापारा	17.9.2020 27.11.2020 10.8.2020	20.234 6.070 21.043
13	डभरा	53	बिनौधा बड़ेकटेकोनी जवाली टुण्डी	20.3.2020 14.7.2020 9.7.2020 21.11.2020	12.545 17.401 10.926 0.040
14	लैजपुर	75	शिकारीनार मलनी ठठारी गुचकुलिया	8.7.2020 9.7.2020 11.7.2020 12.7.2020	14.900 8.903 3.957 1.881
	कुल योग --	751			483.563

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 808) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2019-20 की छात्रवृत्ति से संबंधित वर्गवार जानकारी

क्र०	योजना/वर्ग	स्कॉलरशिप दी जानी थी		स्कॉलरशिप दी गई		स्कॉलरशिप शेष	
		विद्यार्थियों की संख्या	राशि (लाख में)	विद्यार्थियों की संख्या	राशि (लाख में)	विद्यार्थियों की संख्या	राशि (लाख में)
01	अनुसूचित जनजाति	936334	15330.36	930431	15223.57	5881	100.45
02	अनुसूचित जाति	461297	9355.10	458460	9279.21	2821	68.74
03	अन्य पिछड़ा वर्ग	1128239	14104.94	1121909	13971.23	6197	104.38
04	अल्पसंख्यक	7473	411.00	7473	411.00	0	0

परिशिष्ट "उनलीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 809) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिला	स्कूल का नाम
1	बालोद	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल आमपारा बालोद
2	बलौदाबाजार	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल बलौदाबाजार
3	बलरामपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल बलरामपुर
4	बलरामपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल रामानुगंज बलरामपुर
5	बलरामपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूलवाइफनगर बलरामपुर
6	बलरामपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल सेमरा, कुसमी जिला बलरामपुर
7	बस्तर	शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल स्वामी विवेकानंद जगदलपुर
8	बेमेतरा	शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल शिवलाल राठी बेमेतरा
9	बेमेतरा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल देवकर जिला बेमेतरा
10	बीजापुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल बीजापुर
11	बिलासपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल तारबहार बिलासपुर
12	बिलासपुर	शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल लाला लाजपतराय, खपरजंग बिलासपुर
13	बिलासपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल मंगला बिलासपुर
14	बिलासपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल लिंगियाडीह जिला बिलासपुर
15	दंतेवाड़ा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल दंतेवाड़ा
16	धमतरी	महेत्तरु राम धीवर शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल बठेना धमतरी
17	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल कुम्हारी दुर्ग
18	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल जंजगीरी दुर्ग
19	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल भिलाई 03 पाटन दुर्ग
20	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल सेक्टर 6 भिलाई दुर्ग
21	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार दुर्ग
22	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल पाटन दुर्ग
23	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल रिसाली भिलाई जिला दुर्ग
24	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल नगपुरा दुर्ग जिला दुर्ग
25	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल बोरी दुर्ग जिला दुर्ग
26	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल तमेरपारा धमधा जिला दुर्ग
27	गरियाबंद	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल गरियाबंद
28	गौरेला पेंडा मरवाही	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल सेमरा गौ.पे.मर.
29	गौरेला पेंडा मरवाही	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल उ.मा.वि. मरवाही
30	जांजगीर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल क्रमांक 1 जांजगीर
31	जांजगीर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल सक्ती जिला जांजगीर चांपा
32	जशपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल जशपुर
33	कांकेर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल नरहरदेव कांकेर

क्र.	जिला	स्कूल का नाम
34	कबीरधाम	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल शास. नवीन उ.मा.वि. कवर्धा
35	कोंडागांव	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल जामकोटपारा कोण्डागांव
36	कोरबा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल पंपहाउस कोरबा
37	कोरबा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल हरदीबाजार, पाली जिला कोरबा
38	कोरबा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल पाली जिला कोरबा
39	कोरिया	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल महलपारा कोरिया
40	कोरिया	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल बरतुंगा चिरमिरी जिला कोरिया
41	महासमुंद	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल नयापारा महासमुंद
42	मुंगेली	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल दाउपारा मुंगेली
43	नारायणपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल सिंगौड़ीतराई नारायणपुर
44	रायगढ़	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल रायगढ़ (नटवर परिसर)
45	रायपुर	बी.पी.पुजारी शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल राजातालाब रायपुर
46	रायपुर	शहीद स्मारक शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल फाफाडीह रायपुर
47	रायपुर	आर.डी.तिवारी शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल रायपुर
48	राजनांदगाँव	सर्वेश्वर दास शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल राजनांदगाँव
49	सरगुजा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल ब्रम्हपारा अंबिकापुर जिला सरगुजा
50	सरगुजा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल देवगढ़, सीतापुर जिला सरगुजा
51	सुकमा	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल पावारा सुकमा
52	सूरजपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल प्रतापपुर जिला सूरजपुर

निर्धारित प्रपत्र

जिले का नाम — बिलासपुर

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (क) के संबंध में जानकारी

क0	क्या नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य कराना बंद कर दिया गया है ?	यदि हां तो कब से और क्यों ?
1	जी हाँ।	नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य 01.10.2020 से बंद कर दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ख) के संबंध में जानकारी

क0	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ?	यदि हां तो क्या-क्या ?	क्या ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है ?
1	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है।	निरंक	ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ग) के संबंध में जानकारी

क0	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गये कितने व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये है ?	कितने लंबित है व इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?
1	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गए कुल 30844 प्रकरणों में से 24029 व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गए हैं। 1624 प्रकरणों में नामांतरण की आवश्यकता नहीं है।	5191 प्रकरण लंबित है, जिसका कारण कोविड-19 के दौरान पक्षकारों का समय पर उपस्थित नहीं होना है। जिसमें पक्षकारों को पुनः नोटिस एवं ईशतहार प्रकाशन किया गया है।

निर्धारित प्रपत्र

जिले का नाम - कोरबा

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (क) के संबंध में जानकारी

क0	क्या नामांतरण पंजी का मैन्युअल कार्य कराना बंद कर दिया गया है ?	यदि हां तो कब से और क्यों ?
1	जी हाँ।	नामांतरण पंजी का मैन्युअल कार्य 31-08-2020 से बन्द कर दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ख) के संबंध में जानकारी

क0	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ?	यदि हां तो क्या-क्या ?	क्या ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है ?
1	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है।	निरंक	ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ग) के संबंध में जानकारी

क0	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गये कितने व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये है ?	कितने लंबित है व इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?
1	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में आज दिनांक तक ऑनलाईन नामांतरण हेतु कुल प्रकरण 8082 है। जिसमें से 7619 का नामांतरण कार्यवाही किया जाना था। जिसमें से 6055 प्रकरणों का नामांतरण प्रारंभ किया गया है। जिसमें 5809 प्रकरणों में आदेश पारित कर अभिलेख दुरुस्त किया जा चुका है।	नामांतरण हेतु शेष 1486 एवं अभिलेख दुरुस्ती हेतु 1810 प्रकरण लंबित है। लंबित समस्त प्रकरण समय-सीमा के अन्दर हैं। नामांतरण व अभिलेख दुरुस्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

निर्धारित प्रपत्र

जिले का नाम – रायगढ़

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (क) के संबंध में जानकारी

क0	क्या नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य कराना बंद कर दिया गया है ?	यदि हां तो कब से और क्यों ?
1	जी हाँ।	नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य दि 01.09.2020 के पश्चात् बंद कर दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ख) के संबंध में जानकारी

क0	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ?	यदि हां तो क्या-क्या ?	क्या ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है ?
1	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है।	निरंक	ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार /नायब तहसीलदार एवं 2 पटवारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ग) के संबंध में जानकारी

क0	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गये कितने व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये है ?	कितने लंबित है व इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?
1	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु 20208 भेजे गये एवं 14978 व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये हैं ?	जिले में 8040 लंबित है समय-सीमा में होने से निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

निर्धारित प्रपत्र

जिले का नाम – मुंगेली

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (क) के संबंध में जानकारी

क0	क्या नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य कराना बंद कर दिया गया है ?	यदि हां तो कब से और क्यों ?
1	जी हाँ।	नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य माह सितम्बर 2020 से बन्द कर दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ख) के संबंध में जानकारी

क0	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ?	यदि हां तो क्या-क्या ?	क्या ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है ?
1	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है।	निरंक	ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्येक तहसीलदार एवं एक पटवारी को प्रशिक्षण दिया गया है प्रशिक्षित तहसीलदार एवं प्रशिक्षित पटवारी के माध्यम से अन्य पटवारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ग) के संबंध में जानकारी

क0	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गये कितने व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये है ?	कितने लंबित है व इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?
1	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु 10771 भेजे गये जिसमें से 5523 व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये हैं ?	जिले में 5248 लंबित है कोविड 19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियमित पेशी व ईशतहार, नोटिस तामिल नहीं होने के कारण प्रकरण लंबित है।

निर्धारित प्रपत्र

जिले का नाम – गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

प्रश्न के बिन्दु कमांक (क) के संबंध में जानकारी

क0	क्या नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य कराना बंद कर दिया गया है ?	यदि हां तो कब से और क्यों ?
1	जी हाँ।	नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य माह सितम्बर 2020 से बन्द कर दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु कमांक (ख) के संबंध में जानकारी

क0	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ?	यदि हां तो क्या-क्या ?	क्या ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है ?
1	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है।	निरंक	ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी एवं तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु कमांक (ग) के संबंध में जानकारी

क0	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गये कितने व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये है ?	कितने लंबित है व इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?
1	रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी.में ऑनलाईन नामांतरण हेतु 3582 भेजे गये जिसमें से 2948 प्रकरणों में नामांतरण पारित किया जा चुका है व 2948 प्रकरणों में अभिलेख दुरुस्ती पूर्ण हो चुका है।	634 प्रकरण लंबित है/प्रक्रियाधीन है। जिसमें से 116 बैंक में बंधक होने के बावजूद पंजीकृत होने के कारण लंबित।

निर्धारित प्रपत्र

जिले का नाम - जांजगीर-चांप्पा

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (क) के संबंध में जानकारी

क0	क्या नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य कराना बंद कर दिया गया है ?	यदि हां तो कब से और क्यों ?
1	जी हाँ।	नामांतरण पंजी का मैनुअल कार्य माह अक्टूबर 2020 से बन्द कर दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ख) के संबंध में जानकारी

क0	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ?	यदि हां तो क्या-क्या ?	क्या ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है ?
1	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व हल्कों में लैपटॉप, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है।	निरंक	ऑनलाईन नामांतरण प्रारंभ करने के पूर्व विडियो कन्फेसिंग के माध्यम से पटवारी व तहसीलदार को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (ग) के संबंध में जानकारी

क0	जिले में रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु भेजे गये कितने व्यक्तियों का नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्त हो गये है ?	कितने लंबित है व इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?
1	रजिस्ट्री कार्यालयों से तहसीलदार के आई.डी. में ऑनलाईन नामांतरण हेतु 31379 भेजे गये जिसमें से 27438 प्रकरणों में नामांतरण पारित व अभिलेख दुरुस्ती पूर्ण हो चुका है।	3941 प्रकरण लंबित है। जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो समय-सीमा के भीतर हैं।

परिशिष्ट "ईकचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 818) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स्कूल शिक्षा विभाग में मोबाईल एप द्वारा सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने हेतु अनुबंध।

स. क्र.	मोबाईल एप/सॉफ्टवेयर/ प्रोग्राम का नाम	कार्य	फर्म का नाम	व्यय राशि	अनुबंध दिनांक	रख-रखाव की समय सीमा	संचालित है/ नहीं
1	मोबाईल एप छत्तीसगढ़ मल्टी मीडिया टेक्स्ट बुक	विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध करने हेतु तैयार किया गया।	एन. आई. सी.	निःशुल्क	-	निरंक	संचालित है
2	पढाई तुहर दुआर	विद्यालय बंद रहने की अवस्था में विद्यार्थियों की पढाई लिखाई जारी रखने हेतु एप की व्यवस्था	एन.आई.सी. के सहयोग से विभाग द्वारा इन हाउस तैयार किया गया।	निःशुल्क	-	निरंक	संचालित है
3	TEAMS-S एवं TEAMS-T	विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की जानकारी संकलित करने हेतु।	एन. आई. सी.	₹ 68.00 लाख	-	निरंक	संचालित है
4	सॉफ्टवेयर बी. एड./ डी.एल. एड./ बी. ए. बी. एड./ बी. एस. सी. बी. एड. में प्रवेश हेतु 2019-20 हेतु सॉफ्टवेयर	2019-20 बी. एड./ डी.एल. एड./ बी. ए. बी. एड./ बी. एस. सी. बी. एड. के अनलाइन कौंसिलिंग एवं प्रवेश हेतु उपयोग किया गया।	तलिशम इन बृंगर्ही प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर	₹ 34,21,760 .00	03.09.2019	01.08.2019 से 31.07.2020 तक	कार्यावधि पूर्ण
5	बी. एड./ डी.एल. एड./ बी. ए. बी. एड./ बी. एस. सी. बी. एड. में प्रवेश हेतु 2019-20 हेतु सॉफ्टवेयर	2019-20 बी. एड./ डी.एल. एड./ बी. ए. बी. एड./ बी. एस. सी. बी. एड. के अनलाइन कौंसिलिंग एवं प्रवेश हेतु पुनः तैयार करवाया गया है।	विप्स	प्रति छात्र ₹ 50+कर	29.09.2020	सत्र 2020-21	संचालित है
6	वेब पोर्टल 'पढाई तुहर दुआर'	कोविद-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की स्थिति में विद्यार्थियों की पढाई लिखाई जारी रखने हेतु अनलाइन व्यवस्था।	एन. आई. सी. के सहयोग से विभाग द्वारा इन हाउस तैयार किया गया।	निःशुल्क	-	-	संचालित है
7	शिक्षा पोर्टल	विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की जानकारी संकलित करने हेतु।	एन. आई. सी.	निःशुल्क	-	-	संचालित है

परिशिष्ट "बयालाम"

[अतारोक्त प्रश्न संख्या 56 (क्र. 819) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

01 जनवरी 2019 से 30 नवम्बर 2020 के मध्य छात्रावास/आश्रमों में निवासरत् छात्र/छात्राओं का मृत्यु के संबंध में जानकारी

क्र.	जिला	स.क	छात्रावास/आश्रम का नाम/विकासखण्ड	मृत छात्र-छात्राओं का नाम	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का कारण	स्थान	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोरबा	1	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोरबा	कु. दीपा कंवर	02.10.2019	स्वास्थ्य खराब होने के कारण	जिला चिकित्सालय कोरबा	जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।
2	बलौदाबाजार	2	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम देवसुन्दरा पालारी	कु. मुस्कान पाटले	12.07.2019	स्वास्थ्य खराब होने के कारण	जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार	प्रथम दृष्टिया अधीक्षिका श्रीमती रीना तिमोथी की लापरवाही पाये जाने के कारण आदश क्रं. 426, 12.06.2019 द्वारा निलंबित किया गया।
3	कौंडागांव	3	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अनंतपुर माकडी	कु. लच्छनदई पोयाम	07.02.2019	वीमारी के कारण	जिला चिकित्सालय कोण्डागांव	जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।
		4	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कोण्डागांव	कुमार मरकाम	13.01.2019	खून की कमी के कारण	जिला चिकित्सालय कोण्डागांव	जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।
4	सुकमा	5	कन्या आश्रम चिन्तलनार,कोन्टा	कु सोढी हीना	01.05.2019	मलेरिया जिला अस्पताल सुकमा में ईलाज के दौरान हुई	जिला चिकित्सालय सुकमा	जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।

क्र.	जिला	स.क	छात्रावास/आश्रम का नाम/विकासखण्ड	मृत छात्र-छात्राओं का नाम	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का कारण	स्थान	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सुकमा	6	कन्या आश्रम कोर्दा, सुकमा	कु. छोटी मड़कामी	13.08.2019	उल्टी, दस्त से ईलाज के दौरान	जिला अस्पताल सुकमा	प्रथम दृष्टिया अधीक्षिका श्रीमती राजम्मा सोडी की लापरवाही पाये जाने के कारण आदेश क्रं. /2664/जी.शि.अ./नी./आ. /2019-20, दिनांक 13.08.2019 द्वारा निलंबित किया गया।
		7	बालक आश्रम बड़ेसट्टी सुकमा	रका गंगा	26.01.2020	मलेरिया से ईलाज के दौरान	जिला अस्पताल जगदलपुर।	जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।
		8	बालक आश्रम नागाराम सुकमा	कुडाम हड़मा	25.02.2020	मलेरिया से ईलाज के दौरान	बालक आश्रम नागाराम सुकमा	प्रथम दृष्टिया अधीक्षक श्री कवासी जोगा की लापरवाही पाये जाने के कारण आदेश क्र/5917-ए/जी.शि.अ./शि.स्था, दिनांक 25.02.2020 निलंबित किया गया।
		9	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सुकमा क्रं.-02	कु. रेशमा बघेल	24.02.2020	बुखार होने के कारण	गीता अस्पताल भद्राचलम	जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।

प्रपत्र "ब"

01 जनवरी 2019 से 30 नवम्बर 2020 के मध्य छात्रावास/आश्रमों में अनियमितता संबंधी शिकायतों की जानकारी

क्र.	जिला	स.क	छात्रावास/आश्रम का नाम	शिकायत का विषय	प्रकरण में की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	1	पोस्ट मै. आदिवासी बालक छात्रावास दीनदयाल उपाध्याय नगर डगनिया	रेगिंग कू संबंध में शिकायत पाई गई थी।	अपर कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त रायपुर द्वारा किये गये निरीक्षण में छात्रावास में अव्यवस्था पाये जाने के कारण श्री महेन्द्र बघेल छात्रावास अधीक्षक को आदेश क्रं. /2536, आदि-वि/स्था-01/2020, दिनांक 16.01.2020 के द्वारा निलंबित किया गया।
		2	पोस्ट मै. परियोजना बालक छात्रावास सुन्दर नगर रायपुर	कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की शिकायत	अधीक्षक श्री शादाब मेमन को कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा अनुशासनहीनता बरतने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रं0/2560/आदि.वि./स्था-01/2020, दिनांक 20.01.2020 द्वारा निलंबित किया गया।
		3	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास धरसीवा	कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की शिकायत	श्री चुम्मन लाल नाग, अधीक्षक श्रेणी "द" को कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा अनुशासनहीनता बरतने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रं0/1611/ दिनांक 24.10.2019 द्वारा निलंबित किया गया।
2	दंतेवाड़ा	4	कन्या शिक्षा परिसर पातररास विकास खण्ड -दंतेवाड़ा	कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की शिकायत	कन्या शिक्षा परिसर पातररास विकासखण्ड दंतेवाड़ा में दिनांक 17.01.2020 को कक्षा 11वीं की छात्रा कु. मीना शिल्पा मिन्ज के प्रसव संबंधी घटना हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा जांच टीम गठित कर जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर छात्रावासी व्यवस्था में प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रमाणित पाये जाने पर अधीक्षिका श्रीमती हेमलता नाग को आदेश क्रं./1443/आवि./स्था-2/2020, दिनांक 18.01.2020 द्वारा निलंबित किया गया है।
3	गौरलो-पेण्ड्रा-मरवाही	5	आदिवासी बालक आश्रम पंडरीपानी विकास खण्ड गौरेला	श्री सुनील कुमार घृतलहरे अधीक्षक को अनियमितता/अनुशासनहीनता की शिकायत	श्री सुनील कुमार घृतलहरे अधीक्षक आदिवासी बालक आश्रम पंडरीपानी के विरुद्ध कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पत्र क्रं. /कलेक्टर/शिकायत/2020/3568, दिनांक 24.11.2020 से प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच समिति गठित की जा चुकी है जांच प्रक्रिया जारी है।

परिशिष्ट "तिरालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 824) के भाग (घ) की जानकारी]

रायपुर संभागायुक्त द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मानिट्रिंग वर्ष 2019

क्र.	समीक्षा दिनांक	जिले का नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	30.01.2019	महासमुंद	समयसीमा के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।
2.	02.02.2019	धमतरी	--//--
3.	08.02.2019	गरियाबंद	--//--
4.	15.03.2019	रायपुर	--//--
5.	28.03.2019	बलौदाबाजार	--//--
6.	11.04.2019	धमतरी	--//--
7.	12.4.2019	महासमुंद	--//--
8.	18.07.2019	महासमुंद	--//--
9.	20.07.2019	धमतरी	--//--
10.	25.07.2019	गरियाबंद	--//--
11.	22.10.2019	गरियाबंद	--//--
12.	24.10.2019	महासमुंद	--//--

रायपुर संभागयुक्त द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मानिट्रिंग वर्ष 2020

क्र.	समीक्षा दिनांक	जिले का नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16.01.2020	गरियाबंद	समयसीमा के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।
2.	17.01.2020	रायपुर	---//---
3.	20.01.2020	बलौदाबाजार	---//---
4.	12.02.2020	गरियाबंद	---//---
5.	14.02.2020	धमतरी	---//---
6.	15.02.2020	गरियाबंद	---//---
7.	23.2.2020	रायपुर	---//---
8.	28.03.2020	बलौदाबाजार	कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत V.C. के माध्यम से वर्चअल मिटिंग लिया गया तथा समयसीमा के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।
9.	15.05.2020	धमतरी	---//---
10.	06.06.2020	महासमुंद	---//---
11.	08.06.2020	बलौदाबाजार	---//---
12.	03.09.2020	रायपुर	---//---
13.	04.09.2020	महासमुंद	---//---
14.	05.09.2020	गरियाबंद	---//---
15.	05.09.2020	धमतरी	---//---

दुर्ग संभागयुक्त द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मानिट्रिंग वर्ष 2019

क.	समीक्षा दिनांक	जिले का नाम	रिमाक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	21.06.2019	दुर्ग	समयसीमा के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।
2.	02.07.2019	दुर्ग	--//--
3.	10.07.2019	दुर्ग	--//--
4.	06.08.2019	दुर्ग	--//--
5.	18.09.2019	दुर्ग	--//--
6.	29.08.2019	दुर्ग	--//--
7.	23.09.2019	दुर्ग	--//--
8.	27.09.2019	दुर्ग	--//--
9.	11.10.2019	दुर्ग	--//--
10.	15.10.2019	दुर्ग	--//--
11.	22.10.2019	दुर्ग	--//--
12.	06.11.2019	दुर्ग	--//--
13.	03.12.2019	दुर्ग	--//--
14.	19.12.2019	दुर्ग	--//--

दुर्ग संभागायुक्त द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मॉनिटरिंग वर्ष 2020

क.	समीक्षा दिनांक	जिले का नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	17.01.2020	दुर्ग	समयसीमा के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।
2.	22.01.2020	दुर्ग	--//--
3.	23.01.2020	दुर्ग	--//--
4.	31.01.2020	दुर्ग	--//--
5.	18.02.2020	दुर्ग	--//--
6.	17.03.2020	दुर्ग	--//--
7.	29.04.2020	दुर्ग	--//--
8.	03.07.2020	दुर्ग	--//--
9.	16.07.2020	दुर्ग	--//--
10.	28.10.2020	टेडेसरा, जिला-राजनांदगांव	--//--
11.	05.12.2020	दुर्ग	--//--